राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ७] तृतीय विधान सभा के सप्तम् सत्र, १९६५ का ३६ वां दिवस [संख्या २७

बुधवार, दिनांक ३१ मार्च, १९६५

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.६ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सहकारी, वित्त, पंचायत, विद्युत, यातायात, सार्वजनिक निर्माण, आबकारी, श्रम, उद्योग एवं आयुर्वेद–विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

दी सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, टोंक के उपाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायत

६४०. श्री उमरावसिंह ढावरिया (बनेड़ा) : व श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि दी सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, टोंक के उपाध्यक्ष श्री रामदयालजी के खिलाफ रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसायटी, टोंक द्वारा यह रिपोर्ट दी गई है कि उपाध्यक्ष ने अपना नाम फर्जी गलत देवली सहकारी समिति में बढ़वा लिया और वहां से सदस्य बन कर बैंक में आ गये ? यदि हां, तो सरकार इनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करती है और इस पद से क्यों नहीं हटाती है ?

(२) दी सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, टोंक में व्यक्तिगत सदस्यों के ५८ फॉर्म अब तक क्यों नहीं स्वीकार किये गये ?

उप-मन्त्री, सहकारी (श्री भीमसिंह): (१) जी हां, सरकार नियमानुसार उचित कार्यवाही कर रही है ।

(२) संचालक मण्डल ने व्यक्तिगत सदस्य न लेने की नीति अपना कर तमाम फॉर्म अस्वीकार कर दिये हैं ।

Page No.2

श्री जयनारायण सालोदिया : नियमानुसार क्या कार्यवाही कर रहे हैं, यह बतावें ?

श्री भीमसिंह : उनको जो नोटिस दिया जाने को था, वह दिया गया है; शो-कॉज़ नोटिस कि मण्डल को क्यों नहीं भंग कर दिया जावे और उसके लिये एडमिनिस्ट्रेटर क्यों नहीं मुकर्रर कर दिया जावे। इसके बाद प्रशासक का नाम भेजने के लिये असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार को कहा है।

श्री जयनारायण सालोदिया : कौन सी तारीख को नोटिस दिया।

श्री भीमसिंह : नोटिस की निश्चित तारीख तो मेरे पास अभी नहीं है। पर नोटिस का उत्तर नहीं आने पर ३-२-६५ को असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार को प्रशासक का नाम प्रोपोज़ करने को लिखा है।

श्री जयनारायण सालोदिया : अध्यक्ष महोदय, रामदयालजी वकील हैं टोंक के, समिति के सदस्य नहीं होते हुए फर्जी नाम लिखा कर बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में चले गये और उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। डेढ़ साल हो गया, वे वहां हैं ? मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में कार्यवाही शीघ्र करें पर सरकार ने ढील की है इसमें।

दूसरा, जो आपने ५८ सदस्यों को अब तक क्यों नहीं लिया ?

श्री भीमसिंह : इसमें निवेदन ऐसा है कि जब यह बात ध्यान में आई तो जांच की गई और मालूम हुआ कि जो कार्यवाही सदस्य ने की, फर्जी की, मेम्बर भी फर्जी कर दिया तो मण्डल को शो-कॉज़ नोटिस दिया। उत्तर नहीं आने पर असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार को प्रशासक का नाम प्रोपोज़ करने को लिख दिया।

श्री अध्यक्ष : वे व्यक्तिगत सदस्यों की बात पूछ रहे हैं।

श्री भीमसिंह : यह मामला १६-२-६५ को बैंक की प्रवन्धकारिणी की बैठक में लिया गया और उसमें यह निर्णय लिया गया कि इस प्रश्न को संचालक मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। उसमें विचार करके वे फार्म अस्वीकार कर दिये गये हैं, क्योंकि संचालक मण्डल व्यक्तिगत सदस्य नहीं रखना चाहता। नये एक्ट में ऐसा संशोधन है कि व्यक्तिगत सदस्य न हों; इसलिये उनको नहीं लिया गया।

श्री जयनारायण सालोदिया : अमेन्डमेन्ट तो अब हुआ है, यह तो ६४ की बात है।

श्री भीमसिंह : यह निर्णय भी अभी लिया है। २३-३-६५ को लिया है।

श्री जयनारायण सालोदिया : ५८ सदस्यों ने फॉर्म भर कर १॥ साल पहले दिया। तब की बात अर्ज कर रहा हूं।

श्री भीमसिंह : आपका कहना वाजिब है। डेढ़ साल पहले दिया होगा। पर उन्होंने मामला १६-२-६५ को मीटिंग में प्रस्तुत किया और २३-३-६५ को निर्णय

Page No.3

(श्री भीमसिंह)

लिया कि एक्ट में संशोधन आ रहा है इसलिये इनको स्वीकार न किया जावे।

प्रश्न संख्या ६४१

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री भैरवलाल 'कालाबादल'।

पम्पिंग सैट लगाने के लिये ऋण-पंचायत समिति, आमेर

६४२. श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा–सु०) [श्री भानुप्रसाद कराड़िया (चोमू) द्वारा पूछा गया] : क्या पंचायत एवं विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) पंचायत समिति आमेर में समिति द्वारा किस किस व्यक्ति को पम्पिंग सैट लगाने के लिये कितना कितना ऋण सन् ६० से ६४ तक दिया गया ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त क्षेत्र के कितने ही व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने ऋण की रकम को अन्य कार्यों में लगा दिया है ?

(३) ऐसे व्यक्तियों से कितनी कितनी ऋण की राशि वापिस जमा हो गई है तथा कितनी कितनी बकाया किस किस में चल रही है ?

उप-मंत्री, विकास (श्री परसराम मदेरणा) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) ६ व्यक्तियों ने अभी तक पम्पिंग सैट नहीं लगाये हैं।

(३) वसूली की कार्यवाही तहसील में हो रही हैं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मानसिंह महार (आमेर) : उनके नाम क्या क्या हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री मानसिंह महार : क्या आपने यह भी तलाश किया कि इनमें अधिकांश सरपंच हैं ?

पंचायत मंत्री (श्री भीखाभाई) : यह जानकारी नहीं है।

श्री मानसिंह महार : आपको तो जानकारी होने का सवाल ही नहीं है। आप तो खैरात की खाते हैं।

श्री अध्यक्ष : अब तो सारी जानकारी हो गई।

प्रश्न संख्या ६४३

श्री कृष्णकुमार गोयल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

Page No.4

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या ६४४

श्री मानिकचन्द सुराणा ।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री भैरोंसिह ।

उदयपुर–अहमदाबाद, अजमेर–भीलवाड़ा व भीलवाड़ा–उदयपुर मार्गों का राष्ट्रीयकरण

६४५. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) उदयपुर–अहमदाबाद, अजमेर–भीलवाड़ा, भीलवाड़ा–उदयपुर मार्गो पर राष्ट्रीयकरण की योजना कब कब प्रकाशित हुई और यह योजना किस किस स्तर पर कितने कितने दिन विचाराधीन रही और क्यों ?

(ख) इन योजनाओं का अंतिम निर्णय कब और क्या हुआ ?

(ग) क्या यह सही है कि योजना त्रुटिपूर्ण थी तथा एल० आर० के पास सरकारी स्टेटमेंट भी गलत दिया गया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

उप–मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) उदयपुर–अहमदाबाद की प्रारूप योजना दिनांक ६–८–६२ को राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित की गई तथा सम्बन्धित व्यक्तियों से आपत्ति-पत्र मांगे गये । आपत्ति-पत्रों के मांगने के बाद लीगल रिमेम्बरेंसर द्वारा २१–११-६२ से आपत्ति-पत्रों पर सुनवाई की जा रही है जो अब तक पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि इसमें गवाहों की सुनवाई करने में काफी समय लगा ।

अजमेर–भीलवाड़ा की प्रारूप योजना दिनांक १-११-६० को राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित की गई तथा २५-६-६२ को लीगल रिमेम्बरेंसर द्वारा स्वीकृत योजना प्रकाशित की गई । १५-८-६२/ को इस मार्ग पर गाड़ियें चलाने का निर्णय था लेकिन निजी बस मालिकों ने उच्च न्यायालय से यह आदेश प्राप्त कर लिये कि फैसला होने तक निजी बस मालिक भी अपनी गाड़ियें साथ साथ चला सकते हैं । २१–१२–६३ को उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि लीगल रिमेम्ब्रेन्सर आपत्ति–पत्रों की फिर से जांच करें और जांच कर अपना निर्णय देवें, तदुपरान्त योजना की खामियें मिटाने के लिये एक संशोधन पत्र दिनांक ३०-४-६४ को जारी किया गया जिसमें अभी हाल ही में लीगल रिमेम्ब्रेन्सर ने अपना निर्णय दिया है कि इस तरह संशोधन कानून की दृष्टि से गलत है , निगम पुनः अपनी नयी योजना प्रकाशित करें । अतः फिर से प्रारूप योजना प्रकाशित की जावेगी । भीलवाड़ा-उदयपुर मार्ग पर प्रारूप योजना ६-८-६२ को राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित की गई । इस मार्ग का राष्ट्रीयकरण भीलवाड़ा वाया कपासन-मावली-उदयपुर करना था । लीगल-रिमेम्ब्रेन्सर द्वारा इस मार्ग का निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के बाद इस योजना को दिनांक १७-२-६४ को अस्वीकार

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

कर दिया गया तथा दूसरी 'वाया' के लिये सरकार से आदेश प्राप्त करने हेतु इस विभाग द्वारा दिनांक २४-२-६४ को लिखा गया। सरकार ने कोई आदेश न देकर इसको उस कमेटी के लिये जो मुख्य सचिव के सभापतित्व में राष्ट्रीयकरण की योजना बनाने हेतु बनाई गई थी, छोड़ दिया। लेकिन इसी बीच में सरकार ने राजस्थान स्टेट रोड़वेज़ को निगम में परिवर्तित करने का निर्णय लिया। अब यह योजना निगम के विचाराधीन है तथा निगम ने यह फैसला किया है कि उदयपुर-भीलवाड़ा मार्ग का भी राष्ट्रीयकरण सन् ६५-६६ में किया जावे। अतः प्रारूप योजना बनाई जा रही है।

(२) निर्णय की जानकारी प्रश्न संख्या (१) में दे दी गई है।

(३) सिर्फ अजमेर-भीलवाड़ा मार्ग की योजना में कुछ खामियें रह गई थीं। इस का कारण यह था कि सम्बन्धित आर० टी० ग्रोज़० से निजी मालिकों व सहायक मार्गों की जो सूचना मांगी गई थी उसमें कुछ निजी मालिकों के परमिटों का उल्लेख योजना में नहीं किया गया था। इन्हीं कारणवश योजना को पुनः उच्च न्यायालय द्वारा लीगल रिमेम्ब्रेन्सर के पास वापिस किया गया। दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि उदयपुर-अहमदाबाद रूट पर एल० आर० के पास गवर्नमेंट की तरफ से यह स्टेटमेंट दिया था कि हमने इसमें गुजरात गवर्नमेंट से अनुमति प्राप्त कर ली है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : गुजरात सरकार की अनुमति प्राप्त कर ली है या नहीं, यह सूचना इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मैंने साफ पूछा है कि स्टेटमेंट गलत दिया या नहीं। फिर जवाब किस बात का दे रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कौन सा सवाल है ?

श्री भैरोंसिंह : तीसरा सवाल है, क्या यह सही है कि योजना त्रुटिपूर्ण थी तथा एल० आर० के पास सरकारी स्टेटमेंट भी गलत दिया गया था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह कौन से रूट के लिए हैं ?

श्री भैरोंसिंह : सब रूट्स के लिए है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने यह कहा है कि यह सूचना केवल अजमेर और भीलवाड़ा के बारे में कुछ गलत दी गई है, इसको तो मैंने एडमिट किया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाये कि यह सूचना केवल अजमेर और भीलवाड़ा के लिए गलत दी गई थी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके अलावा अजमेर और भीलवाड़ा रूट के अलावा दूसरी जगह की गलत सूचना देने के बारे में

Page No.6

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

मेरी जानकारी नहीं है और जहां तक जानकारी मिली है वह यह है कि वहां कोई गलत सूचना नहीं दी गई।

श्री भैरोंसिंह : उदयपुर-अहमदाबाद का रूट प्रकाशित करने से पहले गुजरात गवर्नमेंट से इसकी सेंक्शन ली गई थी या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसकी मुझे अभी जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस समय स्कीम एल० आर० के पास गई उस समय डिपार्टमेंट की तरफ से लिखा गया था कि गुजरात सरकार से इसकी स्वीकृति प्राप्त करली गई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि डिटेल्स में एल० आर० के पास क्या क्या कार्यवाही हुई, क्या कहा गया, क्या नहीं कहा गया, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या आप यह बता सकते हैं कि इस रूट के बारे में गुजरात स्टेट की स्वीकृति ले ली गई है ?

यातायान मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : कब ली गई ?

श्री मथुरादास माथुर : तारीख तो मालूम नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : रूल्स प्रकाशित होने से पहले ली या बाद में ?

श्री मथुरादास माथुर : रेसीप्रोकेट बेसिस पर यह कर लिया गया कि उनकी गाड़ियां हमारे यहां आयेंगी और हमारी उनके यहां जायेंगी। इसका मुझे इल्म है और ज्यादा डिटेल्स नहीं हैं। अगर डिटेल में पूछना चाहते हैं तो नोटिस दीजिए, मैं बता दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : मैंने पूछा है कि आपने स्टेटमेंट दिया है वह गलत है या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसा कोई स्टेटमेन्ट नहीं दिया।

श्री भैरोंसिंह : क्या एल०आर०के सामने आपने स्कीम देने के पूर्व उसके साथ साथ इस बात का स्टेटमेन्ट दिया है कि हमने गुजरात गवर्नमेन्ट से स्वीकृति प्राप्त कर ली है क्योंकि उसके बिना एल०आर० उसके ऊपर कोई कार्यवाही कर नहीं सकता ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं निवेदन कर रहा हूं कि गुजरात गवर्नमेन्ट से बातचीत करके रेसीप्रोकेट बेसिस पर कि वह अपनी गाड़ियां हमारे यहां भेज सकेंगे और हम उनके वहां भेज सकेंगे, यह तय हो चुका है। उसके बाद में अहमदाबाद और उदयपुर का रूट है वह एल०आर० के पास पेश हुआ उसके बाद में उनकी एवीडेन्स कम्प्लीट हो चुकी है, आर्ग्यूमेन्ट्स की स्टेज पर पहुंच चुका है और मैं आशा करता हूं कि १०-१५ दिन में सारा काम कम्प्लीट हो जायेगा।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय आपने इस स्कीम को प्रकाशित किया उस समय गुजरात गवर्नमेन्ट से इस रेसीप्रोकेसिटी के बेसिस पर आपने स्वीकृति ले ली थी या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने कहा है, कि ऐसा कोई स्टेटमेंन्ट एल०आर० के सामने नहीं दिया ।

श्री भैरोंसिंह : आपने स्वीकृति ले ली थी या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : यह मैं नहीं कह सकता कि पहले ली या बाद में ली, लेकिन यह सही है कि गुजरात गवर्नमेन्ट से बात-चीत कर ली है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि दूसरी स्टेट में गाड़ियां आने-जाने के लिए यदि रूट्स का नेशनलाइजेशन किया जाये तो दूसरी स्टेट्स से उसकी अनुमति लेना आवश्यक है ?

श्री मथुरादास माथुर : हां, वह ठीक है, आवश्यक है और बातचीत कर ली है ।

श्री भैरोंसिंह : जब यह आवश्यक है तो क्या यह मानकर चला जाये कि जिस समय आपने स्कीम को प्रकाशित किया था उस समय गुजरात गवर्नमेन्ट की सेंक्शन आपके पास थी ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं इस समय नहीं कह सकता कि उस वक्त थी या नहीं या बाद में ले ली गई । लेकिन आज की स्थिति यह है ।

श्री भैरोंसिंह : आज की स्थिति पूछ नहीं रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि उस समय क्या सूचना एल० आर० को दी उसके लिए मंत्री महोदय, तैयार नहीं हैं । उनके ध्यान में एक त्रुटि थी जिसका उल्लेख कर दिया गया है ।

श्री भैरोंसिंह : लेकिन वह जवाब नहीं दे सकते तो फिर इसको पोस्टपोन कर दिया जाये । जब उनके पास जानकारी नहीं है तो इसको बाद में ले लें ।

श्री अध्यक्ष : अब उसका क्या महत्व है ?

श्री भैरोंसिंह : महत्व है तभी तो अर्ज कर रहा हूं ।

दूसरे यह बतायें कि अजमेर-भीलवाड़ा रूट है उसमें जिस प्रकार की त्रुटि बताई है क्या जिस समय स्कीम प्रकाशित की गई उसी समय नोटिस में ली गई थी कि स्कीम डिफेक्टिव प्रकाशित की जा रही है और उसका लोगों को फायदा मिलेगा इसलिये इस स्कीम को करेक्ट किया जाये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जिस समय यह स्कीम प्रकाशित हुई उस समय यह बात नोटिस में लाई गई हो, ऐसी बात नहीं है । सबसे पहले हमारे नोटिस में जब उच्च न्यायालय मे केस गया और वहां इसके संबंध में बहस हुई तो वहां महसूस किया गया, तब हमने इसको सुधारने का प्रयत्न किया । इसीलिए हाईकोर्ट के ऑर्डर्स से

Page No.8

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

जब कि उन्होंने रिमाण्ड किया रीकन्सीडरेशन के लिए तो हमने एक संशोधन रूल्स जो इन्डीविजुअल के थे उस रूट पर फॉल होते थे, कई तो इन्क्लूड हो गये थे और कुछ इन्कलूड होने से रह गये थे, इसलिए हमने एक संशोधन पेश किया एल०आर० के पास लेकिन उसको पेश करने के बावजूद भी क्योंकि....

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कि अजमेर-भीलवाड़ा रूट के प्रकाशित होने के बाद एल०आर० ने इस स्कीम को डिफेक्टिव बताया और गवर्नमेन्ट ने हाईकोर्ट में जाने से पूर्व इसको दुरुस्त नहीं किया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एल०आर० से ६-२-६५ को ही इसका फैसला हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : स्कीम जिस समय एल० आर० के पास पेश हुई उस समय एल० आर० ने इस स्कीम को डिफेक्टिव बताया, लेकिन गवर्नमेंट ने माना नहीं जिसके कारण से लोग हाई कोर्ट में गये और हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर आये, फिर संशोधन पेश किया और जिस संशोधन को एल० आर० ने माना नहीं और दुबारा स्कीम बनाई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह बात सही है कि हाई कोर्ट ने रिमाण्ड किया। यह बात भी सही है कि रिमाण्ड करने के बात संशोधन किया है लेकिन संशोधन करने के बावजूद, पहले कर देते और बाद में कर देते तो फर्क नहीं है, उसके बावजूद एल० आर ने यह कहा कि इस प्रकार का संशोधन नहीं हो सकता और गवर्नमेंट को चाहिए कि नई योजना प्रकाशित करे और उसके आधार पर कार्यवाही करे।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय एल० आर० के पास पहले नम्बर पर यह स्कीम गई और उन्होंने उस समय उसको डिफेक्टिव बताया फिर इसको गवर्नमेंट ने दुरुस्त क्यों नहीं किया उस समय ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह जानकारी मुझे नहीं है कि प्रारूप जब प्रकाशित हुआ तो फर्स्ट स्टेज पर ही लीगल रिमेम्ब्रेन्सर ने कह दिया कि यह डिफेक्टिव है और फिर उसको नहीं सुधारा हो, ऐसी बात मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि भीलवाड़ा - उदयपुर रूट पर जिन जिन रूट्स को कवर करना था नेशनलाइजेशन के कारण से तो उसकी लिस्ट डिपार्टमेंट के पास होती है न कि बस मालिकों के पास और मालिकों की लिस्ट पर इत्मिनान करके ७ घंटों को शामिल नहीं किया गया, इसलिए वे हाई कोर्ट में गये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो हमारे ऑफिसर्स है, ए० टी० आर० वगैराह, उनसे लिस्ट मांगते हैं कि इस रूट पर और निजी मालिकों की कौन कौन सी रूट पड़ती है जिनका ओवरलेपिंग होता है। जो कुछ वे लिस्ट भेजते हैं उसके आधार पर

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

कार्यवाही की जाती है । लेकिन जो उन्होंने लिस्ट भेजी है नीचे से उसके अन्दर कुछ रूट्स जिनको कि इन्क्लूड करना चाहिये था और इन्क्लूड नहीं किया और नहीं करने की वजह से यह डिफेक्ट, जो कि हाई कोर्ट ने पोइंट आउट किया, रह गया जिसको कि हमने सुधारने की बाद में कोशिश की ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस डिफेक्ट को एल० आर० ने गवर्नमेंट के नोटिस में ला दिया था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हमारी नोलेज में ऐसा नहीं है कि लीगल रिमेम्ब्रेन्सर ने कह दिया हो कि यह डिफेक्ट हैं, इसको सुधारो ।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय यह डिफेक्ट डिटेक्ट हुआ और स्कीम प्रकाशित हुई तो इस बीच में कितना समय लगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : स्कीम तो प्रकाशित हो गई और स्कीम प्रकाशित हो जाने के बाद बड़े अर्से में हाई कोर्ट में गये और हाई कोर्ट ने इस डिफेक्ट के आधार पर इस पर पुनः देख कर फैसला करने के लिये लीगल रिमेम्ब्रेन्सर को भेजा और लीगल रिमेम्ब्रेन्सर ने उसका फैसला करके भेजा ।

श्री भैरोंसिंह : मेरा आशय बिल्कुल इतना सा है कि यह डिफेक्ट गवर्नमेंट के नोटिस में पहले आ गया था और गवर्नमेंट ने इस स्कीम को जान-बूझकर डिले करने के कारण उन लोगों के हाईकोर्ट में जाने के बारे में एक प्रकार की स्थिति पैदा की और सारी स्कीम में डिले जान-बूझ कर करवाई गई ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा गवर्नमेंट ने जान-बूझ कर कोई डिले नही की और न गवर्नमेन्ट का कोई इस प्रकार का इरादा था ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस प्रकार के डिफेक्ट में इस तरह के रूट्स पोइन्ट आउट किये गये थे यह पहली स्कीम में भी पोइन्ट आउट किये गये थे और अब की बार भी फिर उनको रिपीट किया गया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नहीं यह बात नहीं है, बल्कि हाईकोर्ट से पोइन्ट आउट होने के बाद संशोधन कर डाला लेकिन उन संशोधनों को लीगल रिमेम्ब्रेन्सर ने नहीं माना और कहा है कि इस तरह का संशोधन नहीं किया जा सकता बल्कि पूरी स्कीम नई पब्लिश होनी चाहिए । यह जजमेंट फरवरी में हुआ है और उसका नया प्रारूप तैयार किया जा रहा है, उसमें इस बात की हिदायत दे दी गई हैं कि इस तरह की गलती न हो । इसलिए दुबारा वेरीफिकेशन रूल्स का कर रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस डिफेक्ट के अलावा और भी डिफेक्ट था इस स्कीम में ? क्या इस बात का भी डिफेक्ट था कि शटल बस सर्विस के बारे में कोई प्रावधान नहीं रखा था भीलवाड़ा-उदयपुर रूट में ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : I have not followed your question.

श्री अध्यक्ष : शटल बस सर्विस, जो दो छोटे-छोटे प्लेसेज़ के बीच में चलती है, उसका प्रावधान नहीं था, इसलिए माननीय सदस्य ने कहा कि वह अपूर्ण है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो छोटी छोटी रूट्स नहीं थीं उनको नोटिस नहीं दिया, यह आपने डिफेक्ट बताया है इस स्कीम में यह डिफेक्ट भी था कि शटल बस का इसमें प्रावधान नहीं रखा है...

श्री भैरोंसिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारी स्कीम को डेलीबरेटली डिफेक्टिव बनाया जाता है। जान-बूझ कर इसके लिए कि ... ऑपरेटर्स का किस प्रकार से एक्सप्लाइटेशन किया जा सके, इसकी एक प्लॉन्ड कॉन्स्पिरेसी चलती है कि जिसे चाहे उसे नोटिस से निकाल दिया और डिफेक्ट आ गया। वह एल० आर० के पास जाये, हाई कोट में जाये लेकिन उस समय तो उसका कचूमर निकल जाये और सवारियों का कचूमर निकल जाये। मैं चाहूंगा कि इस नेशनलाइजेशन में जो नेशनलाइजेशन की स्कीम्स बन रही हैं, बनी हैं उनमें जान-बूझ कर डिफेक्ट्स रखे गये हैं उन ऑफिसर्स के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया ?

श्री मथुरादास माथुर : इस प्रश्न के उत्तर में कह दिया है कि उन ऑफिसर्स के खिलाफ जिन्होंने यह....

श्री अध्यक्ष : केवल उनका ही नहीं बल्कि लॉ डिपार्टमेंट के जो नोटिस में डिफेक्ट आया और उन्होंने पोइन्ट आउट किया उसको नहीं माने या गलत तरीके से किया।

श्री मथुरादास माथुर : वह मैं मानने को तैयार नहीं कि लॉ डिपार्टमेंट के नोटिस में नहीं आया ..

श्री अध्यक्ष : बगैर जांच कैसे मानने को तैयार नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : एल० आर० एक जुडिशियल ऑफिसर होता है इस स्कीम के अन्दर। उसको एन्क्वायरी करनी पड़ती है उसके अन्दर पहले डिपार्टमेंट, और अब रोडवेज कोर्पोरेशन हो गया है वह स्कीम बना कर गजट में निकलता है और फिर एल० आर० के पास में जाती है और एल० आर० ऑब्जेक्शन इन्वाइट करता है और लोगों की एवीडेन्सेज होती हैं और उसके बाद में फैसला कर देता है। उसके बाद में वह काम में आती है।

श्री अध्यक्ष : कितने अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मथुरादास माथुर : उसकी एन्क्वायरी हो रही है। नोटिस दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : कितने को नोटिस दिया है ?

श्री मथुरादास माथुर : दो आर० टी० ओ० हैं उनको नोटिस दिया गया है।

Page No.11

श्री भैरोंसिंह : नोटिस किस बात का है ?

श्री मथुरादास माथुर : ओवरलेपिंग रूट क्यों नहीं पोइन्ट आउट की गई और क्यों नहीं स्कीम में डाला गया ?

श्री भैरोंसिंह : इसमें नोटिस की कौन सी बात है जब कि हाई कोर्ट का कन्क्लूजन है कि यह रूट नहीं आई नोटिस में ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं यह निवेदन कर दूं कि जब नेशनलाइज़ेशन होता है तो बड़ी बड़ी रूट नहीं होती है। इसमें सबसे बड़ा टेक्निकल पोइन्ट यही रहता है कि एक रूट चल रही है वह इस तरह से, चल रही है और अब यह रूट इस तरह से, तो नतीजा क्या होता है कि उसके ऊपर एक-दो मील उनका अगर कोई मैन रोड पर आता है और फिर नीचे उतर जाते हैं तो ओवरलेपिंग मानते है।

श्री अध्यक्ष : वह स्पष्ट दो मील का ओवरलेपिंग है।

श्री मथुरादास माथुर : इसमें १०० मील का एक रोड है परन्तु एक फर्लांग का मेन रोड पर आ जाता है तो ओवरलेपिंग माना जाता है। यह बहुत बड़ा डिस्प्यूटेबल पोइन्ट है कि एक मील का भी ओवरलेपिंग होता है तो वह ओवरलेपिंग माना जाता है। एक रूट एक मील भी डांमर की सड़क पर चल कर उतर गई तो क्या फर्क पड़ता है ? वह हमारे कॉन्फलिक्ट में आता नहीं है। यह बात पोइन्ट आउट होने के बाद में नये रूट बनाये जाते हैं। इसलिए जिन लोगों ने जान-बूझ कर गड़बड़ की है उन लोगों को नोटिस देकर उनके खिलाफ जांच-कार्यवाही कर रहे हैं और आगे के लिए हिदायत की गई है कि आधा मील का टुकड़ा भी मैन रोड का आ जाता है तो वह भी नहीं आना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : आपको यह इन्फोर्मेशन गलत दी, उसके बारे में जो ऑफिसर के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, लेकिन उदयपुर-चित्तौड़-नाथद्वारा-कांकरोली होती हुई जाती है सड़क और उदयपुर, मंगलवाड़ा होते हुए जो सड़क जाती है भीलवाड़ा रूट तो इन दोनों सड़कों को छोड़कर बीच का रूट क्यों अख्त्यार किया है। अगर नेशनलाइज़ेशन करना था तो उन दोनों सड़कों को करना था बीच की सड़क तो बनी हुई नहीं है। तो इसके नेशनलाइज़ेशन की स्कीम बना कर बस ऑपरेटर को उठाकर आपको अपना जो मतलब निकालना था वह पूरा कर लिया।

श्री मथुरादास माथुर : हमने जब यह नेशनलाइज़ेशन एप्लाई किया था....

श्री अध्यक्ष : यह सदन में बहुत बार विचार में आ चुका है।

श्री मथुरादास माथुर : अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने यह तय कर लिया है कि उदयपुर-चित्तौड़, भीलवाड़ा-चित्तौड़ और उदयपुर-अजमेर की जो सड़कें हैं इन्हीं रूट्स को नेशनलाइज़ करने के लिए नोटीफाइ करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : वाया नाथद्वारा और मंगलवाड़ा ?

Page No.12

श्री मथुरादास माथुर : हां।

श्री भैरोंसिंह : वाया मंगलवाड़ा में दीनूभाई की गाड़ी चलती है। उसका नेशनलाइजेशन नहीं हो सकता है।

श्री मथुरादास माथुर : नहीं, यह बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : यही कारण है और कुछ नहीं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्य ने यह जो भीलवाड़ा-अजमेर रूट के बारे में कहा था कि एल० आर० के सामने कोई इस तरह की बात आई या नहीं, उसमें मैं भूल से दूसरी बात कह गया था, उसको दुरुस्त करना चाहता हूं कि वहां पर यह सवाल आया और आने के साथ साथ जो गलती बताई जाती है उसका संशोधन कर दिया और संशोधन करके एल० आर० ने संशोधित स्कीम को एप्रूव कर दिया, जो डिफेक्ट्स बताये जाते हैं उनको रिमूव करके एप्रूव कर दी। उस पर जब हाई कोर्ट में गये तो उन्होंने कहा कि एल० आर० को इस तरह के संशोधन करने का अधिकार नहीं है, वह पुनः निर्णय देने के लिये आया तो एल० आर० ने कहा कि आपको पूरी स्कीम नये सिरे से बनानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : यह पहले ही कह देते ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने कहा था कि इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैं एल० आर० के लिये कह रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान में हाई कोर्ट की पहली रूलिंग हो चुकी थी कि संशोधन नहीं किया जा सकता। यदि करना है तो पूरी स्कीम को चेन्ज करना था।

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुलजब्बार।

कनेरा सड़क निर्माण में आई भूमि

६४६. **अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) लूनखन्दा (निम्बाहेड़ा) में कनेरा सड़क के निर्माण में कितने खेतों की जमीन आई है ?

(२) क्या यह सही है कि कनेरा सड़क में आई खेतों की जमीन का आज तक लगान लिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों और क्या सरकार वसूल-शुदा लगान वापिस करने का इरादा रखती है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : लूनखन्दा ग्राम में ६६ खेतों की भूमि सड़क में आई है।

(२) जी नहीं; प्रश्न नहीं उठता।

श्री अब्दुलजब्बार : यह मुआवजा कब दिया ?

श्री हरिश्चन्द्र : आपने तो लगान के बारे में पूछा है।

श्री अब्दुलजब्बार : लगान लेने का मतलब यह होता है कि मुआवजा नहीं दिया गया।

Page No.13

श्री हरिश्चन्द्र : आप अब मुआवजे की बात करते हैं, आपने लगान के लिये पूछा था; मैंने कहा, प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अब्दुलजब्बार : लगान लिया जा रहा है तो मतलब यह है कि मुआवजा नहीं दिया गया ?

श्री हरिश्चन्द्र : लगान नहीं लिया गया है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या मुआवजा दिया गया है ?

श्री हरिश्चन्द्र : दिया गया होगा तो मुझे पता नहीं । आपने लगान के लिये पूछा था उसका मैंने जवाब दे दिया ।

प्रश्न संख्या ६४७

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

राजस्थान बिजली व नल विभाग फैडरेशन को मान्यता

६४८. रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान बिजली व नल विभाग फैडरेशन की मान्यता इसी बिना पर रद्द की गई थी कि उसका रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया था ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त फैडरेशन ने रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन्स के इस निर्णय को अदालत में चुनौती दी और डिस्ट्रिक्ट एण्ड सैशन्स कोर्ट ने रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन्स का आदेश रद्द कर फैडरेशन के रजिस्ट्रेशन को बहाल कर दिया ?

(३) क्या उक्त फैडरेशन की मान्यता को बहाल करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ?

उप-मन्त्री, विद्युत (श्री चंदनमल वैद) : (१) जी हां ।

(२) जी हां ।

(३) जी नहीं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फैडरेशन की मान्यता कब रद्द की थी और रजिस्ट्रेशन कब रद्द हुआ था ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : १९६२ के अन्दर ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फैडरेशन का रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ उसके बाद रिकॉग्निशन विद्ड्रा हुआ, इन दोनों के बीच में कितना वक्त था ?

श्री हरिश्चन्द्र : किसका रजिस्ट्रेशन ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : फैडरेशन का ।

श्री हरिश्चन्द्र : वह तो रद्द हो गया ।

Page No.14

श्री रामानन्द अग्रवाल : रिकॉग्निशन वापिस लिया उसके बीच में और कंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के बीच में कितना समय गुजारा ?

श्री हरिश्चन्द्र : डेट मेरे पास नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रश्न के भाग (३) का जवाब दिया उसमें 'जी नहीं' कहा, इस फैडरेशन का रिकॉग्निशन इस बिना पर छीना गया कि रजिस्ट्रेशन कंसिल हो गया। क्या इसलिये आपने रिकॉग्निशन वापिस लिया ?

श्री हरिश्चन्द्र : एक ही फैडरेशन था इसलिये दूसरे फैडरेशन को रिकॉग्नाइज कर दिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अब उस फैडरेशन का रजिस्ट्रेशन रेस्टोर हो गया है अदालत से यह फैसला देकर कि रजिस्ट्रार को कंसिल करने का पॉवर नहीं था। क्या यह सही है कि इस तरह का फैसला अदालत से हुआ है ?

श्री हरिश्चन्द्र : आपने क्या पूछा ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या अदालत ने यह फैसला दिया है कि रजिस्ट्रार को कोई पॉवर नहीं था इस फैडरेशन के रजिस्ट्रेशन को कंसिल करने का ?

श्री हरिश्चन्द्र : ऐसी मेरे पास जानकारी नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अब उस फैडरेशन का रजिस्ट्रेशन रेस्टोर हो गया और रिकॉग्निशन इस बिना पर विद्ड्रा हुआ कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था। अब जब कि रजिस्ट्रेशन रेस्टोर हो गया है तो उसका रिकॉग्निशन रेस्टोर क्यों नहीं करते ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसके लिये फैडरेशन लीगल कार्यवाही करे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि कोड ऑफ डिसीप्लिन में यह बात मन्जूर की है कि ऐसे यूनियन या ऐसे ट्रेड यूनियन को जिसकी मेम्बरशिप १५ परसेन्ट हो और जिसकी एग्जिस्टेन्स एक साल की होगी उसको मान्यता दी जायगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने जैसा कहा, एक फैडरेशन था उसको रिकॉग्नाइज कर दिया उसका रजिस्ट्रेशन रद्द होने के कारण रिकॉग्निशन विद्ड्रॉ कर लिया गया था। अब यदि डिसीजन रजिस्ट्रेशन रेस्टोर करने का हो गया है तो वे अकोरडिंग टू लॉ कार्यवाही करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आपने रजिस्ट्रेशन के बिना पर रिकॉग्निशन विद्ड्रॉ किया था अब जब कि रजिस्ट्रेशन रेस्टोर हो गया तो रिकॉग्निशन करना चाहिये।

श्री हरिश्चन्द्र : Registration and recognition are two different things.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : This is administrative matter. Your department has to give recognition.

Page No.15

श्री हरिश्चन्द्र : That is not an administrative matter. You will have to go to the Registrar and under the existing law you have to take it

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही नहीं है कि कोड ऑफ डिसीप्लिन में यह भी है कि यदि दो यूनियन हैं तो जिस यूनियन के पीछे मेजोरिटी है उसको मान्यता दी जायगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : हो सकता है, "जी हां" ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार इस विना पर कौनसा यूनियन मेजोरिटी में है, इस बात की जानकारी करने की कोशिश करेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह तो आप करिये । This is for the Federation to go and claim. It is a voluntary registration. जो रिकॉग्निशन वॉलन्टियरी है; It has nothing to do with the recognition.

श्री रामानन्द अग्रवाल : कोड ऑफ डिसीप्लिन के अनुसार मेजोरिटी वाले यूनियन को मान्यता देने के लिये क्या आप तैयार हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : अभी यह भी पता नहीं है कि आपके पास मेजोरिटी है या नहीं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या आपने कोशिश की जानकारी करने की ?

श्री हरिश्चन्द्र : वह तो रजिस्ट्रार करेगा ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : कोड ऑफ डिसीप्लिन की तहत किसी फैडरेशन की मान्यता को रद्द करने से पहले नोटिस देने की जरूरत क्यों नहीं समझी ?

श्री हरिश्चन्द्र : वहां तो एक ही फैडरेशन था नोटिफिकेशन किस प्रकार देते ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने क्या एक्शन लिया जब कि सेशन्स जज ने डिसीज़न लिया कि कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन रोंगली हुआ है, इस पर आपने क्या एक्शन लिया ?

श्री हरिश्चन्द्र : कोई नहीं लिया ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्यों नहीं लिया जब कि जजमेन्ट में कहा है कि यूनियन का रजिस्ट्रेशन रोंगली कैंसिल किया है ?

श्री हरिश्चन्द्र : कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है । किसी के फैसला के खिलाफ कोई अपील करता है तो उसका मतलब यह थोड़े ही है कि उस मजिस्ट्रेट को हैंग किया जाय ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : There is a code of discipline.

कोड ऑफ डिसीप्लिन से आप भी बन्धे हुए हैं और मजदूर भी बन्धे हुए हैं । कोड

Page No.16

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

ऑफ डिसीप्लिन का आपने ब्रीच किया है।

श्री हरिश्चन्द्र : कोई ब्रीच नहीं किया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दूसरा फेडरेशन जिसको आपने मान्यता दी उसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ और रजिस्ट्रेशन होने के कितने दिनों बाद उसको मान्यता दी गई ?

श्री हरिश्चन्द्र : मेरे पास तारीख नहीं है लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल्स मान्यता दी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह बात सही नहीं है कि उस फेडरेशन को एक साल होने में पेश्तर आपने रिकॉग्नाइज़ कर दिया ?

श्री हरिश्चन्द्र : मेरी जानकारी नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह साफ है कि एक फेडरेशन एग्ज़िस्टेन्स में है उसका गैर-कानूनी तरीके से रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते हैं, रजिस्ट्रार के द्वारा पहले नोटिस देना जरूरी था कानूनी तरीके से लेकिन बगैर नोटिस दिये रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया......

श्री हरिश्चन्द्र : According to law, we have done it. There is only one union.

उसको रिकॉग्नाइज़ कर दिया। आपका रजिस्ट्रेशन रेस्टोर हो गया है तो अकोर्डिंग टू लॉ आपको कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कोड ऑफ डिसीप्लेन के अनुसार क्या आपकी यह ड्यूटी नहीं है कि आप रिकॉग्निशन रेस्टोर करें।

श्री हरिश्चन्द्र : आप अपनी मेजोरिटी प्रूव करिये।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : मेजोरिटी होती तो वहां बोलते। मेजोरिटी नहीं है तभी तो यहां बोल रहे हैं, नहीं तो वहां बोलते।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, एक मामला कोर्ट में चल रहा है, रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ने कैंसिल किया, उसकी अपील कोर्ट में चल रही थी उस बीच में रिकॉग्निशन सरकार ने इरादतन कैंसिल कर दिया। यह अधिकार सरकार का बहुत बुरा है, कोर्ट में जब चल रहा था तो आपको रिकॉग्निशन कैंसिल नहीं करना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ! अगला प्रश्न !

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री ने कोड ऑफ डिसीप्लेन के अनुसार भी जो बातें हैं उनका आश्वासन देने से इन्कार किया है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : कोड ऑफ डिसीप्लिन के अनुसार रिकॉग्निशन खारिज हुआ है और उसी के अनुसार दूसरे को मान्यता दी है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : गलत है। एक यूनियन का जब तक एग्जिस्टेन्स एक साल का नहीं हो जाय तब तक नहीं दे सकते । अध्यक्ष महोदय, दो जगह तोड़ा है कोड ऑफ डिसीप्लिन को । नई यूनियन को एक साल से पहले रिकॉग्निशन नहीं दे सकते ।

श्री हरिश्चन्द्र : अकोर्डिग टू लॉ हमने किया है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं कहता हूं कि अकार्डिग टू लॉ नहीं किया है ।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय का कहना है कि जिस समय उसको रिकॉग्नाइज किया गया उस समय दूसरी जो यूनियन थी उसका रिकॉग्निशन विदड्रॉ हो चुका था ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक साल जब तक उसे नहीं हो जाय तब तक नहीं किया जा सकता । इसके बाद जिसका कैंसिल किया है और जिसका कैन्सलेशन अन्डर डिस्प्यूट था कोर्ट में....

श्री हरिश्चन्द्र : वह कैन्सलेशन हो गया था ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसको चैलेंज किया गया था तो आपको उसे मौका देना चाहिए था कि वह रिकॉग्निशन का रिन्यूअल करा ले ।

श्री हरिश्चन्द्र : आपका मतलब है कि जब तक उसका डिसीजन नहीं होता तब तक किसी वर्कर्स की यूनियन को, जो विद्युत् में थे, रिकॉग्नाइज नहीं करते ?।

श्री मुरलीधर व्यास : एक साल तक नहीं किया जा सकता नई यूनियन को रिकॉग्नाइज़ !

श्री हरिश्चन्द्र : क्यों ?

श्री मुरलीधर व्यास : क्योंकि कोड ऑफ डिसीप्लिन में नहीं है ।

श्री हरिश्चंद्र : Recognition is a voluntary thing. Employer has every right to recognise any union it wants.

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, any union it wants, यह गलत है। यह पोजिशन है, it is a breach of the code of discipline. आप रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकते ।

श्री हरिश्चन्द्र : हम जांच करते हैं और जो मेजोरिटी में यूनियन है उसको रिकॉग्नाइज़ किया जायगा । लेकिन यह बंदिश नहीं है कि....

श्री रामानन्द अग्रवाल : कोड ऑफ डिसीप्लिन के अनुसार मान्यता देते हैं तो उसमें आपके ऊपर यह बाइंडिंग है कि मेजोरिटी में यूनियन है उसी को मान्यता दें ।

Page No.18

श्री हरिश्चन्द्र : मैं कहता हूं कि मेजोरिटी को हमारे द्वारा रिकॉग्नाइज़ किया जाता है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह मोरेली भी जरूरी है ।

श्री हरिश्चन्द्र : This is a convention which is followed. But the employer has every right to recognise any union it wants.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह नेचुरल जस्टिस का सवाल है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कोड ऑफ डिसिप्लिन के अनुसार दूसरी यूनियन को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए, मेजोरिटी यूनियन को मान्यता दी जानी चाहिए ।

श्री हरिश्चन्द्र : अभी तो मेजोरिटी में है या नहीं यही, मालूम नहीं है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जब यह राइट क्लेम करते हैं कि मेजोरिटी में हैं तब आपका यह डिस्क्रिशन होता है कि मान्यता दें या नहीं दें । अध्यक्ष महोदय, जब यह मांग करते हैं कि राइट ऑफ रिकॉग्निशन टू दी मेजोरिटी यूनियन हो, तब उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाय या नहीं, यह एम्प्लॉयर का डिस्क्रिशन होता है । मेरा निवेदन है कि यह ठीक नहीं है । कोड ऑफ डिसीप्लिन के अनुसार क्योंकि वह पहले की यूनियन है तो उस मेजोरिटी यूनियन को कम्पलसरी रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा ।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने कहा कि मेजोरिटी है या नहीं, यही बात अन्डर डिस्प्यूट है कि है या नहीं । इस बात को डिटार्मिन करेंगे; then we will see.

श्री रामानन्द अग्रवाल : होगी तो मान्यता देंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास । माननीय सदस्य !

चेतक सिनेमा उदयपुर पर मनोरंजन कर की बकाया

६४६. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) उदयपुर में चेतक सिनेमा का मालिक इस समय कौन है ? उसने इस सिनेमा को किससे किन शर्तों पर खरीदा था ?

(२) क्या यह सही है कि इस सिनेमा का मनोरंजन कर का पैसा सरकार को नहीं मिला है ? यदि हां, तो कितना और कब से ?

उप-मंत्री, वित्त (श्री परसराम मंदेरणा) : (१) चेतक सिनेमा का लाइसेन्स मेसर्स सांघी मोटर्स, उदयपुर के नाम पर है जो कि इसके मालिक हैं ।

(श्री परसराम मदेरणा)

(२) इस सिनेमा में मनोरंजन कर की कोई रकम बकाया नहीं है।

श्री **मुरलीधर व्यास** : इसके जो मालिक हैं वे नये मालिक हैं, पुराने जो मालिक हैं उनके ऊपर रकम बकाया नहीं है ?

श्री **परसराम मदेरणा** : मैंने जवाब दिया उसे आप सुन नहीं रह थे।

श्री **मुरलीधर व्यास** : आवाज नहीं आई।

श्री **परसराम मदेरणा** : मैंने कहा मेसर्स सांघी मोटर्स पहले के मालिक हैं, उनमें कोई रकम बकाया नहीं है।

श्री **मुरलीधर व्यास** : तब ठीक है।

श्री **गिरधारीलाल व्यास** (आसींद) : Your information has faild.

श्री **अध्यक्ष** : श्री भानुप्रसाद कराड़िया।

गोविन्दगढ़ क्षेत्र की ग्राम पंचायतों द्वारा बिजली के लिए दर्ख्वास्तें

६५०. श्री **भानुप्रसाद कराड़िया** (चौमू) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

पंचायत समिति, गोविन्दगढ़ के क्षेत्र की किस २ ग्राम पंचयतों ने बिजली प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र दिये हैं और उनमें से किस किस को बिजली दी गई है और किस किस को नहीं ? नहीं देने के क्या कारण हैं और अब कब तक दे दी जावेगी ?

उप-मन्त्री. विद्युत् (श्री चन्दनमल वैद) : गोविन्दगढ़ पंचायत समिति के निम्न-लिखित ग्राम पंचायतों ने विद्युतिकरण के लिये प्रार्थना पत्र दिये हैं :

चौमू, सामोद, कालाडेरा, गोविन्दगढ उदयपुरिया, नवपुरा, इटावामोपजी, सीता-रामपुरा, हाडोता, फतपुरवासा, अनन्तपुरा, जैतपुरा, कचोलिया, मोजवाला, ढोडसर, कोली, टाकेडा, रायपुरा डावडी, जयसिंह-पुरा, सिरसली, नांगलकला, चिमनपुरा आदि।

इनमें से निम्नलिखित गांवों का विद्युति-करण कर दिया गया है :

चौमू, कालाडेरा, सामोद, नवपुरा, गोविन्दगढ़, माहरकलां, रामपुरा, डाबरी, मोजलावा, हाडोता।

निम्नलिखित गांवों का विद्युतिकरण प्रगति पर है :

अनन्तपुरा, जैतपुरा, सिरसली, कचोलिया।

शेष ग्रामों के विद्युतिकरण के लिये स्वीकृति होने पर इन गांवों का विद्युतिकरण कर दिया जायेगा।

श्री **मानसिंह महार** (आमेर) : कब तक कर दिया जायगा ?

Page No.20

श्री चन्द्रनमल वैद : फ्यूचर में।

प्रश्न संख्या ६५१

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६५२

श्री सांवलियाराम।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६५३

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६५४

श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६५५

श्री हनुमानसिंह चौधरी।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री गोकुलचन्द।

लक्ष्मणगढ़ से कठूमर व अरुवा सड़क की मरम्मत

६५६. श्री गोकुलचन्द (कठूमर-सु.) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि लक्ष्मणगढ़ कठूमर और आगे अरुवा से कुछ दूर तक (जिला अलवर) सड़क की हालत इतनी खराब है कि बसें मुश्किल से चल पाती हैं ?

(२) क्या सम्बन्धित अधिकारियों ने कभी सड़क की जांच की है ? यदि हां, तो इसकी मरम्मत क्यों नहीं की जाती है ?

(३) अब कब तक इस सड़क को दुरुस्त करा दिया जावेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) सड़क की हालत कुछ खराब है। बसें नियमित रूप से चलती हैं।

(२) सड़क नियमित रूप से देखी जाती है। सड़क की मरम्मत स्वीकृत धन-राशि के अनुसार की जाती है।

(३) २३ मील में से ६ मील ठीक करा दी है, ४ मील में कार्य चालू है।

श्री गोकुलचन्द : हमेशा यह इन्जीनियर कहते रहते हैं कि कि सरकार से पैसा नहीं मिलता है। मैं निवेदन करूंगा कि इसका ध्यान रखा करें।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : अब रखा जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल।

कोटा-भोपाल रूट की बसें

६५७. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु०) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री श्रवणलाल)

(१) कोटा-भोपाल रूट पर राजकीय बसें कब से चलना शुरू हुई तथा इससे कितनी आमदनी होती है ? गत ६ महीने के आंकड़े अलग अलग दें। इसमें अलग से यह भी बतावें कि कोटा बुकिंग ऑफिस की इन महीनों में क्या आय रही है ?

(२) उक्त रूट पर फरवरी, १९६४ के पहले टिकट काटने का क्या तरीका रहा और अब इसको बदलने का क्या कारण है ?

(३) क्या यह सही है कि दि० ३-२-६४ को एक गाड़ी नं० आर० जे० एल० २३४ में उक्त रूट पर २८ सवारी बिना टिकट से जाती हुई पकड़ी गई थी ? और उक्त खबर कोटा से निकलने वाले "दकाल" (साप्ताहिक अखबार) में १५-२-६४ को प्रकाशित भी हुई थी ? यदि हां, तो उक्त केस अब किस स्टेज पर है ?

(४) क्या यह सत्य है कि उक्त केस में डिपो मैनेजर, कोटा इन्टरेस्टेड हैं और वो इस केस को दबा रहे हैं ?

(५) क्या यह सही है कि जब फ्लाइंग स्क्वेड २७ जनवरी, १९६४ को कोटा-भोपाल रूट पर जा रही थी तो डिपो मैनेजर, कोटा ने वर्कशॉप जीप भेज कर मेटर निकलवा लिये और इस प्रकार कन्डक्टर को जो ३-२-६४ को पकड़ा गया, बचा लिया था और इन्चार्ज फ्लाइंग स्क्वेड पर झूठे आरोप लगा कर जयपुर वापिस भेज दिया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या इन्क्वायरी हुई और उस इन्क्वायरी का क्या परिणाम रहा ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) कोटा-भूपाल मार्ग पर राजकीय बसें दिनांक १७-१०-६३ से चलना प्रारम्भ हुआ, इस गाड़ी का बुकिंग कोटा बुकिंग ऑफिस से नहीं होता है, कन्डक्टर स्वयं ही इस गाड़ी का बुकिंग करता है। इसलिये कोटा के बुकिंग ऑफिस की आय का प्रश्न ही नहीं उठता। जुलाई से दिसम्बर, १९६४ तक इस रूट की आमदनी रुपये ७७,०९७. ६६ पैसे थी।

(२) पहले कोटा-भूपाल जाने वाले यात्रियों को दो टिकट दिये जाते थे। एक टिकट राजस्थान सीमा तक का और दूसरा राजस्थान नाके से भूपाल तक का जो मध्यप्रदेश में स्थित हैं, क्योंकि दोनों राज्यों के यात्री कर व किराये में अन्तर है, इसलिये ये दोनों टिकट अलग अलग बनाये जाते थे और यही नियम पहले से ही मध्यप्रदेश यातायात विभाग द्वारा काम में लाया जाता था और आज भी लाया जाता है, लेकिन राजस्थान राज्य सड़क यातायात निगम के प्रधान प्रबन्धक की दृष्टि में यह नियम ठीक नहीं समझा गया, इसलिये इसमें परिवर्तन किया गया कि टिकट दो जगह न दी जाकर एक ही टिकट बनाया जावे जिससे भ्रष्टाचार को मौका प्राप्त न हो सके। आज इस निगम द्वारा इसी नियम का पालन किया जा रहा है और राजस्थान व मध्यप्रदेश का यात्री कर अलग अलग दर्शाया जाता है।

(३) जी हां, श्री रामअवतार कन्डक्टर ३-२-६४ को २८ सवारियों से पकड़ा गया

Page No.22

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

था और दोषी ठहराया गया। जिस अपराध में उसको दण्ड दिया गया है और उसका एक सामयिक वेतन रोक दिया गया। यही कन्डक्टर जब बाद में बिना टिकट यात्री ले जाते पकड़ा गया तो इसे निलम्बित कर दिया गया है। इसकी जांच की जा रही है।

(४) जी नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ।

(५) यह सही है कि यातायात निरीक्षक फ्लाइंग स्क्वेड की जीप लेकर २७ जनवरी, सन् १९६४ को कोटा-भूपाल रूट पर जा रहे थे। चूंकि जीप का हॉर्न खराब था, अतः ड्राईवर को जीप लेकर वर्कशॉप भेजा गया। जांच से यह प्रकट हुआ कि जीप का गेटर दूसरे रोज जमीन पर पाया गया और इस कारण से वह उस रात को नहीं चल सकी, मगर यह अभी तक निश्चित नहीं हो सका कि गेटर किसके आदेश से या किसने निकाला, गाड़ी में पेट्रोल न था अतः यातायात निरीक्षक ने बुकिंग क्लर्क कोटा से रकम एक पत्र पर रसीद देकर प्राप्त की। राजकीय आय का बिना पूर्व स्वीकृति सीधे उपयोग में लाना मना है अतः श्री जोशी ने यातायात निरीक्षक के विरुद्ध उच्च अधिकारियों को अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु लिखा। यह आरोप सही था। लेकिन निरीक्षक की गबन करने की कोई नियत नहीं थी, अतः इस मामले की जांच करा कर निम्न व्यक्तियों को भविष्य के लिये चेतावनी दी गई :—

(१) श्री कान्तिचन्द्र जोशी, डिपो मैनेजर।

(२) श्री जगदीशप्रसाद।

(३) श्री रामनारायणसिंह।

श्री श्रवणलाल : यह जो २८ सवारियों को जाते हुए पकड़ा, यह कहां से कहां जा रही थीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अब कहां से कहां जा रही थीं, यह नहीं कह सकता; बिना टिकट जा रहे थे इसलिए पकड़ा।

श्री श्रवणलाल : कितना टिकट किराया बनता था, कहां से कहां तक का यह बतायें ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो किराया बनता था वह पकड़ कर वसूल कर लिया गया। गवर्नमेंट को किसी दृष्टि से नुकसान नहीं है। उसने जो गलती की है, बिना टिकट के उनको ले जा रहा था इसके लिए उनको सस्पेन्ड कर दिया गया है। अब जो नतीजा सामने आयेगा कार्यवाही का उसके मुताबिक कार्यवाही की जायगी।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : कब से जांच चल रही है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जब बिना टिकट लाते हुए पकड़ा गया, उसके बाद रिपोर्ट हुई तो कार्यवाही शुरू हुई। आठ-दस दिन के बाद शुरू कर दी गई।

Page No.23

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : जो फ्लाइंग स्क्वेड का और डिपो मैनेजर का सवाल उठा तो फ्लाइंग स्क्वेड को डिपो मैनेजर चैक करते हुए रोक सकता है या नहीं, यह कॉम्प्लीकेशन है। फ्लाइंग स्क्वेड पर डिपो मैनेजर सुप्रीम है या डिपो मैनेजर, पर फ्लाइंग स्क्वेड सुप्रीम है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : समझ में नहीं आया।

श्री अब्दुल जब्बार : प्रश्न में साफ तौर से बताया गया है, फ्लाइंग स्क्वेड की गाड़ी को रोका गया, उस पर चार्ज लगाया गया और जयपुर भेजा गया। मेरा मतलब है कि फ्लाइंग स्क्वेड पर डिपो मैनेजर सुप्रीम है या डिपो मैनेजर पर फ्लाइंग स्क्वेड सुप्रीम है। फ्लाइंग स्क्वेड अगर चैक करने के लिए जाता है तो डिपो मैनेजर उसको चैक कर सकता है या नहीं, इसका क्या क्राइटेरिया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : फ्लाइंग स्क्वेड ने कब पकड़ा ?

श्री अध्यक्ष : जयपुर मैनेजर ने थोड़े ही गाड़ी को रखा।

श्री अब्दुलजब्बार : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जयपुर मैनेजर बैठा हो और फ्लाइंग स्क्वेड चैक करता है.......

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री कृष्णकुमार गोयल।

श्री श्रवणलाल : कन्डक्टर ही टिकट काटता था और बाद में आपने परिवर्तन किया यह कब से परिवर्तन किया? कन्डक्टर ही टिकट काटता था। आपने परिवर्तन किया है जैसा आपने कहा है बुकिंग ऑफिस से....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो टिकिट कन्डक्टर ही काटता है, बुकिंग ऑफिस से नहीं इश्यू होते।

श्री श्रवणलाल : आपने कहा कि उसमें परिवर्तन किया है।

श्री अध्यक्ष : पहले मध्यप्रदेश और राजस्थान के अलग अलग दिये जाते थे। दो जगह दिये जाते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पहले दो जगह, मध्यप्रदेश के अलग और राजस्थान के अलग दिये जाते थे। इसको हमने डिफेक्टिव समझा। इसमें भ्रष्टाचार को मौका प्राप्त होता था इसलिये इसमें परिवर्तन किया।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : सरकार की राय में इसकी जांच जल्दी से जल्दी कितने समय में पूरी हो जानी चाहिये।

श्रीअध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६५८

श्रीकृष्णकुमार गोयल।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : वापिस आते हैं।

नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६५६

श्री तेजाराम गहलोत।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६६०

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री जुझारसिंह।

बस परमिट देने का आधार

६६१. श्री जुझारसिंह (चेचट) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) किसी स्वीकृत बस मार्ग पर बस परमिट देने की क्या प्रक्रिया तथा नियम है तथा सरकार द्वारा किसी मार्ग अथवा मार्गों के लिए परमिटों की अधिकतम या न्यूनतम संख्या किस प्रकार निश्चित की जाती है ?

(२) सालपुरा—छीपा बड़ोद, सालपुरा—मनोहरथाना तथा सालपुरा—अकलेरा मार्गों पर कितने बस परमिट तथा किनको जारी किये गये है ? कृपया पार्टी के नाम तथा वर्ष जब से उन्हें परमिट स्वीकृत किये गये हैं, बताने की कृपा करें ?

(३) क्या यह सही है कि उनमें से कुछ मोटर चालक इन मार्गों पर वर्षों से मोटर नहीं चला रहे हैं ? यदि हां, तो वे कौन कौन हैं ? सरकार ने दोषी पार्टियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) किसी भी स्वीकृत मार्ग पर परमिट देने की कार्यवाही मोटर व्हीकल एक्ट की धारायें ४७ व ५७ के अन्तर्गत की जाती है ?

(२)

	मार्ग का नाम	मोटर मालिक का नाम	परमिट देने की तारीख
१	२	३	४
(१)	सालपुरा-छीपा बड़ोद	कोटा ट्रांसपोर्ट लिमिटेड	१३-६-५२
(२)	सालपुरा-मनोहर थाना वाया बन्जीरा हरनावदा	(१) कोटा ट्रान्सपोर्ट लि०	१७-१२-५६
		(२) कन्हैयालाल	६-१०-५७
		(३) मुमताज हुसेन अब्दुल रज़ाक	१८-१०-५७
(३)	सालपुरा-मनोहर थाना वाया अकलेरा हरनावदा	(१) भवानीशंकर गिरधारीलाल	१८-१-५२
		(२) दयाराम एन्ड सन्स	६-१-५५

Page No.25

(श्री भीमसिंह)

१	२	३	४
		(३) कोटा ट्रान्सपोर्ट लि०	१-१-५२
		(४) टीकमचन्द	१०-२-६१
(४)	सालपुरा-मनोहर थाना वाया अकलेरा खास	(१) बूंदी इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०	६-३-६३
		(२) बूंदी इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०	४-३-६४
(५)	सालपुरा अकलेरा वाया छीपा बड़ोद	(१) सैयद अली	२१-११-५८
		बढ़ाया ब्यावर तक	५-१०-६४ से
		(२) मुमताज हुसैद कन्हैयालाल	१०-१२-५६
		मयाद खत्म होने के बाद नवीनीकरण नहीं किया गया।	

(३) मार्ग नं० १ सालपुरा-छीपा बड़ोद पर कोटा ट्रान्सपोर्ट लिमिटेड का वाहन काफी अर्से से बन्द है जिसका परमिट निरस्त करने की कार्यवाही आर. टी. ए. में जारी है। इसकी जगह एक नया परमिट रावराजा शंकरसहाय के नाम का मन्जूर कर दिया गया है और उनको वाहन लगाने की इत्तला दे दी गई है।

मार्ग नं०२ सालपुरा-मनोहर थाना वाया बन्जीरा हरनावदा पर मै० कोटा ट्रान्सपोर्ट लि० की गाड़ियां पेसेन्जर टैक्स के अधिकारियों द्वारा समय समय पर सीज़ करने की वजह से बन्द रही हैं व आज भी हैं जिसका केस भी वास्ते कार्यवाही के आर. टी. ए. में रखा हुआ है।

कन्हैयालाल का परमिट खत्म हो चुका है वह रिन्युअल नहीं किया गया है इसकी वजह दूसरा परमिट देने की कार्यवाही जारी है। मार्ग नं० ३ सालपुरा-मनोहरथाना वाया अकलेरा हरनावदा पर कोटा ट्रान्सपोर्ट लि० की गाड़ी पेसेन्जर टैक्स अधिकारियों ने समय समय पर सीज़ कर लीं जिस वजह से बन्द रहीं व अब भी सीज़ की हुई हैं। इसके विरुद्ध कार्यवाही के लिए केस आर. टी. ए. में दिया जावेगा।

भवानीशंकर गिरधारीलाल की गाड़ी भी कुछ समय से बन्द है जिसके विरुद्ध कार्यवाही हेतु केस आर. टी. ए. की होने वाली मीटिंग में रखा जावेगा। मार्ग नं० ५ सालपुरा-अकलेरा वाया छीपा बड़ोद पर सैयद अली की गाड़ी कुछ अर्से से बन्द है जिसका केस आर. टी. ए. कोटा की मीटिंग २२। २३-३-६५ में तय हो चुका है और आर. टी. ए. ने इसके परमिट को १५ दिन के लिए सस्पेन्ड कर दिया है। दूसरा परमिट मुमताज हुसैन कन्हैयालाल का परमिट खत्म हो गया है। वह रिन्यू (नवीनीकरण) नहीं किया गया है।

श्री जुझारसिंह : ये जो पांच रूट हैं, इनमें से दो तो अब बिल्कुल ही ऐसे हैं जहां

(श्री जुझारसिंह)

बसेज नहीं चलती हैं। रूट नं० १ और ३ पर अभी कोई बसेज नहीं चलती हैं और बाकी तीन रूट हैं उसमें से तीन में से १ चलती है और दो में से एक चलती है। इसलिए कुल ११ बसेज हैं उसमें से ६ ऑपरेट करती नहीं हैं। क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इससे यात्रियों को कितनी दिक्कत होती है और क्या यात्रियों को सहूलियतें देने के लिए माननीय मंत्री कुछ करेंगे ?

श्री भीमसिंह : जैसे अभी कहा रूट नं० १ पर शंकरसहाय के नाम नई मंजूरी हो चुकी है। रूट नं० ३ के लिए मैंने निवेदन किया कि दूसरे परमिट जारी करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। नोटिफिकेशन गजट में निकला है। एप्लीकेशन्स आने के बाद लीगल कार्यवाही जो हुई आर. टी. ए. करेंगे।

श्री जुझारसिंह : मैं यह नहीं कहता कि इल्लीगल कार्यवाही हो। मैं यह निवेदन करूंगा कि आज ६-६ महीनों से पेसेन्जरों को डिफिकल्टी हो रही है यह डिपार्टमेंट को देखने की बात है। आपके नियम हैं उसमें लोगों को कन्वीनियेन्स के लिए भी सहूलियत देने का क्लॉज होगा। एक कोटा ट्रान्सपोर्ट बन्द हो गई तो उसके बाद में दूसरा प्रबन्ध जनता की सहूलियत के लिए सरकार को करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

ग्राम पंचायत, कारुन्डा के निर्माण कार्य

६६२. **श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत कारुन्डा (निम्बाहेड़ा) के क्षेत्र में विकास कार्यों के अन्तर्गत स्कूल कारुन्डा, कुआ पायरी व कुआ शेरगढ़ का निर्माण किया गया ?

(२) क्या कभी किसी अधिकार ने उक्त निर्माण कार्यों का हिसाब-किताब देखा है ?

पंचायत मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां।

(२) उपयोगिता प्रमाण-पत्र देने से पूर्व हिसाब की जांच की जावेगी।

श्री अब्दुल जब्बार : इन तीनों के निर्माण कार्य में कितना एलॉट किया और कितना पैसा उन्होंने दिया ?

श्री भीखाभाई : पंचायत समिति ने जो धन-राशि दी है कारुन्डा को पहली किश्त ५०० रुपये १२.१२.६३ को दिये, दूसरी किश्त २४.४.६४ को दी इस तरह कुल मिला कर १२००) रु० दिये। कुओं के दिये।

स्कूल के	१५-१-६१	को ५००) रु०
	८-१२-६२	को ६००) रु०
	७-८-६३	को ३४०) रु०

(श्री भीखाभाई)

कुआ पायरी में दो किश्ते ५००) रु० की याने हजार रुपये दिये। शेरगढ़ में
१८-६-६३ को ५००) रु०
२४-२-६४ को ५००) रु०
कुल मिला कर १०००) दिये।

श्री अदुब्लजब्बार : मैं यह निवेदन करूंगा कि इसमें कुछ भी पैसा खर्च नहीं किया गया है। आप महरबानी करके इसकी जांच करावें। आपने बताया कि युटिलाइ-जेशन सर्टिफिकेट देने से पहले जांच की जावेगी। मैं यह निवेदन करूंगा कि स्कूल कारून्डा, कुआ पायरी व कुआ शेरगढ़ में कुछ काम नहीं किया गया है। लोगों को पैसा नहीं दिया गया है।

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य बता दें। फिर भी कोई स्पेसेफिक पोईन्ट हो तो उसकी जांच कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री भैरोंसिंह।

क्रय विक्रय संघ की पूंजी

६६३. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्रय विक्रय संघ के उपनियम १४ के अनुसार किस किस मद की कितनी कितनी पूंजी जमा है ?

(२) उप-नियम १५ के अनुसार किस किस के कितने कितने हिस्से हैं और उन पर कितनी कितनी पूंजी लगी हुई हैं ?

(३) अधिकृत पूंजी तथा जमा पूंजी में कितना अन्तर है और किस आधार पर है ?

उप-मंत्री सहकारिता (श्री भीमसिंह) : (१) क्रय विक्रय संघ के उपनियम १४ के अनुसार निम्नलिखित मदों में दिनांक ३०-६-६४ को उनके सामने अंकित पूंजी जमा थी :—

(१) प्रवेश शुल्क	२१२.००
(२) हिस्सों से	५,३१,४५०.००
(३) धरोहर से	कुछ नहीं
(४) ऋण से	११,७३,५०२.२१
(५) रिजर्व फन्ड	४६,३१६.५८
(६) लाभ व अन्य प्रकार से	

अभी तक ऑडिट न होने के कारण लाभ की राशि नहीं बताई जा सकती।

(२) उप-नियम १५ के अनुसार "अ" श्रेणी के ४४० हिस्से हैं और उन पर ४४००००) रु० की पूंजी लगी हुई है तथा "ब" श्रेणी के १८२६ हिस्से है जिन पर ९१,४५०) रु० की पूंजी लगी हुई है।

(३) अधिकृत पूंजी तथा जमा पूंजी में १४,६८,५५०) रुपये का अन्तर है। इसका कारण यह है कि 'अ' श्रेणी के १००० अधिकृत हिस्सों में से ४४० हिस्से खरीद किये हैं व 'ब' श्रेणी के २०,००० हिस्सों में से केवल १८२६ हिस्से सहकारी समितियों द्वारा उनकी क्षमता के अनुसार खरीद किये गये हैं।

Page No.28

(१२ मध्यान्ह)

श्री भैरोंसिंह : क्रय विक्रय संघ की पूंजी कितनी है ?

श्री भीमसिंह : ५,३१,४५० रु०

श्री भैरोंसिंह : उपनियमों के अनुसार कितनी होनी चाहिये, क्रय विक्रय संघ की खुद की कितनी पूंजी होनी चाहिये ?

श्री भीमसिंह : यह मैं ऑफ हैंड तो नहीं बता सकता ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि पूंजी ज्यादा लगी हुई है बनिस्पत क्रय विक्रय संघ की पूंजी के ?

श्री अध्यक्ष : क्रय विक्रय संघ एक संघ है इसमें तो दूसरों की पूंजी भी होगी ही ।

श्री भैरोंसिंह : सरकार की पूंजी ज्यादा लगी है ।

सहकारी मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : ऋण तो है ही, सदस्यों से हिस्सा पूंजी ली जाती है वह ज्यादा है ।

श्री भैरोंसिंह कितनी ज्यादा है ?

श्री भीमसिंह : ऑफ हैड तो मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता । आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछें तो मैं डिटेल्स दे सकता हूं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि क्रय विक्रय संघ के जितने सदस्य हैं उनकी हिस्सा पूंजी बहुत पहले जमा हो जानी चाहिये थी जो अभी तक जमा नहीं हुई है ?

श्री भीमसिंह : प्रश्न (१) के भाग (२) में मैं उसका उत्तर दे चुका हूं कि ५३१४५० रु०......

श्री भैरोंसिंह : यह नहीं, आपने उपनियम बना रखे हैं उनके अनुसार क्रय विक्रय संघ के सदस्यों की शेयर केपिटल बहुत पहले जमा हो जानी चाहिये थी वह अभी तक जमा नहीं हुई है ।

श्री अध्यक्ष : हिस्सा पूंजी जमा कराये बगैर मेम्बर कैसे हो गये ?

श्री भैरोंसिंह : फैडरेशन के जितने मेम्बर्स हैं क्रय विक्रय संघ के शेयर्स पर्चेज करते है, वह शेयर्स की पूंजी जमा नहीं हुई है ।

श्री अध्यक्ष : शेयर की पूंजी जमा करायें तभी मेम्बर्स बन सकते हैं, बिना शेयर कैपिटल जमा कराये मेम्बर कैसे बन सकते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : मेम्बर्स बने, शेअर्स खरीद लिये पर शेयर्स की पूंजी जमा नहीं हो रही है । शेअर तो जैसे मुझे दे दिये पर शेयर कैपीटल जमा नहीं कराई ।

श्री मथुरादास माथुर : शेयर ले लिये है, फर्स्ट इन्स्टालमेंट जमा हो गया होगा, सेकण्ड इन्स्टालमेंट बाकी रह गया

(श्री मथुरादास माथुर)

होगा, जमा करा देंगे । मार्केटिंग सोसाय-टीज के एक एक सदस्य के डिटेल्स की बात कि किसने कितना जमा कराया, किस किस में कितना कितना बाकी है, यह तो डिटेल्स आप पूछें तो बताई जा सकती हैं ।

श्री भैरोंसिंह : एक एक सोसाइटी का नहीं आता, क्रय विक्रय संघ के नाम पर, खुद की पूंजी के नाम पर आता है, जितने शेयर्स खरीदें हैं, उन शेयर्स की वेल्यू क्रय विक्रय संघ के पास जमा है या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : क्रय विक्रय संघ के पास में वह पूंजी जमा है जो सदस्यों ने जमा कराई है, कितने सदस्य हैं, किसने कितना जमा कराया है, किसमें कितना बाकी है, यह तो डिटेल्स की बात है, आप अलग से पूछें तो उत्तर दिया जा सकता है ।

श्री भैरोंसिंह : इन्स्टॉलमेंट्स में पूंजी जमा करानी चाहिये थी वह उपनियमों के अनुसार पूंजी जमा हो गई है या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : यह ऑफ हैंड नहीं कह सकता, आप कहें तो डिटेल्स मंगा सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : मैंने पूंजी का पूछा है ।

श्री मथुरादास माथुर : किस मेम्बर का ५० परसेन्ट जमा हुआ है, किसका २५ परसेन्ट जमा हुआ है, किस किस का कितना कितना बाकी है, यह तो डिटेल्स पूछें तो जवाब दिया जा सकता है ।

श्री भैरोंसिंह : आप इतना तो कह सकते हैं कि शेयर पूंजी जमा कराने के मामले में क्या कोई सदस्य डिफॉल्टर नहीं है ?

श्री मथुरादास माथुर : यह तो मैं ऑफ हैंड कैसे कह सकता हूं ।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर पूरा नहीं हुआ ।

श्री मथुरादास माथुर : उत्तर तो पूरा दे दिया । डिफॉल्टर्स का ऑडिट रिपोर्ट में आ जाता है ।

श्री भैरोंसिंह : लगातार चार ऑडिट रिपोर्ट्स में यह बात है कि सदस्यों ने शेयर कैपिटल जमा नहीं कराई है, हिस्सा पूंजी जमा नहीं कराने के एतराज लगातार चार ऑडिट रिपोर्ट्स में आ रहे हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : इसमें आप यह पूछ सकते हैं कि कुल सदस्य कितने हैं, किसने कितनी पूंजी जमा कराई है, किसमें कितना पूंजी का हिस्सा बाकी है । इस प्रश्न में आपने पूंजी का पूछा, उसका उत्तर दे दिया गया है ।

श्री भैरोंसिंह : चार वर्ष से लगातार ऑडिट ऑब्जेक्शन्स कर रहा कि कैपिटल जमा नहीं कराई गई है, इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री मथुरादास माथुर : सरकार ने बराबर कार्यवाही की है, गवर्नमेंट के

श्री मथुरादास माथुर)

लेटर्स बराबर जाते रहे हैं क्रय विक्रय संघ को। जो सरकार का कानूनी अधिकार है वह बराबर करती रही है।

श्री भैरोंसिंह : चार वर्ष से लगातार लेटर गवर्नमेंट लिखती जा रही है तो शेयर पूंजी जमा कराई है क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : कुछ जमा हुई है।

श्री भैरोंसिंह : कितनी जमा हुई है ?

श्री मथुरादास माथुर : यह तो ऑफ हैंड नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिंह : कुछ पूंजी जमा हुई है, यह ऑफ हैंड कैसे कह दिया ?

श्री मथुरादास माथुर : डिबेट के सिलसिले में मैंने जवाब तैयार किया था इसलिये मुझे याद है कि कुछ पूंजी जमा हुई है। प्रश्न जितना किया उतना जवाब दे दिया, डिटेल्स चाहते हैं तो डिटेल्स का प्रश्न पूछ लीजिये, अकाउन्ट्स के मामले की बात मेमॉरी से नहीं कही जा सकती।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि क्रय विक्रय संघ का गठन हुआ था तो उस समय आपने क्रय विक्रय संघ की पूंजी निर्धारित की थी और इस शर्त पर सरकार ने अपनी पूंजी जमा कराई थी जब कि क्रय विक्रय संघ इतनी कैपिटल जमा करायेगा ?

श्री मथुरादास माथुर : यह तो होता ही है, इन सब चीजों का एग्रीमेंट हो जाने के बाद ही हर एक काम किया जाता है। पर पेड-अप कितनी होती है, किसकी कितनी कितनी बकाया है, यह बाई लॉज की और डिटेल्स की बात बात हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या ६६४।

कुएं निर्माण का झूंठा हिसाब, ग्राम बिहारा

६६४. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि गांव बिहारा, पंचायत कुलभीपुरा, तहसील प्रतापगढ़ में पंचायत द्वारा राजकीय सहायता से किसी कुएं का निर्माण हुआ था ? यदि हां, तो इस कुएं के निर्माण में कुल कितने रुपये खर्च हुए ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त कुएं के निर्माण कार्य में वहां के भूतपूर्व सरपंच ने पंचायत समिति प्रतापगढ़ को झूंठा हिसाब बना कर प्रस्तुत किया ? श्रमदान सहित कितने रुपये का हिसाब पेश किया ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त हिसाब प्रस्तुत करने पर सरपच के खिलाफ शिकायत पंचायत समिति प्रतापगढ़ में प्रस्तुत की गई थी ?

(४) क्या यह सही है कि कुएं का काम ठीक नहीं किया गया है और वह सारा

(श्री हरलाल मीणा)

टूट-फूट गया ? यदि हां, तो इस बारे में शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई ?

पंचायत मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां।

(२) २६००) रु० का हिसाब पेश किया जो झूठा नहीं पाया गया।

(३) जी हां।

(४) कुआ फूटा नहीं है व काम भी खराब नहीं हुआ है।

श्री हरलाल मीणा : यह कुआ टूटा हुआ है, पहले से खुदा हुआ था सिर्फ पुराना चूना लगा दिया।

श्री भीखाभाई : आपने जो जानकारी दी उसके लिये धन्यवाद, मैं इसकी जांच करवा लूंगा।

एक माननीय सदस्य : कुछ नहीं किया गया, एक साल पुराना चूना लगाया गया है।

श्री हरलाल मीणा : जांच कितनी जल्दी करायेंगे ?

श्री भीखाभाई : मैंने आश्वासन दे दिया कि जांच कराऊंगा, आपने कहा कि पुराना है तो मुझे लगता है कि इसमें गड़बड़ है, मैं इसकी जांच कराऊंगा।

एक माननीय सदस्य : और भी कई घोटाले हैं, उनकी जांच कराने के लिये तैयार हैं क्या ?

श्री भीखाभाई : सरकार हमेशा एन्क्वायरी कराने के लिये तैयार है, आप कहें तो आपकी भी करा लें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या ४६०।

स्थगित-प्रश्न

(२३-३-६५)

अलवर में स्कूल के लिये अवाप्त की गई भूमि के एवज में किसानों को भूमि

४६०. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि अलवर शहर में जनाना अस्पताल की बिल्डिंग बनाने के लिये लखंडे वाले कुए की जमीन एक्वायर की गई थी ?

(२) क्या यह सही है कि इस कुए पर जो किसान आबाद थे उन्हें इसी कुए की जमीन में से पॉवर हाउस के पीछे का हिस्सा प्लॉट बना कर रिहायश के लिये दे दिय गया था और उससे इनकी कोई कीमत नहीं ली गई थी ?

(३) क्या यह सही है कि अलवर शहर में ही सड़क नं० २ पर न्यू हायर सेकन्डरी स्कूल के लिये ४ कुओं की लगभग १६ बीघा जमीन एक्वायर की गई है जिसमें किसानों के ३० परिवार आबाद हैं ?

Page No.32

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(४) क्या यह सही है कि इन किसानों को उन्हीं के कुएं पर रिहायश के लिये कोई जमीन नहीं छोड़ी गई है ?

(५) क्या सरकार जनाना अस्पताल के लिये एक्वायर की गई जमीन से उठाये गये किसानों को जिस प्रकार रिहायश के लिये मुफ्त जमीन दी गई है, उसी प्रकार इस स्कूल के लिये एक्वायर की जा रही जमीन के किसानों को भी रिहायश के लिये मुफ्त जमीन देने को तैयार हैं ? यदि हां, तो कब तक और कहां ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

सार्वजनिक निर्माणमंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी हां।

(२) यह सही नहीं है।

(३) हायर सैकन्डरी अलवर के लिये १४ बीघा ४ बिस्वा भूमि अवाप्त की गई, जिसमें १२ परिवार आबाद थे, जो अभी तक अवाप्तशुदा मकान में आबाद हैं।

(४) जी हां।

(५) जनाना अस्पताल के लिये एक्वायर की गई भूमि के किसानों के लिये जमीन मुफ्त में नहीं दी गई है अतः प्रश्न नहीं उठता, भूमि अभाव के कारण।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जनाना अस्पताल के लिये एक्वायर की गई भूमि पर जो लोग आबाद थे उनको उठाया गया था, तो क्या जिस जमीन पर बसाये गये हैं वह जमीन उसी में से है जो कि अवाप्त की गई थी ?

श्री हरिश्चन्द्र : आप मिक्स-अप कर रहे हैं दो प्रश्नों को। एक तो है अस्पताल का और एक है हायर सैकन्डरी स्कूल का। आपने जो पूछा है वह हायर सैकन्डरी स्कूल के बारे में लागू होता है, जनाना अस्पताल के लिए नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा प्रश्न यह है कि जनाना अस्पताल के लिए जो आपने लैंड एक्वायर की उसमें जो लोग बसे हुए थे उनको उस लैंड का एक पोर्शन आपने रहने के लिए जमीन देदी, उसी ऐनोलाजी पर हायर सैकंडरी स्कूल के लिए जिन लोगों की जमीन ली जा रही है उनके बसने के लिए भी जमीन आप उसी एरिया में दे दें या उसमें नहीं दे सकते तो दूसरे एरिया में दे दें जो सूटेबल हो।

श्री हरिश्चन्द्र : जहां तक हायर सैकंडरी स्कूल का सवाल है उसकी जो जमीन है उसमें तो उन लोगों को जमीन बेची गई उनको आबाद कर दिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह सही नहीं है और जो जनाना अस्पताल की जमीन ली गई थी उसका मुआवजा उनको मिल गया। जनाना अस्पताल में कुछ बीघे छोड़कर बनाने के लिए दे दी और मुआवजा दे दिया। इसी एनालॉजी पर हायर सैकंडरी के लिए जो जमीन ली है उस जमीन का कुछ हिस्सा छोड़ दें, उनको आबाद करने के लिए।

श्री हरिश्चन्द्र : ऐसा था कि जो जनाना अस्पताल है उसमें उनको १०,७६२) मुआवजे के लिए गए, उनके पास जमीन बच गई खुद की उसमें वे आबाद हो गए। जितनी जमीन लेने की जरूरत थी उतनी ली उनको मुआवजा भी दिया गया, जो जमीन बची हुई थी उसमें मकान बना लिए है। बाकी रहा हायर सैकंडरी स्कूल वाला मामला उसमें जो जमीन हमने ली है १८ बीघा, ४ बिस्वा उतनी ही जमीन काश्तकारों के पास है और नहीं है तो उनको मुआवजा दिया जायगा। उनको बसाने के लिए मेरे पास सूचना है कि यू० आई० टी० में भी कोई जमीन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जैसे जनाना अस्पताल के लिए पूरी जमीन अवाप्त नहीं हुई और कुछ जमीन का हिस्सा छोड़ दिया गया इस तरह १४ बीघा ४ बिस्वा जो जमीन है इसमें से १ बीघा जमीन छोड़ दें और जितनी रीजनेबल रिहायश के लिए चाहिए बाकी अवाप्त करें तो अच्छा होगा। यह कितना हार्ड होता है कि आप जो मुआवजा एग्रीकल्चरल लैंड का दे रहे हैं वह कम है। वे रिहायश के लिए जमीन भी खरीदें तो ऊंची कीमतें हैं, उनको पे नहीं कर सकते। तो आप जिस जगह पर वे बसे हुए है उतनी लैंड जितनी जमीन आबादी की थी उसके इक्युवैलेन्ट उसको एलॉट करें और एक कोना छोड़ दें तो वे बस जायेंगे और हायर सैकंडरी स्कूल भी बन जायगा। १४ बीघा की जमीन ले रहे हैं उसमें यह तो है नहीं कि १४ बीघा में ही बनना चाहिए।

श्री हरिश्चन्द्र : माननीय सदस्यों का कहना यह है कि १४ बीघा और ४ बिस्वा जो ली है वह न लेकर अगर १३ बीघा ली जाय, इसके बारे में मैं अभी कमिटमेंट नहीं कर सकता जब तक इस प्रश्न को एग्ज़ामिन न किया जाय।

श्री अध्यक्ष : आप सहानुभूति से एग्ज़ामिन करें।

श्री कृष्णकुमार गोयल।

लाइनमैन की मृत्यु

६५८. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) [श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) द्वारा पूछा गया] : क्या विद्युत्-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि जून, १९६४ के प्रथम सप्ताह में लाइनमैन श्री जगदीश बायमा की कपासन में पॉवर-कैंची पर काम करते हुए मृत्यु हुई ?

(२) क्या यह सत्य है कि उक्त लाइनमैन को असिस्टेंट इंजीनियर, चित्तोड़गढ़ ने चालू लाइन पर बिना बचाव के सामान के काम करने को बाध्य किया था ?

(३) क्या सरकार ने उक्त सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ?

उप-मंत्री, विद्युत (श्री चन्दनमल वैद): (१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) जी हां।

श्री अब्दुल जब्बार : आपने प्रश्न दो के उत्तर में कहा है कि जी नहीं। तो वह लाइनमैन किसकी इजाजत से चढ़ा ?

श्री चंदनमल वैद : आपने पूछा कि क्या बिना बचाव के सामान के काम करने को बाध्य किया गया था, मैंने कहा यह सही नहीं है। उसकी वहां मृत्यु हो गई, जो कम्पेन्सेशन देना चाहिए वह दे दिया।

श्री अब्दुलजब्बार : आया बचाव का सामान लेकर चढ़ा था या नहीं, उसके पास ग्लॉव्ज थे या नहीं, जूते थे या नहीं ?

श्री चंदनमल वैद : जो बचाव का सामान होना चाहिए था वह उसके पास था।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जब वह मृत्यु हुई तब असिस्टेंट इन्जीनियर वहां ही थे ?

श्री चंदनमल वैद : यह जानकारी मुझे नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या जिस समय मृत्यु हुई उसी समय आंखों देखे गवाहों ने, जो मौके पर थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हमको असिस्टेंट इन्जीनियर ने जबरदस्ती लाइन पर काम करने के लिए कहा ?

श्री चंदनमल वैद : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि वह स्टेटमेंट एस०डी०एम०, कपासन की कोर्ट में है ?

श्री चंदनमल वैद : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : किस आधार पर आपने कहा कि इस आदमी को बाध्य नहीं किया गया ?

श्री चंदनमल वैद : सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनीयर ने जो इन्कवायरी की उस आधार पर कह रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : क्या उस इन्कवायरी में उसका उल्लेख है कि जो लोगों ने स्टेटमेंट्स दिए हैं ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय उन बयानों की प्रतिलिपि कोर्ट से मंगा दें और उस पर पुनः विचार करें और जांच करें कि क्या तथ्य हैं।

श्री अब्दुलजब्बार : जिसकी मृत्यु हुई है उसके पास लाइसेंस है, ट्रेन्ड है ? क्वालीफाइड न होने की वजह से वह गिर गया।

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा।

ग्रामों में विद्युतिकरण

६५५. श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) प्रथम, द्वितीय व तृतीय योजना में बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर जिलों की तहसीलों के कौन कौन से गांवों में विद्युतिकरण कर दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

(२) क्या राज्य सरकार इन पिछड़े हुए इलाकों में विद्युतिकरण की धीमी व नगण्य प्रगति को देखते हुए इन इलाकों के विद्युतिकरण के लिए कोई एक्सलरेटेड प्रोग्राम को क्रियान्वित करने का विचार रखती है ?

(३) राज्य सरकार या राजस्थान राज्य विद्युत् मंडल के पास उक्त जिलों के कितने गांवों की पंचायतों के प्रस्ताव बिजली की मांग को लेकर आ चुके हैं व उनमें से कितनों ने १२. ५० प्रतिशत मिनिमम गारंटी देने की स्वीकृति अपने प्रस्तावों में दर्ज की है ? राज्य सरकार ऐसे ग्रामों के विद्युतिकरण में क्यों देर कर रही है ?

उप-मंत्री, विद्युत (श्री चंदनमल वैद) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई।

(२) सन् १९६५-६६ में जिला बीकानेर के २१ गांव, बाड़मेर के १९ गांवों को कृषि विकास योजना के अन्तर्गत विद्युतिकरण करने की प्रस्तावना है। इसके अतिरिक्त स्थानीय वितरण योजना में जैसलमेर जिला के २ ग्रामों तथा बाड़मेर जिले में १८ मील की ११ के० वी० लाइन खेंचने तथा एक गांव का विद्युतिकरण करने व बीकानेर में पालना-नौखा २० मील की ३३ के०बी० लाइन खींचने की प्रस्तावना है।

(३) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसमें जो जबाव आपने दिया है, उसके अनुसार बाड़मेर जिले में सिर्फ ६, जैसलमेर में सिर्फ ३ और बीकानेर में पहली और दूसरी योजना में तो सिर्फ एक गांव में बिजली दी गई और तीसरी योजना में अभी सिर्फ १५ गांवों में, जिसमें लूणकरनसर तहसील में एक भी पॉइंट नहीं दी। मैं जानना चाहता हूं कि इस वर्ष में तीनों जिलों में जो पिछले वक्त कम बिजली दी गई है उसको देखते हुए एक्सीलरेटेड प्रोग्राम बनाने का राज्य सरकार का विचार है ?

श्री चंदनमल वैद : १९६५-६६ का प्रोग्राम बता दिया कि हमारा क्या प्रोग्राम है। बाड़मेर में ६, बीकानेर में २१ गांव।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

बकाया की वसूली

६४१. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) ३१ मार्च सन् १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य सरकार की कितनी बकाया किस किस विभाग की निकलती है ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) इस बकाया की वसूली के लिए सरकार ने क्या कारगर योजना बनाई है ?

(श्री वित्त मंत्री)

उत्तर

(१) यह विभाग केवल नौ बड़े बड़े राजस्व विभागों की वसूली पर ही निगरानी रखता है, राज्य के सभी विभागों पर नहीं।

उन नौ बड़े बड़े राजस्व विभागों की बकाया के आंकड़े ३१-३-६४ पर निम्न प्रकार से हैं :

(१) भू-राजस्व... रु० ७,२३,७६,२४३)

(२) सिचाई......रु० ३५,४०,४१६)

(जैसा राजस्व मण्डल द्वारा सूचित किया गया)

(३) खान व भू-गर्भ रु० ५७,३२,६४६)

पलाना खानें....रु० २,६३,२७१

५६,६६,२२०)

(४) कर (वाणिज्य) रु० ६७,८२,०००)
(५) आबकारी (प्राप्त) रु. ३७,५६,६६५)
(६) यातायात रु० १०,७१,६८२)
(७) भवन एवं पथ रु० ४१,७२,३६०)
(८) वन रु० १३,३२,५२३)
(९) मु० अ० (स्वास्थ्य) (C.E. Health) रु० २,८७ ३४,३६५
(१०) उद्योग सिविल सप्लाइज रु० ८,७५,७६७)

योग रु० १३,१६,३८,५६६)

(१) सरकार नौ बड़े राजस्व अर्जक विभागों की वसूली की प्रगति पर निगरानी रखती है। जब कभी किसी विभाग की वसूली की प्रगति असन्तोषजनक दिखाई देती है तो उस विभाग के अध्यक्ष का ध्यान उस तरफ आकर्षित किया जाता है और उसको जल्दी से जल्दी बकाया वसूली करने की हिदायतें दी जाती हैं।

(२) राजस्व संग्रहक अधिकारियों को सरकार की शत-प्रतिशत बकाया वसूली के लिये अधिकतम प्रयत्न करने हेतु विशेष अभियानों के आयोजन करने के वास्ते समय समय पर निवेदन किया जाता है।

(३) राजस्व अधिकारियों को यह भी लिख दिया गया है कि ऐसी बकाया जो सब प्रकार के प्रयत्नों के बावजूद भी वसूली नहीं की जा सकती और जिसकी वसूली की कोई संभावना नहीं रहती है उसको बट्टे खाते यानी (राइट ऑफ) के मद में बताई जावे।

पंचायत समिति, शाहबाद की वन श्रमिक ठेका सहकारी समितियां

६४३. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पंचायत समिति, शाहबाद में कितनी वन श्रमिक ठेका सहकारी समितियां हैं ?

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

(१) उपरोक्त समितियां कब २ बनीं ?

(३) उपरोक्त समितियों के एसेट्स व लाएबिलिटी क्या २ हैं ?

(४) उपरोक्त समितियां क्या २ कार्य कर रही हैं ?

(५) उपरोक्त समितियों द्वारा तैयार शुदा माल किस विधि से बेचा जाता है ?

(६) उपरोक्त समितियों को तैयार शुदा माल नीलामी द्वारा बेचा जाता है ।

उत्तर

(१) पंचायत समिति, शाहबाद में आठ वन श्रमिक ठेका सहकारी समितियां हैं । सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

(२) समितियों की रजिस्ट्रेशन की तिथि परिशिष्ट "क" के कॉलम में अंकित है ।

(३) प्रत्येक समिति के पदाधिकारी परिशिष्ट "क" के कॉलम चार में अंकित हैं ।

(४) प्रत्येक समिति का संतुलन चित्र (एसेट्स) व लाएबिलिटीज परिशिष्ट "ख" पर संलग्न हैं ।

(५) उपरोक्त समिति जो कार्य कर रही है वह परिशिष्ट "क" के कॉलम पांच में है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नाजायज अफीम पकड़ने वालों को इनाम

६४७. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि एक्साइज कमिश्नर के सर्कुलर नं० एफ १४ (८४) ईस्ट : ५६१२ के अनुसार नाजायज अफीम पकड़ने वाले को २०) ६० सेर तक इनाम देने का प्रावधान है ?

(२) यदि हां, तो गत ५ वर्षों में राजस्थान के विभिन्न जिलों में अफीम सम्बन्धी कुल कितने मुकदमे कायम हुए और कितनों को नियमानुसार इनाम दिया गया और कितने व्यक्तियों को इनाम देना कब से बाकी हैं और क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां, उल्लिखित सक्यूंलर राज्य सरकार का है ।

(२) तालिका सदन की मेज पर रखदी गई है ।

जिन व्यक्तियों को इनाम देना बाकी है उसका मुख्य कारण मुकदमों का अदालत में फैसला नहीं होना है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय मे रखी गई)

Page No.38

पंचायत समिति सिकराय द्वारा प्रौढ़ शिक्षा पर व्यय

६५१. श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय–सु०) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

पंचायत समिति सिकराय द्वारा "प्रौढ़ शिक्षा" पर अब तक कुल कितना खर्च किया गया है और कितने व्यक्ति शिक्षित हुए हैं ?

उत्तर

१६७०) रु० खर्चा हुआ है व कुल ११३७ व्यक्ति शिक्षित हुए हैं।

बांसी-पहाड़पुर की पत्थर की खानों के मजदूरों को मजदूरी

६५२. श्री सांवलियाराम (रूपवास-सु०) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बांसी-पहाड़पुर (तहसील रूपवास) की पत्थर की खानों में कितने मजदूर काम करते हैं और क्या उन्हें मजदूरी लेबर लॉज़ के अनुसार मिल रही है ? यदि हां, तो किस दर से ?

उत्तर

पत्थर की खानें माइन्स एक्ट, १६५२ के अन्तर्गत आती हैं। इसमें उत्पन्न हुए विवादों को केन्द्रीय समझौता अधिकारी तय करता है-अतएव चाही गई जानकारी देने में असमर्थता है।

फर्टिलाइज़र प्लान्ट

६५३. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य में फर्टिलाइज़र प्लांट लगाने का लाइसेंस जो प्राइवेट पार्टी को मिला था, वह प्लान्ट किस स्थान पर लगाया जा रहा है ?

(२) उक्त प्राइवेट पार्टी से प्लान्ट किस अर्से तक लगा देने का वायदा था ?

(३) राज्य की जरूरत तथा उक्त प्लान्ट में विलम्ब देखते हुए क्या राज्य सरकार पब्लिक सैक्टर में फर्टिलाइज़र प्लान्ट लगाने का विचार कर रही है ?

उत्तर

(१) प्लान्ट कोटा में लगाया जा रहा है।

(२) प्लान्ट ५-३-१६६४ तक लगने वाला था अब १३-६-१६६७ तक लगाने की मियाद है।

(३) इस प्लान्ट का कार्य प्रारम्भ हो रहा है किन्तु पब्लिक सैक्टर में और फर्टिलाइजर फैक्टरी कायम हो सरकार प्रयत्नशील है।

प्राथमिकशाला भादवाड़ी के अध्यापकों के लिए क्वार्टर्स

६५४. श्री रामकिशन (वैर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री रामकिशन)

(१) क्या भादवाड़ी ग्राम, पंचायत समिति खण्डेला, जिला सीकर में प्राथमिक-शाला भादवाड़ी के अध्यापकों के रहने के लिए क्वार्टर्स के लिए कोई रकम मंजूर की गई थी ?

(२) यदि हां, तो क्या कोई क्वार्टर्स उक्त रकम से बने ? अगर नहीं बने, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां। एक क्वार्टर के निर्माण हेतु रकम मंजूर की गई थी।

(२) कार्य चालू है व शीघ्र ही पूर्ण हो जावेगा।

ग्राम पंचायत घाटवा के भूतपूर्व सरपंच द्वारा गबन

६५५. श्री हनुमानसिंह चौधरी (नावां) : क्या पंचायत व विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत घाटवा (नावां) के भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध २०३) रु० के गबन व १०,४२० रु० के दुरुपयोग बाबत पुलिस थाना चितावा में फौजदारी मुकदमा जेर-तजवीज है ?

(२) क्या यह भी सही है, कि साल भर से पुलिस थानेदार के निरंतर लिखने के बावजूद भी, प्रधान व विकास अधिकारी सम्बन्धित रेकॉर्ड नहीं बतला रहे हैं व मामले को नीयतन लम्बा कर रहे हैं ?

(३) सरकार ने गबनकर्ता के विरुद्ध व प्रधान और विकास अधिकारी की इस प्रकार की अनुचित कार्यवाही के लिए आज तक क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(१) मामला सबूत नहीं होने से खारिज हो गया।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

जोधपुर डिपो के कन्डक्टर के विरुद्ध शिकायतें

६५६. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जोधपुर डीपो के कन्डक्टर श्री गिरधारीलाल पारीक के विरुद्ध सन् १९६३ में कितनी शिकायतें भ्रष्टाचार की व मिस-बिहेवियर की हुई व उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(२) क्या यह सच है कि उक्त कन्डक्टर के वे-बिल भी जोधपुर डिपो से गायब हैं जिन पर कि चैकिंग स्टाफ ने शिकायत की थी ? यदि हां, तो कौन कौन से वे—बिल गायब हैं व उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(१) जी नहीं

(श्री यातायात मन्त्री)

(२) श्री गिरधारीलाल के विरुद्ध जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनकी सूची मय उन पर की गई कार्यवाही के संलग्न है।

जी नहीं, कोई बे-बिल गायब नहीं हैं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जीरण ग्राम में पीने के पानी की समस्या

६६०. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि देवगढ़ तहसील के जीरण गांव में कुओं में पानी नहीं होने के कारण वहां के निवासियों व पशुओं के लिये पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और इस कारण वहां के निवासियों को पानी के लिये दूसरे गांवों में जाना पड़ता है ?

(२) क्या यह सही है कि इस गांव में जो एक बुरा हुआ तालाब है उसे सुधारने के लिये आठ हजार रुपये का एस्टीमेट है, लेकिन उसकी टेक्निकल स्वीकृति नहीं दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) इस तालाब की कैपेसिटी कितनी है ?

(४) उपरोक्त गांव में पानी की समस्या को मिटाने के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) जी हां। तकनीकी कारण से स्वीकृति नहीं दी गई।

(३) साढ़े तीन मिलियन क्युबिक फीट।

(४) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पंचायत समिति कठूमर द्वारा गृह निर्माण पर व्यय

५०. श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या पंचायत समिति, कठूमर, अलवर में सन् १९६२ से ६४ तक कोई नये मकान बनाये गये हैं ? अगर हां, तो कितने और उसमें कितनी कितनी धनराशि खर्च हुई है ? पृथक पृथक बताने का कष्ट करें ?

उत्तर

पांच स्कूल भवन तथा एक पंचायत भवन बनाया गया है। स्कूल भवनों पर ४७४०) रु० व पंचायत भवन पर १३५०) रु० अनुदान के रूप में खर्च हुए हैं।

काली पहाड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि० दौसा को खाद व बीज के लिए ऋण

५१. श्री मूलचन्द चौधरी (दौसा) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

काली पहाड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि० दौसा को गत चार साल में कितना खाद व बीज व बैंक से ऋण दिया गया है तथा उसमें से कितना वसूल हो गया है और कितना बकाया किन किन सदस्यों में

(श्री मूलचंद चौधरी)

है और क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

काली पहाड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि० दौसा को गत चार साल में जो खाद-बीज व ऋण दिया गया और कितना बकाया किन किन सदस्यों में है, सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

फॉर्मर झालावाड़ स्टेट बैंक द्वारा दिए गए ऋण की वसूली

५२. श्री गोविन्दसिंह (पिडावा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) फॉर्मर झालावाड़ स्टेट बैंक का दिया हुआ कर्जा किन २ व्यक्तियों या फर्मों से अभी तक लेना बाकी है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) उपरोक्त ऋण की वसूली की क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(१) सूचि संलग्न है।

(२) कर्जदारों को अपने ऋण की रकम शीघ्रातिशीघ्र जमा कराने हेतु यह सहूलियत दी गई है कि यदि वे अपने कर्ज की ३१-३-५२ के दिन की मूलधन की रकम तारीख ३०-६-६५ के पहिले पहिले जमा करा देंगे तो उनका ३१-३-५२ के बाद का ब्याज माफ कर दिया जायगा व जिलाधीश महोदय को रु० ५००) तक के मामलों को निपटाने का पूर्ण अधिकार दे दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

आयुर्वेद औषधालय, कोटड़ी के भवन की मरम्मत

५३. श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) आयुर्वेद औषधालय कोटडी पंचायत समिति पिड़ावा, जिला झालावाड़ की मरम्मत सरकार ने कब कब कराई ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त औषधालय की मरम्मत न होने के कारण औषधालय गिरनें वाला है ?

(३) यदि हां, तो सरकार उपरोक्त दवाखाने की मरम्मत कब तक करा देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) मरम्मत नहीं कराई गई।

(२) औषधालय मरम्मत तलब है।

(३) अगले वर्ष मरम्मत कराई जाने की संभावना है।

Page No.42

रामसिंह—रानीवाड़ वाया भीनमाल सड़क का सर्वे

५४. श्री विरदाराम फुलवारिया (जालोर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) रामसिंह से भीनमाल होती हुई रानीवाड़ा सड़क का सर्वे किस साल में हुआ ?

(२) इस सड़क में कितने काश्तकारों की भूमि आई और अब तक उनको कितना मुआवजा मिला है और नहीं मिला है तो क्यों ?

(३) मुआवजा कब तक मिलेगा ?

उत्तर

(१) वर्ष १९५९-६० तथा वर्ष ६३-६४ में सर्वे हुआ है।

भीनमाल से रानीवाड़ सड़क में १९६ काश्तकारों की भूमि आई है। रामसीन से भीनमाल सड़क में आनेवाले काश्तकारों की भूमि की लिस्ट राजस्व विभाग द्वारा बनाई जा रही है।

(२) राजस्व विभाग के अवार्ड आने पर।

मोटर स्टेंड बारां पर यात्रियों को विश्राम के लिए सुविधाएं

५५. श्री दयाचन्द सोन (बारां): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :…

(१) क्या यह सच है कि बारां मोटर स्टेंड पर यात्रियों के लिए विश्राम की कोई सुविधा नहीं है ?

(२) यदि हां तो सरकार कब तक इसका प्रबन्ध करेगी ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) इस समय यह प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

(१२. ०५ म० प०)

बीकानेर शहर में पीलिया रोग के प्रकोप सम्बन्धी स्थगन-प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मुरलीधर व्यास ने बीकानेर में पीलिया रोग फैलने के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी, इस पर कल एक ध्यान आकर्षक प्रस्ताव के रूप में मन्त्री महोदय से उत्तर देने के लिए कहा गया।

जन-सम्पर्क अधिकारी श्री सरसवियोगी की रहस्यमय मृत्यु विषयक स्थगन-प्रस्ताव

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): मेरा भी एक प्रस्ताव था जिसमें और भी कुछ मुद्दे थे।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री मानिकचंद सुराणा ने स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है

[redacted]

(श्री अध्यक्ष)

जो श्री सरस वियोगी जन-सम्पर्क अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की रहस्यमय मृत्यु के सम्बन्ध में है। प्रस्ताव को स्वीकृत करने की अनुमति नहीं दी गई। मन्त्री महोदय आज वक्तव्य दें।

श्री मथुरादास माथुर (मंत्री, जन सम्पर्क विभाग) : माननीय सदस्य ने अपने प्रस्ताव में 'अखबारों' का उल्लेख किया है जबकि तथ्य यह है कि सम्बन्धित समाचार सिर्फ एक समाचार-पत्र जयपुर के हिन्दी दैनिक "राष्ट्रदूत" में छपा है। यह समाचार निराधार है। समाचार में श्री सरस वियोगी की मृत्यु को रहस्यपूर्ण कहा गया है जबकि तथ्य यह है कि उनको जो बीमारी हुई उसके सम्बन्ध में डॉक्टरों का मत स्पष्ट था और उन्हें मृत्यु के पहले पूरा और सन्तोषजनक उपचार प्राप्त हुआ था। श्री सरस वियोगी को २२ मार्च को चित्तौड़ में पक्षाघात हुआ था और वे उपचार के लिए चित्तौड़ से भीलवाड़ा और वहां से अजमेर लाये गए। भीलवाड़ा में सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय के उप-संचालक, श्री श्रीनाथ चतुर्वेदी, ने अपनी देखरेख में अजमेर में श्री सरस वियोगी के उपचार का पूरा प्रबन्ध कराया। अजमेर के जन-सम्पर्क अधिकारी, श्री छत्रपतिसिंह भी निरन्तर पूरी सहायता करते रहे। इस बात से किसी को शिकायत नहीं है कि श्री सरस वियोगी को उपचार पहुंचाने में कोई कमी रखी गयी थी। अतएव उनकी मृत्यु को किसी भी प्रकार 'रहस्यमय' नहीं कहा जा सकता।

श्री सरस वियोगी की मृत्यु ऐसे समय में हुई जबकि वित्तीय वर्ष समाप्ति के निकट था और यह आवश्यक था कि उनके कार्यालय के कार्य का आवश्यक प्रबन्ध किया जाए। अतएव उनकी मृत्यु के पहले २५ मार्च, १९६५ को जिलाधीश चित्तौड़गढ़ से तार द्वारा निवेदन किया गया था कि वे अपने यहां के जन सम्पर्क कार्यालय का कार्य अपने अधीनस्थ अधिकारी को मय वित्तीय अधिकार के दिला दें।

२६ मार्च को श्री सरस वियोगी के देहावसान होने पर यह आवश्यक समझा गया कि सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय का कार्य समझने वाला एक अधिकारी भी बचे हुए काम को निपटाने में लगे। अतएव चित्तौड़ से निकटतम जिले उदयपुर के जन-सम्पर्क अधिकारी, श्री रघुवीरदयाल विजयवर्गीय को तार से निर्देश दिये गये कि वे चित्तौड़ का काम भी अपने हाथ में ले लें। दूसरी ओर जयपुर से स्थिति की गम्भीरता देखते हुए यह आवश्यक समझा गया कि सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय का एक उच्च अधिकारी (उप-संचालक, श्री सी० बी० राघवन) भी कार्य-भार लिये जाने के समय उपस्थित रहें। चूंकि श्री रघुवरदयाल विजयवर्गीय के पास उदयपुर के साथ साथ पहले से ही भीलवाड़ा का कार्यभार वहां के जन-सम्पर्क अधिकारी के छुट्टी पर होने के कारण था इसलिए उनकी सहायतार्थ जयपुर से प्रदर्शनी सहायक श्री गोपालकृष्ण व्यास, को भी भेजा गया।

इसके साथ ही साथ जयपुर के जिलाधीश को यह कह दिया गया था कि वे

(श्री मथुरादास माथुर)

कागजों को सम्हलाये जाते वक्त अपना एक उत्तरदायी अधिकारी भी वहां उपस्थित रखें।

मतलब यह हुआ कि सारे कागजात पहली बार देखने का दायित्व एवः साथ तीन अधिकारियों पर रखा गया : (१) कलेक्टर के प्रतिनिधि, (२) सार्वजनिक-संपर्क कार्यालय के उप-संचालक, श्री राघवन और (३) उदयपुर के जन-सम्पर्क अधिकारी, श्री विजयवर्गीय।

चित्तौड़ के कार्यालय में इन दिनों कोई लिपिक काम नहीं कर रहा था अतएव यह आवश्यक था कि बाकायदा एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को कार्यभार न सम्हलाये जाने के कारण नये अधिकारी समुचित देख-रेख में चार्ज लें।

चित्तौड़ कार्यालय का कार्यभार सोमवार, २६ मार्च को श्री विजयवर्गीय ने श्री राघवन और जिलाधीश के प्रतिनिधि, चित्तौड़ के ट्रेज़री ऑफिसर, श्री खन्ना, की देखरेख में लिया है।

जो भी कागज जिला कार्यालय से सम्बन्धित नहीं थे उनको श्री राघवन ने श्री खन्ना की उपस्थिति में वहां के वहां जिलाधीश को सौंप दिये हैं। अतएव ऐसे किसी कागज के सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय अथवा उसके संचालक के पास आने का प्रश्न ही नहीं उठता।

इस सारे मामले में जितनी भी सावधानी ली जा सकती थी, ली गई है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, आपने जो यह बयान दिया है उसमें यह कहा है कि दो अधिकारी जयपुर से भेजे गये हैं। आपने उसको स्वीकार किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय के बहुत महत्वपूर्ण कागजात श्री सरस वियोगी के पास थे? क्योंकि सार्वजनिक संपर्क कार्यालय के डाइरेक्टर श्री भट्ट हैं, उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी, कमिश्नर के पास इन्क्वायरी पेंडिंग है और उसमें वे सरकार की ओर से एक केस को प्लीड करने के लिये नियुक्त किये गये थे इसलिये उनके कब्जे में जो श्री भट्ट के विरुद्ध एविडेन्स में पेश किये जाने वाले कागजात थे। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या उन कागजात को राज्य सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है? डिप्टी डाइरेक्टर, श्री राघवन और दूसरे अधिकारी वहां गये हैं और जो कागजात श्री सरस वियोगी के पास थे क्या उन सारे कागजात पर राज्य सरकार का स्वत्व हो गया है, क्या सरकार का उन कागजात पर अधिकार हो गया है, हम यह जानना चाहते हैं?

एक अधिकारी की मृत्यु हुई। इस पर आप यह कहते हैं तीन अधिकारी लगाये गये उन कागजात को सम्हालने के लिये। यह उनके पजेशन में जो वेल्युएबल डॉक्युमेन्ट्स थे उनकी अहमियतता को प्रकट करता है। यदि किसी साधारण अधिकारी की मृत्यु हो गई होती तो क्यों तीन-तीन अधिकारियों को भेजा जाता? उदयपुर के व्यक्ति को भी टेलीग्राम कर दिया, यहां से भी अधिकारी को भेजा। आप सार्वजनिक

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

सम्पर्क कार्यालय के डाइरेक्टर की इन्क्वायरी करवा रहे हैं। उस सम्बन्धी जो रिलेवेन्ट डॉक्युमेन्ट्स श्री सरस वियोगी के पास थे उनको अधिकार में लेने के लिए आपने डिप्टी डाइरेक्टर सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय को भेजा है जो कि डाइरेक्टर के मातहत हैं। इसलिए यदि वे वेल्युएबल डॉक्युमेन्ट्स डिप्टी डाइरेक्टर के मार्फत डाइरेक्टर को मिल जाते हैं तो इन्क्वायरी विशियेट हो सकती है, इसलिए इस स्थिति का स्पष्टीकरण करने की कृपा करें।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष, चित्तौड़गढ़ के कलेक्टर का जो वायरलैस है वह मैं पढ़ देता हूं :

"Refer your telephonic enquiry today. News of Shri Sarasviyogi, P. R. O. Chittorgarh's death received by telephone from Ajmer on 26th night. Office immediately visited by T. O. under my instructions. Found locked. Collectorate guard instructed to keep watch and not allow office to be reopened without orders of Collector. Matter reported to Government under instructions of Director, Public Relations. D. P. R. O. Udaipur, reaching here on 27th evening with letter that charge of P. R. O. Chittorgarh should be taken over by him. Charge assumed on Monday morning by him. As per instructions inventory of cash and articles made in the presence of the Treasury Officer and Dy. Director Public Relations, Shri Raghavan.

Relating to enquiry against Shri Bhatt, two copies of statements of witnesses, Shri S. N. Chaturevedi and Shri Dashrath Singh along with three copies of letters from Shri Saras viyogi found in confidential box. These have been sealed."

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

(१२. २७ म. प.)

राजस्थान स्टेट रोडवेज सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव विषयक

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी दो स्थगन प्रस्ताव कुछ समय पहले दिये थे।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को पहले ही यह सूचित कर चुका हूं कि कई स्थगन-प्रस्ताव आते हैं। उन पर यथा-सम्भव कार्यवाही करके सदन में उनकी सूचना दे दी जाती है, लेकिन सारे स्थगन प्रस्तावों की यहां सूचना देना आवश्यक नहीं है। अगर उनमें से कोई अहमियत का होगा तो उस पर कार्यवाही की जावेगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मुझे काफी समय हो गया है, उत्तर नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष : अगर माननीय ... कोई विशेष बात कहना चा...

Page No.46

(श्री अध्यक्ष)

नोटिस के लिये तो वे मुझसे स्वयं बात कर लें कि उनको सदन में लाने की क्या आवश्यकता है। यदि आवश्यकता हुई तो उस पर विचार किया जावेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : रोड़वेज के बारे में है...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यहां पर नहीं है।

(विराम)

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

(क) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक वित्तीय विवरण, १९६५-६६

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत् मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इन्डियन इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट, १९४८ की धारा ६१ (३) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक) १९६५-६६ एवं उक्त अधिनियम की धारा ७५ (१-९) के अन्तर्गत, बोर्ड द्वारा तृतीय पंचवर्षीय योजना के चतुर्थ वर्ष में किये गये कार्य का संक्षिप्त विवरण सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान सहकारी संस्था विधेयक, १९६४

(प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्था-
...न हेतु नियत समय में वृद्धि)

... माथुर (मंत्री, सहकारी
...होदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहकारी संस्था विधेयक, १९६४ (राजस्थान राज्य में सहकारी संस्थाओं सम्बन्धी विधि को समेकित और संशोधित करने के लिये विधेयक) पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को ८ अप्रेल, १९६५ तक और बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि समय बढ़ा दिया जाय?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

(विराम)

(१२.२८ म.प.)

राजस्थान भू-गृहादि (किराया तथा बेदखली नियन्त्रण) (संशोधन) विधेयक, १९६४

(विचार-विमर्श)

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भू-गृहादि (किराया तथा बेदखली नियन्त्रण) (संशोधन) विधेयक, १९६४ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

[इस विधेयक पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

१. (१) श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा)

(२) श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा)

(३) श्री गिरधारीलाल व्यास (असीन्द)

"प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान भू-गृहादि (किराया और बेदखली नियन्त्रण) (संशोधन) विधेयक, १९६४ को एक माह के लिये जनमत जानने के लिये परिचालित किया जावे।"

२. (१) दुर्गालाल बाददार (हवा महल, जयपुर),

(२) श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) व

(३) श्री गंगासिंह (जायल)

"प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान भू-गृहादि (किराया और बेदखली नियन्त्रण) (संशोधन) विधेयक, १९६४ को पुनः एक नवीन प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में सदन के समक्ष प्रस्तुत करें (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी)।"]

श्री कृष्णकुमार गोयल

(अनुपस्थित)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल व्यास।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान भू-गृहादि (किराया तथा बेदखली) (संशोधन) विधेयक, १९६४ को जो प्रवर समिति के द्वारा यहां पर प्रस्तुत किया गया है। उसके सम्बन्ध में मैंने प्रस्ताव किया है कि इसको जनमत जानने के लिये प्रकाशित किया जाय। मुख्य उद्देश्य यह है कि राजस्थान में जिस प्रकार से मकानों की कमी है और किरायेदारों की जिस प्रकार से जो हैसियत है और उनके सामने जो कठिनाइयां पैदा होती हैं उनका हम किस प्रकार निवारण करें, इसके सम्बन्ध में उनको किस प्रकार संरक्षण दिया जाय, इस सम्बन्ध में यह कानून पेश हुआ है। अगर आप देखें तो राजस्थान की आबादी के हिसाब से गांवों और शहरों में, तमाम जगहों पर जहां जहां मकान बने हुए हैं वे बड़े २ आदमियों के मकान हैं या पूंजीपति, बड़े बड़े अफसर या जागीरदार इस प्रकार के लोग हैं, जिनके जगह जगह पर मकान बने हुए हैं और नाजायज़ फायदा उठाने के लिये किरायेदारों से, जिनके पास मकान नहीं हैं, प्लॉट नहीं हैं या मकान नहीं बना सकते, ऐसे लोगों से ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिये ये किराये पर उठाते हैं। और किराया अपने मन-मकसद से, अपनी तरह से, जैसा वे ज्यादा से ज्यादा किराया ले सकें इस प्रकार की शर्त करके किराय[illegible] लिया जाता है। सरकार जिस [illegible]

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

शहरों में मकान बनाने के लिये व्यवस्था करती है, मिडल इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम और लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम चला रखी है जिसके द्वारा कर्मचारियों को और बड़े बड़े लोगों को लोन्स देकर मकान बनाने की व्यवस्था करती है । लेकिन आपका इन लोगों की तरफ ध्यान आकर्षित नहीं हुआ जिनके पास न जमीन है, न पैसा है पर मकान बनाने की इच्छा रखते हैं । ऐसे लोग हमेशा किरायेदार ही बने रहें, ऐसा ही दिखता है कि उनका शोषण इन मकान मालिकों द्वारा होता रहे । जिस प्रकार से कानून बनाया जा रहा है, जिसके द्वारा किरायेदारों को संरक्षण देने की बात कही जा रही है । आज हम देखते हैं, शहरों में भी गन्दी बस्तियों में लोग रहते हैं, अगर उनको मकान बनाने के प्लॉट और पैसे की व्यवस्था कर दी जाय तो ये लोग जो परेशान होते हैं उस परेशानी से बच जायेंगे । समय समय पर मकान मालिक ऐसे लोगों से अपनी इच्छानुसार किराया बढ़ाने की बातें करते हैं । एक किरायेदार, जो पन्द्रह-बीस साल से रहता आया है मकान मालिक उससे किराया बढ़ाना चाहते हैं तो तरह तरह के बहाने बनाता है और किरायेदार को परेशान करता है और मकान खाली कराना चाहता है । इसलिये यह आवश्यक है कि किरायेदार को वाकई संरक्षण दिया जाय । इस प्रकार से मकान मालिकों की जो भावना ...र्लित हो रही है वह दिन-प्रतिदिन ...ती है; इसको रोकना चाहिये ।

आप जानते हैं कि मालिक नाजायज फायदा उठाने के लिये अलग अलग तरीके बना कर प्लॉट्स और मकान बनाता है और उससे ज्यादा से ज्यादा किराया लेने की कोशिश करता है । एक किरायेदार जो दस पन्द्रह साल से रहता है अगर उससे ज्यादा किराया वसूल करना चाहता है तो तरह तरह की बातें बना कर उसको बेदखल करने का प्रयास करेगा और उसके जरिये किराया बढ़ाने की बात कहेगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, कोई मंत्री, अध्यक्ष महोदय, यहां पर उपस्थित नहीं है, बराबर आसन की ओर से इस प्रकार की हिदायतें दी गई हैं फिर भी मंत्री महोदयों की तरफ से उसकी अवहेलना की जाती है । आखिर कौन जवाब देगा ? सीरियस मेटर है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था इस प्रकार की प्रवृत्ति जिसके द्वारा किरायेदारों का शोषण करने की भावना, जो लोगों के अन्दर है, वह रुकनी चाहिये । इसलिये हमें अच्छी तरह से विचार करके कानून बनाना होगा जिससे बारबार किरायेदारों की बेदखली होती है, डिक्रीज़ होती हैं, कुडकियां होती हैं, इस प्रकार की बातों को हम किस तरह से रोक सकें, इसकी व्यवस्था करने के लिये आपने यह कानून रखा है । जहां तक इस प्रकार के कानून का सवाल है यह तो पहले भी था, पहले भी जो कानून बनाया था वह इस भावना से बनाया था कि किस प्रकार से कानूनी संरक्षण किरायेदारों को दिया जाय,

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

मकान मालिकों के शोषण से बचाया जाय। उसमें जो प्रावधान रखे गये थे उसमें इसके द्वारा तरमीम प्रस्तुत की है जिसके द्वारा किरायेदारों की बचत की जाय। उसके बाद में यह कानून प्रवर समिति के सुपुर्द हुआ, उस पर प्रवर समिति ने अलग अलग सुझाव प्रस्तुत किये है। जहां तक खंड २ का सवाल है प्रवर समिति ने कहा है कि उसको विलोपित कर दिया जाय क्योंकि जहां पर मकान मालिक किसी प्रकार की सुविधायें प्रदान करना चाहता है, पानी–बिजली देना चाहता है तो उसके ऊपर बाद में किराया बढ़ाने का प्रश्न नही होना चाहिये। इस प्रकार की बातें कही गई हैं, वह यदि खंड २, जो पहले था, वही रखा जाय तो उचित रहेगा। अगर इस प्रकार का प्रावधान रखा गया तो मकान मालिक किरायेदार के ऊपर छोड़ देंगे और बिजली और पानी वे अपनी तरफ से लगा लेंगे तो जब खाली करके वे जायेंगे तो उनको वे सामान आदि उखाड़ कर ले जाना बड़ा कठिन होगा, इसमें उनको बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिये दूसरा प्रश्न यह है कि मकान मालिक को पानी और बिजली लगाने दें तो यह तो उसकी इच्छा पर निर्भर रहेगा, किरायेदार को नहीं रखना चाहेगा और कई प्रकार की अड़चनें पैदा करेगा; इस प्रकार का प्रावधान पहले भी इसमें रखा गया है। किसी विसिनीटी में जहां पर इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध है, वहां पर मकान मालिक को चाहिये कि वह बिजली और पानी का प्रबन्ध ठीक तरह से करके दे। इस प्रकार का प्रावधान रखा गया था उसके लिये प्रवर समिति ने कहा है कि इसको विलोपित कर दिया जाय, तो यह मेरी समझ में ठीक नहीं होगा। इसका असर किरायेदार पर ज्यादा से ज्यादा पड़ेगा। उसको नुकसान होगा, इसलिये मेरा निवेदन यह है कि प्रवर समिति ने जो सुझाव इसमें दिया है वह उचित प्रतीत नहीं होता। वह होना निहायत जरूरी है।

दूसरा मेरा प्रश्न है, किरायेदार को सूचना रजिस्टर्ड नोटिस द्वारा दी जाने की बात कही है वर्ना तामील में गड़बड़ी हो जाती है। सेक्शन १३ ए० के खंड २ में किरायेदार को तामील करने के लिये प्रावधान रखा गया है सामान्य रजिस्टर्ड नोटिस द्वारा या किसी प्रकार से नोटिस दे दिया जाय, यही काफी बताया गया है। लेकिन इसमें भी कई प्रकार की गड़बड़ियां होती हैं। किसी से भी तामील करा ली जाती है और इस तरह से एक तरफा डिग्री हो जाती है, इसलिये निहायत जरूरी होता है रजिस्टर्ड नोटिस द्वारा सूचना मिलनी चाहिये, ताकि गड़बड़ी पैदा न हो।

(गणपूरक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, खंड ३ उपखंड (ए) मूल विधेयक का जो है उसमे जिस प्रकार की धारा प्रस्थापित करने के लिये प्रवर समिति ने किया है उससे किरायेदारों को कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। नई धारा के अनुसार अदालत में किराया जमा कराने की जिम्मेदारी डाली गई है, निर्धारित समय के अन्दर जमा नहीं कराता है उसका एतराज रद्द कर दिया जायगा। मूल विधेयक में किराया जमा न कराने की

Page No.50

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

स्थिति में बेदखल करने की जो इजाजत दी जाती है वहां पर निजी आवश्यकता का कारण बता कर खाली कराने की बात थी, मेरा अर्ज करने का मकसद यह है कि इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये कि जब किसी मकान मालिक का एक मकान है, एक दूकान है, उसके अलावा भी और साधन हैं, तब भी इस प्रकार की छूट नहीं देनी चाहिये। अगर नियत समय पर किरायेदार पैसा जमा नहीं कराये उसकी आवश्यकता न होते हुए भी डिग्री पास हो जांय, यह एक ऐसी बात है कि मेरे पास एक मकान है, दूसरा मकान है, मैं किरायेदार को बेदखल करना चाहता हूं तो निजी आवश्यकता बता कर कोर्ट के अन्दर दावा करता हूं तो वैसी हालत मे जो नई धारा उपस्थित की गई है उसके द्वारा तो अगर मैं किराये को समय पर जमा नहीं कराता हूं तो कोई जरूरी नहीं कि निजी आवश्यकता के लिये उसे खाली कराया जाय; चाहे वह नियत समय पर किराये का रुपया भी जमा नहीं कराया हो, तो भी खाली नहीं कराया जाना चाहिये।

जबकि पहले की धारा में इस प्रकार की बात स्पष्ट है कि निजी आवश्यकता पर इस प्रकार का प्रावधान लागू नहीं होगा; इसलिये मेरा यह निवेदन है कि वहां पर वह धारा जो पुरानी है, उसी को इस प्रस्तुत बिल में रखा जावे।

इसी तरह खण्ड ३ में भाग (ब) के आगे उप-धारा (१) की उप-धारा (७) के प्रोविजो को निकाल दिया जावे क्योंकि मूल विधेयक में इस प्रकार का प्रावधान है। पहले इस प्रावधान की वजह से बेदखलियां होती थीं और उनके कारण यह मुख्य प्रोविजो है जो कि इसमें दिया गया है। इस प्रकार के प्रोविजो की वजह से धड़ाधड़ बेदखलियां होती रहती हैं। १८ महीनों में तीन बार डिफॉल्ट दो-दो महीने का कर दे तो दावा किया जावे तो इसमें ऐसे किरायेदारों को बेदखल कर दिया जाता था। तो इस प्रकार के प्रोविजो को हटाने से किरायेदारों को संरक्षण मिलेगा।

मेरा और सुझाव है कि इस प्रकार का डिफॉल्ट हो जाता है तब कम से कम डिफॉल्टर को एक महीने का नोटिस जरूर दिया जाना चाहिये ताकि वह समय पर किराया जमा करा सके और इस प्रकार से एक्शन उसके खिलाफ न हो सके, जिससे वह बेदखल कर दिया जावे।

इसी प्रकार से खण्ड तीन (ए) द्वारा नवीन धारा १३ ए जोड़ी गई है। इस प्रकार के सुझाव आये थे। इसका कारण यह है कि निजी आवश्यकता के नाम पर बहुत सी बेदखलियां होती हैं। वर्तमान धाराओं का दुरुपयोग होगा। बहुत से मकानों की कीमतें पहले कम थीं। पर बाद में नये नये तरीके के डेवलपमेंट हो जाने से और वेसिनिटी दूसरी प्रकार की होने से उनकी हैसियत बढ़ गई और जब किरायेदार काफी अर्से से उस मकान या दुकान में रहता है वैसी परिस्थिति में वह नये तरीके से किराया बढ़ावे, यह जुल्म सा होगा। इसलिये इस प्रकार का प्रावधान नहीं होना चाहिये कि

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

वह अपनी निजी आवश्यकता बता कर किराया बढ़ाने की नीयत से बेदखल नहीं करा सकता। तो इस प्रकार का प्रावधान हमारे यहां पर नहीं होना चाहिये।

इसके साथ साथ कुछ दिनों पहले हाई कोर्ट से फैसला हुआ उसमें भी ऐसी बात बताई गई कि मकान मालिक अपनी निजी आवश्यकता के लिये मकान खाली करा सकता है तो उसे बल मिलता है।

हमें चाहिये कि इस प्रकार की बात रोकने के लिये ज्यादा से ज्यादा संरक्षण किरायेदार को दें। इस प्रकार के प्रोविज़ो के लिये एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, रामानन्दजी ने, वह प्रोविज़ो जोड़ दिया जावेगा तो किरायेदार को संरक्षण मिलेगा और इस प्रकार के वह बेदखल नहीं हो सकेगा।

छठा प्रश्न मेरा यह है। धारा १३ में जो इस प्रकार का प्रोविज़न दिया है कि यह जो कानून नया बनेगा वह तमाम केसेज़ में लागू होगा, चाहे ओरीजिनल हो या अपील का हो। तो इस पर मेरी यह अर्ज है कि इस प्रकार का बिल सभी केसेज़ पर लागू होना चाहिये, चाहे ओरीजिनल पर हो, अपील का हो, चाहे पहले चल रहा हो या अब चल रहा हो। सब पर समान रूप से लागू हो।

इसी प्रकार से खण्ड ४ में अदालत में किराया जमा कराने का प्रावधान है। अब वह स्थिति सन्देहजनक होने की हालत में ही करा सकेगा। मेरा अर्ज करना यह है कि अगर किरायेदार छः महीने का किराया मकान मालिक के पास नहीं जमा करावे और मालिक मकान किराया जमा कराने का नोटिस देता है और इस पर मकान मालिक के पास जाकर किराया जमा कराने की कोशिश करता है और वह लेने से इन्कार कर देता है क्योंकि उसको हर तरह से इजेक्ट और हैरान करना चाहता हो तो ऐसी परिस्थिति में इस कानून के अन्दर इस प्रकार का प्रावधान रहना चाहिये कि वह किसी भी वक्त जाकर कोर्ट में किराया जमा करा दे और यह सन्देह की स्थिति में ही जमा कराने का प्रावधान नहीं रहना चाहिये।

इस प्रकार के सुझाव हैं जो मैंने आपके समक्ष निवेदन किये और मैं यह चाहता हूं कि इसमें बहुत सी कठिनाइयां आवेंगी, किरायेदार को बेदखल करने के लिये मकान मालिक षडयन्त्र करते हैं और उनसे किरायेदार को बचाना है और सही वाजिब किराया दिलाना है तो हमें और भी अच्छी तरह से सोच समझ कर कानून लाना चाहिये। पर जैसा यह है इससे कई प्रकार की कठिनाइयां किरायेदार के सम्मुख आवेंगी। इसलिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि इसे जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जावे।

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवा महल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रेमिसेज (कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट एण्ड एविक्शन) एक्ट जिस प्रकार से संशोधन के रूप में विचारार्थ यहां लाया जा रहा है उस सम्बन्ध में मैं सदन के माननीय सदस्यों से यह निवे-

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

दन करना चाहूंगा कि जब कभी भी किसी कानून का निर्माण किया जाता है तो उस कानून के निर्माण करने में एक-पक्षीय दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता नहीं होती।

कानून का निर्माण इस दृष्टिकोण से किया जाना चाहिये कि वह "बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय" हो; समाजवादी शासन प्रणाली में प्रत्येक नागरिक को उसी प्रकार का अधिकार मिल सके कि जिस कानून के बारे में वह हृदय से इस प्रकार की भावना को व्यक्त कर सके कि यह जन-समुदाय के हित के लिये ही निर्मित किया गया है।

१९५० में जब सबसे पहले यह एक्ट यहां लागू हुआ उससे पूर्व भी जयपुर स्टेट में भी इस प्रकार का एक कानून चालू था। उसमें कन्ट्रोलर से सर्टिफिकेट लेने की व्यवस्था थी। पर समय समय पर आवश्यकता हुई और उसको देखते हुए सन् ५० में यह कानून बना। तब हमारे सामने एक समस्या थी और वह यह थी कि पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों को स्थान नहीं मिल रहा था और आवश्यकता यह हो गई थी कि जैसे इकोनोमिक्स का नियम है, डिमाण्ड और सप्लाई के नाम पर भाव घट बढ़ जाते हैं, तो मकानों के किराये भी बढ़ने लगे, वेदखलियां भी होने लगीं। तो इन सब बातों पर नियन्त्रण करने के लिये इस कानून की आवश्यकता अनुभव हुई, और यह निश्चयात्मक रूप से सत्य भी है कि उस समय इस कानून की बड़ी भारी जरूरत थी। यदि ऐसा नहीं किया गया होता तो सम्भवत: ऐसी परिस्थिति भी उत्पन्न हो सकती थी कि जिसके आधार पर यह प्रश्न हमारे सामने आता कि मकान मालिक तनिक मात्र भी स्थान नहीं देते।

तो जहां तक वह समस्या थी उस समस्या का निराकरण हुआ। लेकिन इस कानून के द्वारा आगे बहुत सी पेचीदगियां पैदा होती गई और जब जब पेचीदगियों का अनुभव किया गया उसी समय इस कानून में परिवर्तन होते रहे और उन परिवर्तनों के आधार पर जो वर्तमान संशोधन लाया जा रहा है यह भी कोई दूसरा, तीसरा या चौथा संशोधन के रूप में ही नहीं बल्कि काफी बड़ी संख्या के रूप में इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता हुई। लेकिन अब देखना यह है कि इस संशोधन के पीछे मूल निहित भावना क्या है? तो दो प्रकार के तर्क हमारे सामने उपस्थित होते हैं। एक दलील तो इस प्रकार की दी जाती है कि कुछ केसेज हाईकोर्ट ने और दूसरे न्यायालयों ने इस प्रकार के निर्णीत कर दिये हैं कि जिनके आधार पर डिफॉल्ट की तारीख में आ जाने पर किरायेदारों को किसी प्रकार की राहत नहीं मिल सकती और उसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि विश्वास देने के बाद से मकान मालिक यह चेष्टा करता है कि वह किरायेदार से कहता है कि हमारे और आपके तो ताल्लुक इतने अच्छे हैं कि आप हमको किराया क्यों देते हो? इस तरह से दो, चार, छः महीने बीत जाते हैं और उसके बाद में सबसे पहले डिफॉल्ट का क्लॉज़ आ जाता है और उसको उसमें प्रोटेक्शन नहीं मिलता और यह भी कहा जाता है कि

Page No.53

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

इस दृष्टिकोण से जब डिफॉल्टर एक बार करार दे देते हैं तो किरायेदार को राहत नहीं मिलती; तो इस क्लाज़ को हटा दिया जाना चाहिए......

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं समझता हूं कि इसको आवश्यक नहीं समझा जाता होगा, इसलिए कोरम नहीं, होता और तो क्या निवेदन करूं।

(गण-पूरक घंटी)

तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जहां तक इस डिफॉल्ट के क्लाज़ का सवाल है इस पर यही एक मात्र आरोप लगाया जाता है कि लैण्डलोर्ड्स की तरफ से इस प्रकार के एक्शन किये जाते हैं, इस प्रकार के कार्य किये जाते हैं जिनके द्वारा टीनेन्ट्स को डिफॉल्टर करार दे दिया जाता है और इसके बाद उसमें कोई राहत उसे मिलने की आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत दूसरा तरीका हमारे सामने और उपस्थित होता है और वह तरीका यह उपस्थित होता है कि वर्तमान कानून जिसमें यह डिफॉल्ट का क्लॉज लिखा गया यह पहले नहीं था और इसको इन्सर्ट करने का क्या प्रश्न पैदा हुआ? यह भी अनुभव किया गया और राज्य सरकार के सामने समस्या थी कि यह एक अमेन्डेड क्लॉज है और ओरीजिनल कानून में यह बात नहीं थी। उस समय यह समस्या उत्पन्न हुई कि किरायेदार एक बार अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है, कब्जा कर लेता है तो इसके बाद निरन्तर किराया नहीं देता रहे और उसके बाद चाहे एक बार दावा करना पड़े, दस बार करना पड़े तो भी वह किराया नहीं दे और मकान मालिक के सामने कोई सुविधा नहीं रहती जिससे वह मकान खाली करा सके। इन दोनों दृष्टिकोणों पर विचार करने के बाद यह डिफॉल्ट का क्लाज़ आया तो इसके उत्तर में कहा जाता है कि वह इस प्रकार का तर्क दे देता है और वह यह कि यदि डिफॉल्ट क्लाज़ के प्रोवीज़न को इन्सर्ट किया गया तो डिफॉल्ट क्लाज़ के प्रोवीज़न को इन्सर्ट करने के पूर्व भी यह बात विचार ली गई थी कि एक आदमी को दो महीने के किराये का डिफॉल्ट करना होगा और वह १८ महीने में करना होगा; तो साथ ही साथ यह कहा जाता है कि एक आदमी को एक बार चान्स दिया गया, दो बार दिया गया, विश्वास में यदि लेण्ड लोर्ड ने ले लिया तो क्या १८ महीने तक उसको विश्वास में लैण्ड लोर्ड लेता रहे और अगर उनके रूल्स बने रहे और इस प्रकार के रह गये कि टीनेन्ट्स जानते हैं कि वे किराया नहीं दे रहे हैं, फिर भी उसके विश्वास में आ रहे हैं और १८ महीने विश्वास में आने के बाद भी इस प्रकार की आशा करते हैं न्यायालय से या किसी वैधानिक संस्था के द्वारा कि उसको फिर भी राहत मिली, चाहिए तो यह कहां तक वाजिब होगा? यह दूसरा प्रश्न है जिसके ऊपर हमें सोचना पड़ता है। तो यह दलील दी जाती है उन लेण्डलार्ड्स की तरफ से। कानून में भी ऐसा कहा जाता है कि "The law does help to those

श्री दुर्गालाल बाड़दार)

who are vigilant to their rights" और आदमी अगर विजिलेन्ट नहीं रहता–आदमी अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं करता तो उस डिफॉल्टर को कहां तक कोर्ट ऑफ लॉ प्रोटेक्ट करता चला जायेगा ? यह दूसरा प्रोवीज़न है। ये तो जनरल प्रिन्सिपल्स की बातें हैं जिसमें दोनों प्रकार की दलीलें हमारे सामने उपस्थित होती हैं? लेकिन एक गहराई के साथ विचार करें तो हमको यह देखना है कि हमारे देश की वर्तमान स्थिति इस समय किस प्रकार की है। इस मौजूदा स्थिति में इस कानून में इस संशोधन को लाने की परमावश्यकता होती है या नहीं और यदि संशोधन को लाते हैं तो इसके परिणाम जो निकलेंगे वे किस प्रकार से निकलेंगे।

आज भी मैं पढ़ रहा था वह रिपोर्ट जो आपके हाउसिंग सप्लाई की तरफ से प्रकाशित की गई है। उसके अन्दर भी यह याचना की गई है और यह भावना करते हुए हम यह मांग करते हैं केन्द्रीय सरकार से और राज्य सरकार से भी कि हाउसिंग प्रोब्लम अभी बहुत बड़ी हमारे देश के सामने है। यहां तक कहा गया कि पहली प्रोब्लम हमारे देश में फूड की फेस करनी पड़ रही है। सबसे पहली समस्या हमारे सामने अनाज की है और उसके उपरान्त दूसरी जो महत्वपूर्ण समस्या हमारे देश के सामने आती है वह रेज़िडेन्शियल हाउसेज की आती है। इस चीज को लेकर एक सेपरेट मिनिस्ट्री की ब्रान्च भी बनाई गई कि मकान ठीक तरह से देश में निर्मित होते रहें, जितनी जनता है उस जनता को उसी रूप से आवास स्थान मिलते रहें, इसी दृष्टिकोण से एक सेपरेट ब्रान्स मिनिस्ट्री कायम की गई। एक तरफ हमारे देश के सामने समस्या है कि हम एक सेपरेट मिनिस्ट्री कायम करते हैं ठीक हाउसेज प्रोवाइड करने के दृष्टिकोण से और पोपुलेशन के आंकड़ों को देखा जाता है तो उस दृष्टि से यह कहा जाता है कि यदि पूर्ण रूप से जितने मकान अब तक निर्मित होते आ रहे हैं उसी रूप से मकानों का निर्माण होता रहेगा तो भी किसी तरह से दस साल के पश्चात् भी २३ पर्सेन्ट के करीब मकानों की डेफिसिट हमारे देश में रहेगी। तो मैं यह समझता हूं कि ये दो बातें राज्य सरकार के सामने आती है। कानून को आप जरूर बनाइये। जैसा आप कानून बनाना चाहते हैं उस प्रकार के कानून का निर्माण आप कर दीजिये, इसमें किसी भी समझदार व्यक्ति को विरोध नहीं होगा, लेकिन विरोध इस बात का होता है कि उसके परिणाम निकलते हैं उन परिणामों से अधिकांश लोग प्रभावित होते हैं, उन प्रभावों को देखते हुए हम आपके सामने यह लाना चाहते हैं कि क्या राज्य सरकार वस्तुत: आज स्थिति में है कि वह कम से कम, जाने दीजिये पब्लिक के और दूसरे आदमियों को–बल्कि राज्य सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं और जितने भी राज्य सरकार के मुलाजिम हैं वे किराये के मकान में रहते हैं, जिन कर्मचारियों के पास अपने खुद के आवास स्थान नहीं हैं—क्या राज्य सरकार इस स्थिति में है कि उन सारे कर्मचारियों को अपनी ओर से राज्य सरकार के द्वारा भवन दिए जायेंगे? क्या आज राज्य सरकार इस स्थिति में है ? अगर राज्य सरकार इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर सकती

(श्री दुर्गालाल दाढ़दार)

तो राज्य सरकार को जनता की अपेक्षा करनी पड़ेगी। जनता में से भी उस तबके से अपेक्षा करनी पड़ेगी जो कि इस स्थिति में है कि मकानों का निर्माण कर सके और उसमें भी उस तबके से अपेक्षा राज्य सरकार को करनी पड़ेगी उनमें भी वह तबका होना चाहिए जो कि मकानों का निर्माण करने की क्षमता तो रखता है लेकिन मकानों का निर्माण करने की क्षमता के साथ ही साथ उसकी क्षमता इस प्रकार की भी है कि वह अपने रहने के लिए मकान बना लेता है और अपने रहने के मकान के उपरान्त ऐसे मकान और बना सकता है जिसमें किरायेदार को रख सके। तब कहीं इस समस्या का समाधान सही माने में होगा, वर्ना नहीं होगा। तो जब हम इस प्रकार की अपेक्षा करते हैं, राज्य सरकार इस स्थिति में अपने आपको प्राप्त करती है कि वह सही माने में लोगों को रेजीडेन्शियल फेसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर सकती तो उसको जनता के सामने जाना पड़ता है और जनता से अपेक्षा करनी पड़ती है कि इस प्रकार के मकानों का भी निर्माण कर दिया जाये।...

(१.०० म. प.)

जब मकानों का निर्माण किया जाता है तो दोनों की आपको फेलिटीज को देख कर चलना पड़ेगा कि किरायेदार को किसी किस्म की परेशानी न हो, किरायेदार का अन्नेसेसरी हैरेसमेन्ट लैण्ड लोर्ड की तरफ से न हो, लेकिन साथ ही साथ प्रोटेक्शन आपको यह भी देना चाहिए कि एवरी मन्थ उससे किराया बराबर वसूल किया जा सके। यह मौजूदा एमेंडमेंट, यह बात ठीक है कि कुछ केसेज में हार्डशिप हो सकती है। जिन हार्डशिप के केसेज में यह हुआ हो कि किरायेदारों के साथ लैण्डलोर्ड बहुत ज्यादा ज्यादती की हो, उनको डिफॉल्टर्स करार दे दिया, उनका बिजनेस रुइन हो गया, उनको खाली करने के लिए मजबूर किया गया। ये सारी परिस्थितियां आई हों, लेकिन इससे प्रोटेक्शन दूसरी क्लास को नहीं मिलता है। मेरा निवेदन यह है कि जो एमेंडमेंट आप कर रहे हैं वह इस भावना से करना चाहिए कि दोनों क्लासेज को इक्वल फेसिलिटीज मिलें। इस एमेंडमेंट में टीनेन्ट को बिल्कुल प्रोटेक्शन मिल गया हो या इस प्रकार से टीनेन्ट को अभय वरदान आपने दे दिया हो कि मकान में जिसमें जाकर रह गया हो उससे निकलने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है; इस भावना का इस कानून में आभास नहीं होता है। यदि आप दृष्टिकोण से इस कानून का निर्माण करने जा रहे हैं तो वह सिद्धान्त भी आपका पूरा नहीं होता है। इसके विपक्ष में जो दूसरा सिद्धान्त आपका आपके सामने आता है उस दूसरे सिद्धान्त से भी बिल्कुल अलग हो जाते हैं, और मैं यहां तक मानता हूं कि उसका प्रतिपादन नहीं कर सकते हैं। तो दोनों जगह का प्रश्न नहीं होता है। आखिर यह संशोधन किस प्रकार से हितकर हो सकता है ? या इस संशोधन में और भी आवश्यकता है ?

मैं यह निवेदन करूंगा कि यह प्रेमिसेज एक्ट समय की आवश्यकता को अनुभव करते हुए टम्पोरेरी मेजर सरकार ने, इसी सरकार ने नहीं बल्कि देश की सारी सरकारों ने अपने अपने लोकल सम्स्टकान्सेज को कन्सी-

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

डर करते हुए, अपने अपने देश की परिस्थितियों को कन्सीडर करते हुए विभिन्न रूप से, विभिन्न स्टेट्स में विभिन्न प्रोवीज़न्स ऑफ दी लॉ के साथ इस प्रकार के कानूनों का निर्माण किया, और हमारे देश में भी, हमारी इस स्टेट में भी इस प्रकार के एक प्रोवीजन को रखते हुए हमने इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की और इस कानून को हमारे देश में प्रचलित किया है। लेकिन सवाल तो यह आता है कि मौजूदा कानून में वही ५० की परिस्थितियां आज भी हमारे सामने हैं क्या ? यदि ५० की परिस्थितियां नहीं हैं तो गत १० वर्षों में हमने इस कानून के द्वारा किस तबके को विशेष रूप से लाभ पहुंचाया है ? अगर किसी तबके की सहायता कर सके हैं तो इसके आंकड़े उपलब्ध करने की क्या राज्य सरकार ने चेष्टा की ? मैं समझता हूं कि बिल्कुल चेष्टा नहीं की। ये प्रश्न पूछे भी गए, ये प्रश्न समय पर उठाए भी गए, लेकिन सही मायने में आंकड़ों के द्वारा उत्तर देने की आज भी राज्य सरकार में क्षमता नहीं है कि वाकई में अमुक पर्सेन्ट में टीनेन्ट्स को बेनिफिट दिया या अमुक पर्सेन्ट में लैण्ड लोर्ड्स को बेनिफिट दिया। जब हम इस स्थिति में नहीं है तो गवर्नमेंट के मूव किये हुए इस कानून का प्रभाव क्या हुआ ? इस तरह की अप्रत्याशित भावना से हम कानून निर्माण करने की चेष्टा करते हैं तो मैं निवेदन करता हूं कि जैसा मैंने अपने नोट ऑफ डिसेन्ट में निवेदन किया है कि इस स्टेज पर यह कानून इस प्रकार का है कि जिसकी पूर्णरूपेण हमको विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। एक एक क्लॉज को लेकर, एक एक धारा को लेकर समयानुकूल, परिस्थित्यानुकूल जैसी चाहे तरमीम कर देने से इसका परिणाम यह होगा कि ज्यादा कानून बनेंगे और ज्यादा कानून बनने से अगर आप यह समझते हैं कि न्याय ज्यादा होता है तो वह एक मात्र आपकी कल्पना होगी।

ज्यादा सेना, ज्यादा फौज इकट्ठी करके यदि आप इस नतीजे पर पहुँच जायं कि विजय निश्चयात्मक होती चली जायगी तो यह ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो यह कहूंगा कि जितने कम से कम कानून हों वही अच्छा है, लेकिन इस प्रकार के कानून आप बनायें कि सब लोगों के लिए हितकर हों और उनको ज्यादा फेसिलिटी होती हो। दिन-रात कानूनों में परिवर्तन ला देने से, बहुत ज्यादा कानूनों का निर्माण कर देने से इसमें एफिशियेन्सी दृष्टिगोचर नहीं होती है, बल्कि मैं यह कहूंगा कि प्रति दिन ऐसे कानून बनाने से फायदा नहीं हो सकता है। जो कानून प्रभावशाली रहा, रहे और कई वर्षों तक उसके प्रभाव से लोग-बाग प्रभावित होते रहें; ऐसा कानून बनाने की चेष्टा आप लोगों को करनी चाहिए। अगर वह चेष्टा नहीं की गई और यह चेष्टा की गई कि जैसा सजेशन समयानुकूल आ गया, कभी टीनेन्ट की तरफ से आ गया तो वैसी व्यवस्था कर दी और कभी लैण्ड लोर्ड की तरफ से आ गया तो वैसी व्यवस्था कर दी; तो सबसे बड़े दुःख के साथ मुझे यह निवेदन करना पड़ता है, माननीय अध्यक्ष, कि एक सम्माननीय सरकार के लिए वह शोभनीय नहीं होता है। यदि आपके विधान का,

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

राज्य सरकार कोई कानून पास करती है और उसका इन्टरप्रिटेशन करते हुए आपकी कोर्ट्स, जो वरिष्ठ न्यायालय है उनके द्वारा निर्णय कर दिया जाता है तो उस निर्णय को नल एण्ड वोइड करने के दृष्टिकोण से नया कानून बनाने की चेष्टा करते हैं, तो यह सबसे बड़े दुःख की बात है। अगर इसके परिणाम को लेकर चलें तो क्या आपके लॉ डिपार्टमेंट के लोग इतने काबिल नहीं कि इसके परिणामों की बात सोच सकते थे। जो संशोधन करने जा रहे हैं उनका प्रभाव क्या होगा, उसका आपका लॉ डिपार्टमैंट इन सारी बातों पर विचार नहीं कर सकता था। लेकिन जब कानून बन गया तो नतीजा निकलता है, उसके बारे में फैसला हो जाता है और उसके बाद आपके दिमाग में यह बात आती है तो जिस स्टेज पर आपके सामने बात आती है तो उसके अनुसार कानून निर्माण करने की चेष्टा करते हुए चले जाते हैं, तो सबसे बड़े दुःख की बात है। इस प्रकार शीघ्र रूप से कानूनों में संशोधन करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिये।

तो हम जो संशोधन करने जा रहे हैं क्लॉज १३ में, तो इसमें आपने अपने ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स दिये हैं कि किस दृष्टिकोण से आपने लिया है और क्या रीज़न आप देते हैं, कौन सी ऐसी बात थी जिसके कारण परिवर्तन किया जा रहा है। ये सारी बातें इस तरीके से आपके सामने आती हैं। तो क्या आप इस कानून में पूरी फ़ेसिलिटीज़ प्रोवाइड करने को तैयार हैं ताकि दोनों को कम्प्लीट रूप से प्रोटेक्शन दे देंगे यानी जो लैण्ड लॉर्ड है और जिनको किराया मकान का मिलना चाहिये उनको किराया वक़्त पर मिलता रहेगा। तो दोनों को दोनों प्रकार की फेसिलिटीज़ दोनों क्लासेज़ को नहीं दे सकते हैं तो तीसरा प्रश्न आता है कि क्या किया जाय? उसके लिए जैसा कि मैंने आपको सजेशन दे रखा है और यह सुझाव दे रखा है कि यह एक ऐसा मसला है कि जिस मसले पर आपको गहराई के साथ, बड़ी गहनता के साथ और बड़ी गम्भीरता से विचार करना चाहिए। इस कानून के पूर्व क्या हमारे देश में लैण्ड लोर्ड और टीनेन्टस के रिलेशन्स को डिसाइड करने के लिए उनके आपस में डिस्प्यूट्स जो पैदा होते हैं उनका निर्णय करने के लिए क्या कोई वैधानिक व्यवस्था नहीं थी? क्या इसका इस प्रकार का कानून नहीं था कि जिसके द्वारा इस प्रकार के पैदा होने वाले डिस्प्यूट्स के बारे में डिसीज़न्स लिये जा सकें। मैं यह निवेदन करूंगा कि कानून बहुत पहले से चला आ रहा है। लैसर्स एण्ड लेसीज़ इन दोनों को ट्रान्सफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट में डिफ़ाइन किया गया है और हर आदमी के राइट्स एण्ड लाएबिलिटीज़ उसके तहत में डिटर्मिन की जानी चाहिए। कॉम्पीटेन्ट कोड ऑफ लॉ के द्वारा उन सब का डिटर्मिनेशन होता है। उसके प्रोविज़न्स ऑफ लॉ ऐसे हैं कि प्रोवीज़न्स ऑफ दी लॉ मे यह टेम्पोरेरी बेसिस का लेजिस्लेशन और यह मौजूदा कानून, जिसमें आप संशोधन करने जा रहे हैं क्या यह भी पर्मानेन्ट नेचर का है। मैं तो आपसे, मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि आपके इस प्रिय बच्चे की आयु कितने साल की और है? जब कि उसकी उम्र कायम है

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

कि इतने साल तक जीयेगा या इतने साल की उम्र होगी। दुर्भाग्य से इसकी उम्र का अंकीकरण आपने स्वयं ने कर दिया है तो कितने साल इसकी उम्र के बीत चुके हैं और कितने साल इसको और जिन्दा रहना है। यह आप खुद देख लें कि कितने वर्षों के लिए यह कानून आपका बचता है। इसको ढाई साल के अर्से के लिए इस कानून के बारे में आप इतनी सारी एनर्जी स्टेट की और आपकी खर्च करते हैं, तो फिर इस खर्च करने का क्या कारण है ? यदि आप यह समझते हैं कि इन कानून को स्थायित्व देने की परमावश्यकता है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि टेम्पोरेरी एमेंडमेंट न करके इस प्रकार के एमेंडमेंट लाने की कोशिश करनी चाहिए कि जिससे आप इसको एक पर्मानेन्ट पीस ऑफ लेजिस्लेशन बना सकें और पर्मानेन्ट नेचर का पीस ऑफ लेजिस्लेशन अगर आप बना देते हैं तो वह इतना जल्दबाजी के साथ पर्मानेन्ट पीस ऑफ लेजिस्लेशन नहीं बनाना चाहिए, बल्कि फिर गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिए। किस प्रकार से इसको पर्मानेन्ट पीस ऑफ लेजिस्लेशन बनाने से तब तक के सारे इम्पेक्ट्स पर विचार करते हुए आंकड़ों के आधार पर अब तक जो कुछ सहूलियत, फायदे, नुकसान, जन-साधारण को हुए हैं उन सब बातों पर विचार करने के पश्चात्, निश्चयात्मक निर्णय पर पहुंचने के पश्चात् दूसरा कानून बनाने की चेष्टा करनी चाहिये। यदि आपकी धारणा यह है कि पर्मानेन्ट पीस ऑफ लेजिस्लेशन नहीं बनाना है, यदि आप यह मानते हैं कि जनरल प्रोविज़न ऑफ लॉ एक वर्ष, दो वर्ष कर रखा है....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : १० वर्ष है।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : उसमें से काफी समय निकल चुका है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सन् ७५ तक तो अभी है।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : मृतप्राय: व्यक्ति से संजीवनी या कोरोमाइन के इंजेक्शन दीजिये तो घंटा, दो घंटा तो जिन्दा रह जायगा, लेकिन इस प्रकार से संजीवनी या कोरोमाइन से जिन्दा रखने की कोशिश मत करिये। संतान अगर पैदा ही करनी है तो बलिष्ठ संतान पैदा करिये, कमजोर संतान से उद्धार नहीं होने वाला है। मैं बार बार यह....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : संजीवनी किसको देना चाहते हैं; कानून को देना चाहते हैं या रिश्तेदारों को देना चाहते हैं या मकान मालिकों को देना चाहते हैं ?

श्री दुर्गालाल बाड़दार : मैं एक पक्ष के लिए सदन के सामने कोई बात नहीं कहना चाहता। मैं इस कानून को अपोज़ करने के लिए निस्संदेह तैयार रहूंगा जो एक पक्ष की भावना रखता हो। यह भवना नहीं होनी चाहिये कि हम बेनिफिट किरायेदारों को देते हैं या लैंड लोर्ड्स को देते हैं। मैं यह नहीं पसन्द

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

करता कि पूंजीपतियों के पक्ष में कानून बनावें, लेकिन मैं यह बात भी पसन्द नहीं करूंगा कि कानून इस प्रकार का बना दिया जाय कि किसी को सम्पत्ति रखने का अधिकार ही नहीं हो।

कई आदमी नेशनलिटी को डेवलप करने के लिहाज से मकानों का निर्माण कराते हैं। इसमें दिक्कतें इतनी ही है कि "लैंड लोर्ड" शब्द इसमें नजर आता है, लेकिन मुझे याद है विधि मंत्री के शब्द, यदि वे भूले नहीं हों तो जोधपुर की स्थिति का वर्णन करते हुए उन्होंने खुद ने माना था कि केवल लैंड लोर्ड" शब्द लगने से ही कोई पूंजीपति नहीं हो जाता, लेकिन कई बूढ़ी औरतें हैं जो पेन्शन के तौर पर रुपये लगा कर, ढाई-तीन हजार रुपये लगा कर मकान बनाती हैं और उनमें किरायेदार रखती हैं और उससे आने वाले किराये से अपने पेट का पालन करती हैं....

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री): मैं तो बूढ़ी औरतों के लिए सिफारिश करता हूं, ये मोटे पेटवालों के लिए करते हैं।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : एक मात्र उनकी रक्षा के लिये, उनके जीवन-यापन के लिये किराये का साधन रहता है। यदि ऐसे लैंडलोर्ड्स के लिये इस प्रकार का कानून लाकर चलना चाहते हैं तो यह एक तरह की डिस्पैरिटी है। लेकिन सोसाइटी की डिस्पेरिटी कानून में नहीं आनी चाहिये। चाहे मालदार हो या गरीब हो, कानून सबके लिये समान होना चाहिये। समाजवाद इस तरह से नहीं आ सकता। समाजवाद लाने के लिये दूसरे तरीके अपनाने पड़ेंगे। जिसकी आमदनी ज्यादा है उसको प्राप्त करने के लिये कई तरीके बना रखे है। लेकिन म्युचुअली एक दूसरे को लड़ाने की प्रवृत्ति ठीक नहीं है। एक तरफ गरीब तबके का निर्माण करते हैं और दूसरी तरफ मालदार; का तो जनता के बीच में इस प्रकार की दुविधा खड़ी करना बुरी बात है। इससे आपस में द्वेष और डिस्प्यूट्स खड़े हो सकते हैं तो इस प्रकार से बने हुए कानून से हो सकते हैं। कानून के द्वारा यह जानकारी नहीं होनी चाहिये कि अमुक व्यक्ति मालदार है या गरीब। जब इस प्रकार का कानून बनता है तो दो क्लासेज के बीच में क्लेश पैदा होता है और डिस्पेरिटीज पैदा होती हैं और उनके होते हुए आपको एडमिनिस्ट्रेशन सही रूप से नहीं चल सकता है, इन्तजाम आपका ठीक तरह से नहीं चल सकता। कानून ऐसा नहीं होना चाहिये जो आपस में डिस्प्यूट्स पैदा करे और इस प्रकार की भावना पैदा करे जिसके कारण आपस में दो क्लासेज के बीच डिफरेन्सेज पैदा हों। कानून के द्वारा यह बात नहीं होनी चाहिये। इस दृष्टिकोण से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मौजूदा कानून में पूर्णरूप से विचार करने का सवाल पैदा होता है। यदि आपको वास्तव में पर्मानेन्ट नेचर का कानून बनाना है तो इस पर इस दृष्टि से विचार करना आवश्यक है...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं दो-तीन मिनिट और लूंगा। आपके ऑर्डिनेरी प्रोविज़न्स ऑफ लॉ हैं उनमें

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

स्पेशल अमेन्डमेन्ट फोर दि पर्पज ऑफ स्टेट, इस प्रकार से इन्सर्ट किया जा सकता है जिससे सारी दिक्कत दूर कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो सबसे बड़ी दिक्कत आपके सामने पैदा होगी।

दूसरी चीज़ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक पेमेन्ट ऑफ रेन्ट का क्वेश्चन है उसमें यदि आप सही माने में चाहते हैं कि maintenance of relations between land lord and tenants must start. तो यह जरूरी हो जाता है आपके लिये कि आप कोई प्रोविज़न ऐसा रखें कि किरायेदारों से किराये के पेमेन्ट की सर्टेन्टी हो सके। मैं कहना चाहता हूं कि आपने बड़ी समझदारी से और बुद्धिमत्ता के साथ प्रोविज़न इन्सर्ट कर दिया कि मकान मालिक किराया नहीं लेता है तो किरायेदार अदालत में जायगा और २) रु०.के स्टाम्प पर दर्खास्त देगा और उसके साथ किराया टेन्डर कर देगा। किराया टेन्डर कर देता है तो नोटिस वगैरह उसको दिया जायगा और सारी बातें होंगी।

मान लीजिये वह किराया टेन्डर नहीं करता है और ६/८ या १० महीनों तक किराया बराबर चढ़ जाता है और १० महीनों का किराया चढ़ जाने के बाद आपने अपेक्षा रजिस्टर्ड नोटिस की रखी, सही माने में, उसकी तामील हो जाय, और तामील होने के बाद यह समझा जायगा कि अमुक व्यक्ति किराया नहीं देता है तो वह डिफॉल्टर समझा जाय। १० महीनों का डिफॉल्टर पहले हुआ और नोटिस के बाद भी किराया नहीं दिया तो फिर डिफॉल्टर हुआ। नोटिस के बाद आपने प्रोटेक्शन दिया कि कोर्ट में रुपये जमा करायगा तो डिफॉल्टर नहीं होगा। कोर्ट में रुपये जमा कराने की व्यवस्था नहीं हुई तो टाइम एक्सटेन्ड करा लेगा। तो मेरा मतलब यह था कि इस प्रोविज़न को इन्सर्ट करने का क्या मतलब ? यदि यह भावना होती कि आप किरायेदारों को सही माने में प्रोटेक्शन देना चाहते हैं तो मन्त्रीजी से मैं निष्पक्ष रूप से कहना चाहता हूं कि यह मत समझिये कि ईमानदार केवल मकान मालिक ही होंगे। किरायेदार भी बहुत ईमानदार होते हैं, वे एक पैसा भी चढ़ाने की कोशिश नहीं करते, डिफॉल्टर नहीं बनते, इसलिये यह संघर्ष केवल उन परिस्थितियों में पैदा होता है जहां मकान मालिक की नीयत खराब हो जाती है और किरायेदार की भी नीयत खराब हो जाती है। जब दोनों की नीयत खराब हो जाती है तो आपस में संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। उसके बाद यह प्रश्न आता है कि आप किसको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं ? मैं कहूंगा कि संघर्ष की स्थिति सही माने में यथावत् रहने या प्रोपर रिलीफ देने की दृष्टिकोण से आपको एक-पक्षीय कानून बनाने का विचार नहीं रखना चाहिये। विचारधारा आपकी इस प्रकार की रहनी चाहिये कि दोनों पक्षों को सही प्रोटेक्शन मिल सके। मेरा निवेदन है कि प्रोटेक्शन आप दीजिये, टीनेन्ट्स को दीजिये, लेकिन उतना ही प्रोटेक्शन लेंड लोर्ड्स के लिये भी होना चाहिये ताकि किराया उनको समय पर मिल सके।

चौथी बात मैं बताना चाहता हूं; रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के बारे में आप प्रावधान

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

मौजूदा कानून में लागू करना चाहते हैं, उन मुकदमात के ऊपर जहां पेन्डिंग मैटर अदालत के सामने में है। एक छोटासा उदाहरण देकर एक समस्या आपके सामने रखता हूं। दो आदमियों ने एक साथ दावा दायर किया। दोनों का अदालत से एक साथ फैसला हो गया। एक आदमी गरीबी के कारण या और किसी कारण से अपील में नहीं जा सका। उसके विरुद्ध न्यायालय की डिक्री ऑपरेटिव होगी और दूसरे आदमी ने अपील कर दी और अदालत की व्यवस्था, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सही मायने में कह रहा हूं, ऐसी बना रखी है। आपने कि न्यायालयों को बिल्कुल नजरअन्दाज कर रखा है। आज अगर कोई हाकिम छुट्टी पर चला जाय तो तीन तीन महीने तक कोई उसकी कुर्सी पर नहीं बैठेगा और उसकी मेज पर जो मुकदमे पचास हों वे बढ़ कर पांच सौ भी हो जायं तो किसी के दिमाग में नहीं आता है कि उनका डिस्पोजल करने के लिए कोई एडीशनल कोर्ट बना दें या उन पांच सौ मुकदमों का डिस्पोजल करने के लिए एक दो और मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दें जिसमें वे मुकदमे एक महीने, दो महीने में तसफिया हो जायं। मुकदमों का क्विक डिस्पोजल कराने के लिए सही मायने में व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा अगर ध्यान से अदालतों में देखेंगे तो आज एक दावा कर दीजिये, लेकिन चार-पांच वर्ष तक उनको सम्भालने वाला या उनकी खबर लेने वाला कोई नहीं है। इसके अलावा कोई हाकिम छुट्टी पर चला जाय तो उसको सब्स्टीट्यूट करने वाला कोई नहीं है। इसके अलावा जजेज को एक्सटेंशन मिल जाय, अपोइन्टमेंट की लिस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन से डिक्लेअर हो जाय तो कुछ का अपाइन्टमेंट हो जायगा और कुछ का नहीं होगा। यदि बीस व्यक्तियों की लिस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन से आ जाय तो उसमें से चौदह का अपोइन्टमेंट कर देंगे, लेकिन छः को रिजर्व में रख लेंगे, पता नहीं किस कारण-यह आप इनसे पूछ लीजिये। तो सही मायने में जो व्यवस्था होनी चाहिए वह होती नहीं है। उल्टे इस तरह से आप इस प्रश्न को उलझाना चाहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देकर। यह किस लिये? चाहे कोर्ट में एक आदमी को अपील के मुकदमे में चार-पांच वर्ष लग जायं, तो वह कहां जाय? एक आदमी कानून का प्रतिपालन करता है और प्रतिपालन करते हुए उसने डिक्री से छूटने की चेष्टा की, लेकिन उसके खिलाफ जो डिक्री को एग्ज़ीक्यूट कर दिया, तो इस कानून की बिना पर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने के लिए रीजन क्या है आपका? इस बिल में बता दीजिये, और स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स देख लीजिये, अध्यक्ष महोदय, इसमें कहीं लिखा है? रिट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन करने के लिए इतनी बातों की आवश्यकता होती है, यह हार्डशिप और कठिनाई पैदा हो गई। कहीं तो यह एक्सप्लेन करने की चेष्टा करते, उस दृष्टिकोण को बताने की कोशिश करते। मैं निवेदन करता हूं कि इसको आप समझें कि अर्थ को अनर्थ रूप में बिना किसी भावना को लिए हुए, बिना कोई जस्टीफिकेशन दिये हुए इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना चाहते हैं। यह राज्य सरकार और विधि मन्त्री एक्स्प्लेन करें। मैं समझता हूं कि मेरी बात पर विचार करते

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

हुए आप उचित व्यवस्था करने के लिए कोशिश करेंगे। आप ऐसा कानून बनायें जिससे मकान मालिकों को फायदा हो और किरायेदारों को भी फायदा हो, दोनों के हित का कानून आपको बनाना चाहिए।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : ओन ए पॉइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर, हाउस में कोरम नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): आज तो बिना कोरम के चलने वाला हाउस है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : हाउस नहीं चाहता कि ऐसा कानून आवे, लेकिन आप समझते नहीं हैं। विधि मन्त्रीजी, ऐसी बात नहीं होती तो तीन बार कोरम बेल बजाने का कष्ट आपको नहीं उठाना पड़ता। मैं विधि मन्त्री को कहूंगा कि हाउस नहीं चाहता है तो यह उन्हें मान लेना चाहिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : Silence is half consent.

(गणपूरक घंटी के पश्चात्)

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रस्ताव किया है कि राजस्थान के भू-गृहादि (किराया तथा बेदखली नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, १९६४, जिसके ऊपर प्रवर समिति का अपना प्रतिवेदन आज सदन में उपस्थित है, को दुबारा एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट सात दिन के अन्दर अन्दर दे दे। कम समय रखने का कारण यह है कि मैं बड़ी गम्भीरता से इस आवश्यकता को महसूस करता हूँ कि इस विधेयक को पास किया जाय। लेकिन जो मन्शा इस विधेयक की होनी चाहिए और जो प्रावधान सन् १९५० के इस विधेयक में आये हैं उनमें जो संशोधन उन्होंने १९५२ में किये और १९६१ में किये—वे राज्य के किरायेदारों को पर्याप्त संरक्षण नहीं देते और यह जो प्रवर समिति का प्रतिवेदन है यह भी उनको संरक्षण प्रदान नहीं करता जिसकी कि आवश्यकता थी। इसलिए इसके ऊपर दुबारा विचार किया जाय प्रवर समिति में और सात दिन के अन्दर अन्दर वह समिति अपना प्रतिवेदन इस सदन में प्रस्तुत करे।

अध्यक्ष महोदय, एक नॉन-ऑफिशियल बिल इस सम्बन्ध में अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया था। उस वक्त राज्य सरकार ने आश्वासन दिया था कि सरकार स्वयं एक बिल लायेगी। सरकार ने अपना वायदा पूरा किया। लेकिन ट्रान्सफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट के तहत, जो कि सेन्ट्रल एक्ट है, किरायेदारों को जो संरक्षण प्राप्त थे वे संरक्षण भी राजस्थान के किरायेदारों को प्राप्त नहीं हैं। इस कानून के बावजूद भी मालिकों को अधिक संरक्षण प्राप्त हैं। मालिकों को इस कानून में अधिक

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

अधिकार है। मकान मालिक किरायेदारों को बड़ी सुविधापूर्वक इजेक्ट कर सकता है, किराये में वृद्धि कर सकता है और दूसरे १९०५ के इस एक्ट का जो जुरिस्डिक्शन था वह केवल राज्य के ८३ कस्बों में था; जब कि राज्य के अन्दर १५५ इस प्रकार के कस्बे हैं, sorry, १७४ इस प्रकार के कस्बे हैं जिनकी आबादी पांच हजार से अधिक है; लेकिन उन १७४, पांच हजार की आबादी से अधिक आबादी वाले कस्बों में से केवल ८३ कस्बों में यह कानून लागू था और बाकी के कस्बे इस कानून से भी महरूम थे, जो कि टूटा फूटा कानून है। अध्यक्ष महोदय, आज राज्य के अन्दर मकान मालिक हर तरीके से सुरक्षित है और वे केवल सुरक्षित ही नहीं हैं बल्कि मौजूदा कानून में वे इस स्थिति में हैं कि वे किसी भी आधार के ऊपर और मुख्यत: अपने मकान को या अपनी दूकान को स्वयं प्रयोग में लाना चाहता है; इस आधार के ऊपर, डिफॉल्ट्स के आधार के ऊपर किरायेदार को बेदखली करा सकता है। डिफॉल्ट्स में ऐसी स्थिति है कि १८ महीनों में यदि दो-तीन डिफॉल्ट्स हो जायं तो किरायेदार को किसी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं है, वह टीनेंट को इजेक्ट करा सकता है। इसके साथ ही साथ कोई भी फैसिलिटी, टीनेन्ट चाहे तो पिछले कानून में ऐसा कोई प्रोवधान नहीं है कि उसको वह फैसिलिटी प्राप्त हो जाय, बल्कि मालिक को यह हक प्राप्त है कि वह एक इस प्रकार का वातावरण बना ले कि किरायेदार उसको किराया नहीं देता है, या वह उससे किराया नहीं लेता है और लेता है तो उसको रसीद नहीं देता है और उसके बाद वह अनुचित फायदा उठा कर उसको बेदखल कर सकता है। इसके साथ ही राज्य के पिछले कानून के अन्दर है, १९५१ के बाद जो राज्य के अन्दर भवन निर्माण हुए हैं तो सात साल के अन्दर उन भवनों से मालिक कभी भी किरायेदार को इजेक्ट कर सकता है।

मैंने स्वतंत्र पार्टी के प्रवक्ता, जो कि जयपुर से आते हैं, का भाषण भी बड़ी गम्भीरता से सुना। उन्होंने जिस चुस्ती से न्याय और नेचुरल जस्टिस का आसरा लेते हुए मकान मालिकों का डिफेन्स किया है इसके लिए वे वाकई बधाई के पात्र हैं। उन्होंने निष्पक्षता का एक चित्र इस सदन में उपस्थित किया है वह वास्तव में कतई निष्पक्षता नहीं है बल्कि क्लीअर कट एक एडवोकेसी है; उन्होंने मकान मालिकों की की है। वे माने हुए एडवोकेट हैं और आम तौर पर उन्हें मकान मालिकों के केस लड़ने पड़ते हैं। आज तक जिस सहूलियत से वे इजेक्ट करवाते रहे किरायेदारों को, अब उन्हें कठिनाई अनुभव हुई है...

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, वकील के लिए किरायेदार और मकान मालिक दोनों बराबर हैं। वह उसी ईमानदारी के साथ मकान मालिक का केस प्लीड करता है और उसी ईमानदारी के साथ टीनेन्स का केस प्लीड करता है। यह आपका भ्रम है और आपको व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना चाहिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: व्यक्तिगत आक्षेप नहीं कर रहा हूं। आपकी आज्ञा से

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

कुछ अर्ज कर रहा हूं। आप मेरे परम मित्र हैं और उसी नाते कह रहा हूं। लेकिन यह तो हर एक एडवोकेट महसूस करता है कि जो मौजूदा कानून है उसमें हर प्रकार शील्ड मकान मालिकों के पास है, हर तरह से वह इजेक्ट करा सकता है। आज पगड़ी की बात हर एक व्यक्ति जानता है। वल्कि जब किरायेदारों ने एक सम्मेलन किया था एक संगठन बना कर, तो भारतवर्ष के प्रसिद्ध एडवोकेट चैटर्जी पधारे थे। उन्होंने स्वयं ने कहा, वे सुप्रीम कोर्ट के मशहूर एडवोकेट हैं; उन्होंने सम्मेलन में एक घटना का जिक्र किया। दिल्ली में जब वे एक मकान चाहते थे तो उनको मकान नहीं मिला। दस हजार की पगड़ी उनसे बाकायदा मांगी गई। उन्होंने यह कह दिया कि मैं एडवोकेट हूं। उसके बाद दस हजार की पगड़ी के बाद चौबीस हजार की पगड़ी हो गई। वह कम नहीं हुई। इसमें ऐसा कानून नहीं है कि जिसके जरिये पगड़ी को रोका जाय। तो एडवोकेट महोदय इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जौहरी बाजार में कुछ लोगों ने इस आधार पर अपनी दूकानों को खाली करवा लिया है कि स्वयं दूकान करनी है और बहुत भारी पगड़ी ली है। लेकिन छः महीने के बाद कानून के मुताबिक, कानून की परिधि के अन्दर, कानून की हद के अन्दर बाकायदा पगड़ी लेकर, बहुत भारी पगड़ी लेकर किरायेदारों को उठा दिया है।

आज जौहरी बाजार में लक्ष्मी मिष्ठान्न भंडार पर दूकानें हो रही हैं, उसको देखा होगा। वहां पर मकान बहुत भारी पगड़ी लेकर किराये दिये गये हैं और इससे भी ज्यादा किराये पर बापू बाजार की स्थिति को माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि बापू बाजार में किरायानामा नहीं लिखाया गया है बल्कि शरायतनामा लिखा कर सारी शक्ति मालिक के हाथों में दे दी गई है। वे दूकानदार को दूकान से इजेक्ट ही नहीं कर सकते बल्कि उस व्यक्ति के धंधे पर भी ताला लगा सकते हैं, वे गरीबों की झोंपड़ियों से परिचित हैं जिनको उनकी झोंपड़ियों से इजेक्ट कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, यह सारे राज्य में सामान्य रूप से लागू हो। आज हम मकान मालिकों और मकानों की पुरानी उस महनता को, जो इस युग के पहले की है, बैठे रहे और आज समाजवादी समाज की व्यवस्था में वह का वही दृष्टिकोण रखें तो बहुत मुश्किल हो जावेगा कि किरायेदार की कठिनाइयों को महसूस करें। लेकिन हम इस बात को महसूस करें कि जो व्यक्ति किसी भी समय निकाल दिया जावे, ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिये। मैं आपको यहां तक कहूंगा कि इंग्लैंड जैसे देश में बैलेन्स ओफ हार्डशिप को देखते हैं। वहां पर यह देखा जाता है कि वास्तव में कौन संकट में है; किरायेदार संकट में है या मालिक संकट में है। यदि हम उन केपिटलिस्ट देशों से भी पीछे जाते हैं तो मैं यह कहूंगा कि हमें अपने आपको समाजवादी सरकार कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार ने नोटिस के जरिये किरायेदारों की मांग को स्वीकार कर लिया। लेकिन उसके साथ साथ डिफॉल्ट मुकदमे के पहले पेमेन्ट हो जावे, स्वीकार कर लिया है। लेकिन तीन डिफॉल्ट्स का प्रश्न आता है, इसको सरकार

Page No.65

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

मंजूर करने को तैयार नहीं है और इस कानून को सारे राज्य में लागू करने के लिये हमारी सरकार आगे तैयार नहीं है। वह इस कानून को कुछ कस्बों तक ही सीमित रखना चाहती है। क्या कारण हैं कि इसको सारे राजस्थान में सभी स्थानों पर रखा जावे। यह डिस्क्रिमिनेशन कि यह कानून कुछ ही कस्बों में लागू हो जावे और कुछ कस्बों में लागू नहीं रहे, इसका आखिर क्या कारण है और आप इसको क्यों रख रहे हैं? सरकार ने इस बात को भी माना है कि ७॥ पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट है उसका भार भी किरायेदार के कन्धों पर माना है। एक मकान मालिक अपने मकान में नल और बिजली लगाता है और किरायेदार बैठा है और किरायेदार उस मकान से चला जाता है तो वह नल और बिजली को अपने साथ काट कर तो नहीं ले जाता है। वह तो एक इस प्रकार का केपिटल इन्वेस्टमेंट है। ऐसी सूरत में ७॥ पर्सेन्ट चार्जेज और किराये में बढ़ाते है, यह कोई उचित बात नहीं है। अगर मकान मालिक सेनिटरी कन्डीशन अच्छी करता है या बिजली लगाता है या नल लगाता है तो उसका किराया रेगुलर पेमेन्ट द्वारा होता है और किरायेदार उसको पे करता है। तो यह समझ में नहीं आता कि ७॥ पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट बैंक रेट से भी ज्यादा है। आप बैंक इन्ट्रेस्ट से भी ज्यादा वढ़ोत्तरी करते है। लेकिन कम से कम इसमें यह संशोधन करने की आवश्यकता तो अवश्य है।

एक दूकान है, वह इस आधार पर खाली कराता है कि उसके लड़के, बच्चे और पोते दूकान करना चाहते हैं इसलिये इस दूकान को खाली कर दिया जावे। इस बिना पर पहले के किरायेदार को खाली करा दिया जाता है। मगर वास्तव में वे इस बहाने से उस दूकान को खाली करा कर दूसरे को कुछ समय बाद दे देते हैं। आखिर इस बात की गारन्टी होनी चाहिये कि अगर वह अपने पर्सनल यूज के लिये खाली करवाना चाहता है और अगर वह खाली हो जाती है और वह पर्सनल यूज में उसको नहीं लेता है और किसी को किराये पर उठाता है तो उस आधार पर आप इजेक्टमेंट कराते है तो कम से कम इस बात की गारन्टी उसको देनी चाहिये, इस प्रकार का वह सर्टिफिकेट पेश करे कि वह उसको निजी काम के लिये ले रहा है और अगर वह किसी दूसरे को किराये पर दे देता है तो "सुवो मोटो" उसी किरायेदार को वापिस उसको दिलाई जावे और उस मकान मालिक पर पेनल्टी इम्पोज की जावे; अन्यथा किसी भी दिन वह चाहे एक सूट फाइल कर देता है कि मुझे यह मकान या दूकान जो भी हो, पर्सनल यूज के लिये चाहिये और इस बहाने से वह उस टीनेन्ट को निकाल देता है। इसलिये गलत तरीके से टीनेन्ट नहीं निकाले जावें और अगर कोई इस तरह से निकाल देता है तो उसके लिये मालिक को पेनल्टी देनी चाहिये। अगर वह पगड़ी लेने के लिये या किराया बढ़ाने के लिये या टीनेन्ट को निकालने के लिये उससे मकान किराये की रसीद नहीं देता या उससे मकान किराया नहीं लेता है तो किरायेदार मनीऑर्डर से रुपये भेजता है और वह नहीं लेना चाहता तो आम तौर से नल काट देते हैं, बिजली काट देते हैं और उनकी बिजली की सप्लाई

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

को रोक देते हैं। इस प्रकार से किरायेदार तंग आकर मकान छोड़ देते हैं और मकान मालिक अपना कब्जा कर लेता है। तो इस प्रकार के तरीकों से, किरायेदारों को तंग करके उनको मकान इजेक्ट करने के लिये मजबूर करते हैं। इसलिये इसके लिये कानून में कोई प्रोविज़न होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, आज सरकार इस मामले में सर्वथा असफल रही है कि वह लोगों को मकान सप्लाई कर सके। लो इन्कम ग्रुप और मिडल इन्कम ग्रुप को लोन देते हैं। सरकार सरकारी कर्मचारियों को लोन देती है तो उनका भी प्राइवेट यूज़ होता है। सरकार से किसी ने २० हजार रुपया लिया और पर्सनल एक लाख से भी ज्यादा रुपया लगा कर मकान बनाया। जो व्यक्ति एक लाख इन्वेस्टमेंट कर सकता है वह २० हजार का लोन लेता है। समझ में नहीं आता कि वह लोन क्यों लेता है। सरकार इसको एग्ज़ामिन करा कर देख ले कि इन्जीनियरिंग बिभाग और दूसरे कई विभागों के अधिकारियों, बल्कि कई थानेदारों के आपको बंगले आज भी सी. स्कीम आदि में मिलेंगे जिन्होंने लोन लिया है और उससे कई ज्यादा पैसा लगा कर मकान बनाये हैं और उनको सब-लेट किया है। जितना रुपया उन्होंने गवर्नमेंट से लिया था उससे ज्यादा रुपया लगाया है।

सरकार मकान बना नहीं सकी और लोगों को रिहाइश के लिये इन्तजाम नहीं कर सकी; बल्कि रूरल और अर्बन एरियाज़ में कम्प्लीट स्विच ऑफ है और उधर जो लोग किरायेदार रहते है उनको भी किसी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं दे पाई और सब्जेक्ट टू विक्टीमाइज़ेशन रहा और मकान मालिकों की मर्जी पर रहे तो इस कानून को सख्त बनाया जावे।

एक दलील यह है कि हम इस प्रकार का कानून ला रहे हैं; तो जो लोग मकान बनाने में दिलचस्पी लेते हैं वे अपना इन्वेस्टमेंट मकानों को बनाने मे करते हैं वे लोग डिस्करेज होंगे। मैं यह कहूंगा कि मकान मालिकों को बैंक के इन्ट्रेस्ट से ज्यादा इन्ट्रेस्ट मिलता है किराये के रूप में और फिर मकान जैसे इन्वेस्टमेंट पर, तो फिर मकान मालिकों को इसमें दिक्कत क्या हो सकती है? इसके विपरीत अध्यक्ष महोदय आप देखिये कि जो ब्लैक मनी जिसको सरकार ट्रेस आउट करने में असफल रही है वह ब्लैक मनी मकानों में वे लोग लगा रहे हैं।

जो मनी अकाउन्ट फोर नहीं हुआ है, भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक हम मानते हैं कि उसके आंकड़े स्वेल होते जा रहे हैं; कभी संचित ब्लैक मनी के लिये ५ हजार करोड़ का कहते हैं, तो कभी २ हजार करोड़ का कहते हैं, कभी ७ हजार करोड़ संचित ब्लैक मनी है, ऐसा कहते हैं। नवलगढ़ के बड़े बड़े सेठों की इमारतों पर छापे मारे गये, बीकानेर के बड़े बड़े सेठों की इमारतों पर छापे मारे गये हैं, जहां दस दस मन सोना और चांदी की, अन-अकाउन्टेड नोटों की बरामदगी हुई है। दिल्ली, बोम्बे आदि शहरों में २०, २० हजार रुपया पगडी का देकर मकान खरीदते हैं, बीस बीस हजार रुपया पगडी का देकर मकान

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

किराये पर लेते हैं और उससे ज्यादा रुपया लेने की कोशिश करते हैं, ज्यादा मनी एक्स्ट्रेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसी भी स्थिति है राजस्थान के अन्दर कि लोग अपनी झोपड़ी भी किराये दे रहे हैं, वह बाई प्रोडक्ट है इस राज्य का। पर ब्लैक मनी इन्वेस्ट करके बड़ी बड़ी इमारते बनवाये, एक्स्प्लोइटेशन की एक और एजेंसी क्रियेट हो, उससे ज्यादा रुपया देने वाला किरायेदार आया तो पहले किरायेदार को इजेक्ट कर दिया जाय और राज्य सरकार उस टीनेन्ट को किसी प्रकार की प्रोटेक्शन नहीं दे पाये तो यह बहुत बुरी बात है।

तो मैं निवेदन करता हूँ, अध्यक्ष महोदय, कि एक राज्यव्यापी कानून बनाया जाये। इसके साथ ही साथ यदि कोई मकान मालिक खुद अपने प्रयोग के नाम पर किरायेदार को इजेक्ट करता है तो इस सम्बन्ध में अमेंडमेंट प्रस्तुत किया जाय कि यदि यह बात प्रूव हो जाय कि वह उस मकान को व्यक्तिगत रूप से काम में नहीं लेता है तो उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की जाय। किसी मकान मालिक द्वारा कोई केस या सूट दायर करने से पहले यदि किरायेदार अपने एरियर्स जमा करा देता है तो उसको इजेक्ट नहीं किया जा सकता अगर तीन डिफाॅल्ट्स भी हों और वह पैसा जमा करा देता है तो उसका इजेक्टमेंट नहीं किया जा सकता, इस प्रकार के प्रावधान उसमें होने चाहिए। अगर कोई मकान मालिक हैरेसमेंट करके, टेप कनेक्शन काट कर या और किसी प्रकार के हैरेसमेंट्स क्रियेट करके किरायेदार को इजेक्ट करना चाहता है तो किरायेदार को हर प्रकार का प्रोटेक्शन मिलना चाहिये।

नोटिसेज़ वगैरह का प्रोविज़न हो चुका है कि रजिस्टर्ड हों।

श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल): अध्यक्ष महोदय, इस देश में जो मकानात की हालत हैं उनको देखते हुए यह जरूरी हो जाता है कि राज्य सरकार ऐसा कानून लावे क्योंकि बिना नियन्त्रण के मकानात की हालात, जो किरायेदार किराये पर लेते हैं उनकी परिस्थितियां बहुत खराब हो सकती हैं। वैसी सूरत में जहां तक इस विधेयक को प्रस्तुत करने का प्रश्न है और जहां तक इस विधेयक को पास करने का प्रश्न है मैं अपनी सहमति देता हूं। किन्तु इस विधेयक में कुछ ऐसी बातें हैं जिनके कारण जो मंशा सरकार अपनी पूरी करना चाहती है वह मंशा उसकी विधेयक द्वारा पूरी नहीं हो सकेगी।

मेरा यह ख्याल है कि यह अमेंडमेंट बिल पेश किया गया है सदन के सामने, इसे ज्यों का त्यों पास कर दिया गया तो जो किरायेदार हैं और जो मकान मालिक है, उनके बीच में झगड़ा बहुत ज्यादा पैदा होगा। मेरी ऐसी मान्यता है कि यह जो बिल पेश हुआ है, इसके अंतर्गत कुछ ऐसे प्रोविज़न्स हैं, जिनके कारण अगर यह पास कर दिया गया तो जो किरायेदार हैं उनको मदद के बजाय इससे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यही नहीं टिनेन्ट्स के अलावा कुछ मालिक ऐसे हैं जो अपनी

(श्री गंगासिंह राठौड़)

खुशी से यह चाहते हैं कि टिनेन्ट्स को परेशानियां नहीं हों, उनके लिए भी यह बहुत बड़ा दुखदाई कानून बनेगा ।

अगर इस कानून को देखा जाय तो सबसे बड़ी बात हमारे सामने आयेगी कि हाउसिंग प्रोब्लम किस कारण हुई और इसको किस प्रकार से सोल्व किया जा सकता है । यह सही बात है कि इस प्रान्त में हाउसिंग प्रोब्लम को सोल्व करने की सरकार भी चेष्टा करती है कि हाउसिंग प्रोब्लम को जल्दी से जल्दी सोल्व किया जाय तो पब्लिक को सुविधा होगी परन्तु प्रश्न यह है कि सरकार अपने मकानात बना कर इस प्रोब्लम को सोल्व नहीं कर सकती । वैसी हालत में हमारे यहां मकानात ३ श्रेणियों में आते हैं ।

एक श्रेणी तो यह है कि बड़े बड़े मालिक है मकानात के, उनके पास दस-दस, बारह-बारह मकानात मौजूद हैं, एक मकान को अपनी रिहायश के लिए रखते हैं और बाकी मकानों को किराये पर देते है ।

दूसरे ऐसे आदमी हैं जो निजी कमाई में से कुछ बचत करके मकान बनाते हैं ।

तीसरी तरह मकान बनते हैं वे इस तरह के है कि कोई धन संचित हो जाता है और उसको उपयोग के लिए सोचते हैं कि मकानात बना कर फायदा उठावें ।

तो तीन तरह के हमारे यहां मकानात हैं । अगर इस प्रोब्लम को इस तरह से नहीं लें और केवल टिनेन्ट्स के फायदे की बात को लें, बुनियादी चीज को भूल जायं, केवल टीनेन्ट्स का फ़ायदा देखते देखते मालिकों का फायदा नहीं देखेंगे तो मकानात की क्या हालत होगी ?

मेरा ख्याल है कि किसी प्रोब्लम को लिया जाय तो उस पर सब पहलुओं से सोचना चाहिए । यदि सब पहलुओं पर विचार नहीं करके केवल टिनेन्ट्स को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने के लिए ऐसा कानून ले आयेंगे तो मालिक अपने मकान किसी को देने को तैयार ही नहीं होंगे, लोग नये मकान नहीं बनायेंगे; तो उस दशा में अभी जो प्रोब्लम है उससे भी ज्यादा यह प्रोब्लम बढ़ जायगी ।

मेरा ख्याल है कि अगर यह कानून पास हुआ, जैसा कि इसमें क्लॉज ३ है, यह जरूरी हो जाता है इससे पहले कि मालिक टीनेन्ट पर दावा करे, इस प्रकार का विवरण दे कि उसमें कितना किराया बाकी है । जो डिमाण्ड स्लिप दे उसकी तामील होना जरूरी है । मैं समझता हूं, ऐसे प्रोविजन्स की कानून के अन्तर्गत आवश्यकता नहीं रहती । इस कानून को देखा जावे तो इस प्रकार का प्रोविजन है, कोई मालिक मकान टिनेन्ट से किराया नहीं लेता है तो टीनेन्ट अदालत में किराया जमा करा सकता है ।

वैसी परिस्थिति के अन्दर अब केवल एक मालिक को परेशान करने की नीयत से हो सकता है । टीनेन्ट डिमांड स्लिप न ले और उसके तहत डेढ़ वर्ष और दो वर्षों तक केसेज चलते रहें तो मालिकों का क्या होगा, जो मकानात के किराए पर जीवित

(श्री गंगासिंह)

रहते हैं तो यह जरूरी हो जाता है कि ऐसे कौन से प्रोवीजन्स हैं जिनसे फायदा नहीं हो सकता, लैंड लार्ड्स को हैरेसमेंट हो सकता है, ऐसे कानून के प्रोवीजन्स को न रखा जाय तो वाजिब होगा। ऐसे प्रोवीजन्स पहले हमारे एक्ट में हैं और उसके अन्तर्गत भी हाईकोर्ट ने रिमार्क्स पास किए हैं जिनका इरादा था कि ऐसे जो प्रोवीजन्स नोटिस तामील न होने के कारण हार्डशिप होती है। तो सवाल यह है कि जो डिमांड स्लिप का प्रोवीजन है उसके अन्तर्गत आप रखना भी चाहते है तो यह भी होना चाहिए कि जो टीनेन्ट जानबूझ कर अवोइड करे, उसके लिए क्या करना चाहिए। अगर ऐसे प्रोवीजन्स न हों तो मैं समझूंगा कि जिस मन्शा से हम कानून ला रहे है वह मन्शा पूरी नहीं हो सकेगी।

इसके अन्तर्गत आपने जो रिव्यू का प्रोवीजन रखा है उसके अन्दर अपील्स हैं उनमें भी यह प्रोवीजन रखा गया है। देखा जाय तो ये किराए के केसेज चल रहे हैं अपनी हाईकोर्ट में और सेशन्स कोर्ट में १०-१० साल तक पेंडिंग रहते हैं; तो एक केस जो आज से करीब १२ साल पहले तय हुआ था और अपील के अन्दर पेंडिंग है तो उसमें भी ये प्रोवीजन्स लागू होंगे। तो न्याय की दृष्टि से यह उपयुक्त नहीं है कि ऐसा कानून रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया जाय। इस वातावरण के अन्दर जो बिल पेश हुआ है वह किराएदार को कुछ विशेष फायदा नहीं कर सके और लैंड लार्ड को भी फालतू का हैरेसमेंट हो, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार दुबारा निर्णय लें, इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): अध्यक्ष महोदय, यह बिल जो प्रवर समिति के प्रतिवेदन के साथ इस सदन में बहस के लिए पेश है, उसकी पृष्ठभूमि में थोड़ा आपकी इजाजत मे इस सदन को लेना चाहूंगा। यह एक्ट सबसे पहले सन् १९५० में राजस्थान सरकार ने बनाया था। जैसा कि इस एक्ट के टाइटल से साफ जाहिर है यह बिल टिनेन्ट्स को बेदखली या किरायों की बढ़ोत्तरी को कन्ट्रोल करने की दृष्टि से बनाया गया था। इसलिए कुछ माननीय सदस्य जो इस बात को कह रहे हैं, एक वर्ग का दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए। मैं समझता हूं कि कोई भी सरकार जो सोशियलजस्टिस का दृष्टिकोण रखती है और इस समाज की वास्तविकता की तरफ ध्यान देकर, जो वर्ग आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, साधन सम्पन्न लोगों का सामान्य फ्रीडम से मुकाबला नहीं कर सकते तो स्टेट को बीच में इन्टरवीन करना पड़ता है और इस तरह से साधनहीन या आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर हैं उसको स्टेट को संरक्षण देना पड़ता है। इसी दृष्टिकोण से हमारा टीनेन्सी एक्ट है या फूड कन्ट्रोल ऑर्डर है या और बहुत से कानून हैं जिनमें सामान्य तौर से जो समाज में साधन सम्पन्न लोग हैं उनका फ्रीडम ऑफ कान्ट्रेक्ट में चूंकि पलड़ा भारी होता है इस वजह से उनको संरक्षण दिया जाता है। हमारे जितने लेबर लॉज हैं जिनमें वर्कर को संरक्षण दिया जाता है रिट्रेंचमेंट

Page No.70

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

के अगेन्स्ट, उनके वेज के अगेन्स्ट, उसको मिनिमम वेज मिले, उस सबका दृष्टिकोण यही है कि समाज में सब वर्ग बराबर नहीं हैं इसलिए स्टेट को इंटरवीन करना पड़ता है। इसी तरह से सारे देश में, देश में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों ने भी इस हाउसिंग समस्या के कारण यह महसूस किया कि मकान मालिक नाजायज तरीके से किराया ज्यादा लेते हैं या किराया बढ़ाने की दृष्टि से लोगों को बेदखल करते हैं तो स्टेट को इन्टरवीन करना पड़े। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि स्टेट को एक वर्ग का दृष्टि-कोण लेकर नहीं चलना चाहिए, बल्कि यह स्टेट का कर्तव्य है कि वह सोशियल जस्टिस को ध्यान में रख कर इंटरवीन करे।

इस कानून की जो शुरू में शक्ल थी उसको बाद में कई तरमीमों के जरिए बुनियादी तौर से बदला गया। शुरू में दो तरह के प्रोटेक्शन्स थे। एक इसमें बेदखली के खिलाफ किराएदारों को मिला हुआ था और किरायों को बढ़ाने के खिलाफ एक दूसरे किस्म का संरक्षण दिया हुआ था। जहां तक किरायों के बढ़ाने का सवाल है इस कानून में यह कन्ट्रोल किया गया कि अमुक तारीख को जो किराया था यानी सन् १९४३ में उनसे दुगुना या ढाई गुना से अधिक ज्यादा किराया मालिक नहीं ले सकता था। जहां तक बेदखली करने का सवाल था इस कानून में शुरू में दो तरह के संरक्षण दिए। एक तो किसी का किराए न देने के बाद डिफॉल्ट मानने के लिए मकान मालिक को रजिस्टर्ड नोटिस देना लाजमी होगा। और वह डिफॉल्ट तब तक नहीं माना गया जब तक रजिस्टर्ड नोटिस देने के बाद वह किराया न दे। दूसरा जो संरक्षण दिया गया कि किराया न देने के बाद अगर उस पर जो दावा हो तो उसको अधिकार दिया गया कि वह अदालत के अन्दर किराया जमा करा दे सूद सहित, तो वह बेदखल नहीं होगा। यह ओरीजिनल पोजीशन इस कानून की जो १९५० में इंट्रोड्यूस किया गया था वह थी, लेकिन बाद में किन्हीं ऐसे कारणों से, मालिकों के प्रेशर के कारण इस कानून में परिवर्तन किए गए और आज दोनों संरक्षण बेदखली के खिलाफ रजिस्टर्ड नोटिस के बारे में, यह अदालत में पैसा जमा कराने के बारे में जो प्राप्त थे यह संशोधनों के द्वारा दोनों संरक्षणों को वापस ले लिया और सेक्शन १३ में जो रजिस्टर्ड नोटिस देने का प्रावधान था कि बगैर रजिस्टर्ड नोटिस डिफॉल्ट नहीं माना जायगा, उस क्लॉज को हटा दिया। दूसरा जो प्रावधान था कि अदालत में पैसा जमा करा सकता है तो उसको बेदखल नहीं किया जायगा, उस पर यह कन्डीशन लगा दी कि अगर कोई किराएदार १८ महीने के अन्दर दो-दो महीने का किराया तीन दफा जमा नहीं कराए तो उसने ऐसा संगीन जुर्म कर दिया कि अदालत कोई राहत नहीं दे सकती। किराया दे, सूद दे, खर्चा दे तब भी उसको कोई राहत नहीं। उसको तो बेदखल होना पड़ेगा।

(२.०० म. प.)

अध्यक्ष महोदय, इसके सम्बन्ध में कानून में कुछ एम्बीग्विएटी थी। हाई कोर्ट के

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट उसमें हुए और माननीय न्यायाधीश जस्टिस दवे ने यह प्रावधान होते हुए भी तीन डिफॉल्ट्स का, यह जजमेंट दिया कि बेशक यह प्रावधान तीन डिफॉल्ट्स का रखा है लेकिन जो प्रोटेक्शन टिनेन्ट को अदालत के अन्दर पैसा जमा कराने का, ट्रान्सफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट की धारा ११४ में सामान्य तौर पर दिया गया है कि इस तरीके के टिनेन्ट्स अगर अपना किराया छः परसेंट ब्याज और पैनल्टी के रूप में सारा खर्चा अदा कर दें तो बेदखल नहीं होंगे बावजूद इसके अमेंडमेंट के हमारे न्यायाधीश ने, हमारे हाई कोर्ट ने इस प्रकार का जजमेंट दिया। लेकिन उस जजमेंट के बाद इस कानून में तरमीम करके उस प्रोविज़ो को ऐसी जगह रख दिया गया कि जो सुविधा प्राप्त थी जस्टिस दवे के अनुसार वह सुविधा भी नहीं रही और यह स्थिति हो गई, अध्यक्ष महोदय, अब उस प्रावधान के बाद जो सामान्य कानून है, ट्रान्सफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट की धारा ११४ के तहत, जो कि सारे हिन्दुस्तान में लागू है। जो कि कोमन लॉ है, जिससे कि कोमन लीज़ेज गवर्न होती हैं बजाय इसके कि टिनेन्ट को एक स्पेशल लॉ से कोई अतिरिक्त संरक्षण दिया जाता, इस कानून का यह नतीजा निकला कि कोमन लॉ के तहत ट्रान्सफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट में जो सामान्य सुविधा है टिनेन्ट के पक्ष में, टिनेन्ट का जिसमें प्रोटेक्शन किया गया है, नयी सुविधा देने के बजाय, जो कोमन लॉ के द्वारा प्रदत्त सुविधा है उसको भी छीन लिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं उस धारा ११४ का थोड़ा यहां उल्लेख करना चाहूंगा :

"Relief against forfeiture for non-payment of rent :

Where a lease of immovable property as determined by forfeiture of non-payment of rent to the lesser......

the lessee if at the hearing of the suit, pays or tenders to the lesser the rent in arrears together with interest thereon and full cost of the suit or case, such security as the Court thinks suffcient for making such payment within 15 days, the Court may, in lieu of making a decree for ejectment, pass an order relieving the lessee against the forfeiture and thereupon the lessee shall hold the property lease as if the forfeiture had not occurred."

तो, अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रोविज़न ट्रान्सफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट की धारा ११४ में है; यह स्पेशल तरीके के कान्ट्रेक्ट में रिलीफ इजेक्टमेंट का कुछ करने के लिए है। हमारे इस मौजूदा कानून को अगर पढ़ा जाय तो यह इसको भी ओवर राइड कर देता है और इस सुविधा से हमारे टिनेन्ट वंचित कर दिये गये हैं, इससे इसका नतीजा भारी बेदखलियों में हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, तीसरी प्रोब्लम जो हमारे टिनेन्ट के सामने थी कि बेदखलियां पर्सनल नेसेसिटी की बुनियाद पर कि लोगों

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

के पास मकान मौजूद है, दूकान मौजूद है और यह कहें कि मुझे आवश्यकता है इस बिना पर दावा कर दिया। अध्यक्ष महोदय, अभी हाईकोर्ट का जजमेंट हुआ है लेटेस्ट, उस जजमेंट में यहां तक कहा है कि जस्टिस मोदी ने; पमनदास वर्सेज लक्ष्मी बाई (१९६२ आर. एन. डब्ल्यू ६२९) में अपनी यह ओपीनियन जाहिर की :

"Even apart from that if the plaintiff has an alternative accommodation which he could occupy it must be left to him to choose which acccmmodation he wants and it is not for the defendant to dictate to him which he shall choose and which he shall not."

"यानी अगर किसी के पास पहले से मकान मौजूद है और उसका कोई दूसरा मकान खाली है या कोई किरायेदार उसमें मौजूद है तो मालिक मकान, मकान होते हुए, खाली कराने के लिए दावा कर सकता है और इस जजमेंट के मुताबिक टिनेन्ट यह नहीं कह सकता कि मकान मालिक के पास पहले से ही मकान मौजूद है यह खाली क्यों कराये ? उनका कहना यह है कि यह लैंडलार्ड की मर्जी है कि उसको असुविधाजनक हो तो इस मकान में रह सकता है और उसको (किरायेदार को) बेदखल किया जा सकता है। इस तरह के जजमेंट से यह स्थिति सारे प्रान्त में पैदा हुई जिसके कारण मैंने एक प्राइवेट मेम्बर्स बिल इस सदन में पेश किया था। मैं उस बिल की सारी बातों में दुबारा नहीं जाऊंगा, लेकिन गवर्नमेंट ने यह आश्वासन दिया था कि हम अपनी तरफ से बिल लावेंगे और उसकी बुनियाद पर मैंने उस बिल को वापिस लिया था। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज जो किरायेदारों के सामने समस्यायें हैं उन सबको सामने रख कर सरकार ने यह बिल पेश नहीं किया है। केवल पार्शियल प्रोब्लम को टच करते हुए गवर्नमेंट ने बिल पेश किया है। समस्या यह थी कि यह कानून सारे राजस्थान में लागू होना चाहिए था, लेकिन यह कुछ टाउन्स में, कुछ कस्बों में लागू होगा, सब बिल्डिंग्ज पर यह लागू होना चाहिए था लेकिन यह पुरानी बिल्डिंग्ज पर ही लागू होगा और नयी पर नहीं। जरूरत इस बात की थी कि यह उन तमाम बिल्डिंग्ज पर भी जो म्युनिसिपेलिटीज, गवर्नमेंट की या लोकल बोडीज की हैं लेकिन अभी इस लॉ के असर से इस तरह की बिल्डिंग्ज प्रिक्ल्युडेड हैं। इस तरह, अध्यक्ष महोदय, इस कानून का स्कोप बहुत सीमित रखा गया है। लेकिन जिस हद तक इस बिल को लाया गया है, इस बिल के लिए गवर्नमेंट को बधाई दूं, कि उन्होंने अपने कमिटमेंट के मुताबिक बिल पेश किया है, उसमें भी जो मंशा सरकार की है, प्रवर समिति से आने के बाद भी जो मंशा सरकार की है वह मंशा इस कानून से पूरी नहीं होगी। इसमें, अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जिस तरीके से पहले यह आश्वासन दिया था कि इसमें जो डिफॉल्ट्स का क्लॉज है, तीन डिफ़ॉल्ट्स हो जाने के बाद किरायेदार को रिलीफ नहीं मिल सकता, उसको बेदखल होना पड़ेगा। उसके बारे में सरकार कुछ रिलीफ किरायेदार को देने की बात

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

करेगी। इस कानून के जरिये सरकार ने अदालत में पैसा जमा कराने की कुछ सुविधाओं के बारे में प्रोविज़न किया है। इस कानून में पूर्व जो दावे चल रहे हैं उन पर लागू करने की बात रखने का इसके अन्दर विचार था, किरायेदारों को जो पानी या बिजली के कनेक्शन लेने में मालिक लोग जो अड़चने डालते हैं या उनको तंग करने की दृष्टि से जो सुविधायें नहीं दी हैं उनको देने की दृष्टि से इस बिल में प्रावधान रखा था।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रवर समिति के प्रतिवेदन से मैंने अपना असहमति-पत्र दिया है। मेनली किन बातों पर असहमति है उसका जिक्र मैं करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं विधि मंत्रीजी इसको केयरफुली सुनें ताकि उसका निराकरण कर सकें और मेरे जो संजेशन्स हैं उनका उत्तर दे सकें और उनको इन्कोर्पोरेट कर सकें।

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहली बात तो यह है कि इस मूल बिल में इस बात का प्रोविजो रखा गया है, नई धारा ११ अगर नल और बिजली किसी किरायेदार के मकान में नहीं है और उस लोकेलिटी में नल और बिजली उपलब्ध है तो उस किरायेदार को मालिक मकान नल और बिजली लगवा कर देगा उससे अपना किराया ७॥ पर्सेन्ट तक, सूद के हिसाब से बढ़ा कर, वसूल कर सकेगा। इसको प्रवर समिति ने बिल्कुल निकाल दिया है जिसको सरकार ने खुद ने सुविधायें दी थीं।

यह बात कही गई है कि मौजूदा कानून में किरायेदार खुद भी इसको लगा सकता है। मेरा निवेदन है कि अगर किरायेदार नल और बिजली खुद लगाता है तो उसको एक प्रकार से डैड केपीटल लगाना पड़ता है, बिजली के लिए सिक्योरिटी जमा कराना, मीटर लगाना, लाइन लेना, आखिर टीनेन्ट को तो इधर उधर जाना ही है, उस सामान को वह अपने साथ ले जा नहीं सकता तो इस तरह से नुकसान होगा इसलिए जो यह फिक्स्ड इनवेस्टमेन्ट है वह मकान मालिक को करना चाहिये, किरायेदार के ऊपर नहीं होना चाहिए।

दूसरी बात, कानून के अन्दर इस प्रकार का प्रोविज़न है कि नल और बिजली के लिए मालिक मकान से इजाजत लेनी पड़ती है, बिजली का कनेक्शन मालिक मकान से इजाजत लिए बिना नहीं मिल सकता, उसी प्रकार से पानी का कनेक्शन है उसके लिए भी मकान मालिक से इजाजत लेने की आवश्यकता है, वैसी हालत में जब तक मकान मालिक इजाजत नहीं देगा कनेक्शन नहीं मिल सकता। अगर मकान मालिक किन्हीं वजूहात से किरायेदार को निकालना चाहता है तो लाजिमी तौर से वह कभी भी इजाजत नहीं देगा और इस तरह से किरायेदार तंग हो जायगा। नल और बिजली के बिना मजबूर होकर उसको मकान छोड़ना पड़ेगा। मेरी राय में सरकार की तरफ से ओरीजिनल प्रोविज़न रखा गया था अब भी इसी प्रकार का रहना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं गो टीनेन्ट

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

की सुरक्षा के लिए यह बिल पेश किया गया है लेकिन किस असावधानी से इसको ड्राफट किया गया है जिसमें सेक्शन १३ के सब सेक्शन (४) में बताया गया, मैं समझता हूं, यह शायद असावधानी से प्रोविजन हो गया है जो टीनेन्ट को पहले से ज्यादा कठिनाई पैदा करने वाला बन गया है। विधि मंत्री ने शायद जो पहले एग्रीड थे उनकी जानकारी में होते हुए इस सब डोज़ को कैसे जोड़ा गया ? सबक्लॉज़ १३ (४) है उसमें यह है "In a suit for eviction on the ground set forth in clouse (a) of sub-section (1)". Sub-section (a) says : "That the tenant has neither paid nor tendered the amount of rent due from him for any two months."

यानी सब लॉज़ (४) है उसके अनुसार अदालत टिनेन्ट को यह कहती है कि तुम अपना तमाम चढ़ा हुआ किराया जमा करा दो हर महीने; जब तक दावा तय न हो, हर माह पन्द्रह दिन के अन्दर अन्दर जमा कराते रहो, अगर वह इस तरह से जमा कराता रहा है और अगर चूक गया है एक महीने का जमा कराने में, तो उसका तमाम डिफेन्स इजेक्टमेंट का काट दिया जायगा। जहां तक डिफॉल्ट्स की बात थी वह रीजनेबल बात थी। अब जो नया संशोधन सुझाया गया, बजाय इस सब सेक्शन के सब सेक्शन (ए) टिनेन्ट तक ही महदूद है, सब क्लॉज़ (४) इस प्रकार रखा गया है :–

"In a suit for eviction on any of the grounds referred to in sub-section (1)" Now it covers the whole sub section (1).

जिसमें डिफॉल्ट कवर्ड है, नेसेसरिली कवर्ड है डेट्रीमेन्टल यूज़ के लिये कवर्ड है, ये सारी बातें कवर्ड हैं–तमाम कॉन्टीन्जेन्सीज़; किस वजह से दावा है ये बातें अदालत नहीं करती; नेसेसिटी की वजह से दावा किया गया है। यह प्रोवीज़न नहीं रहता है और हर महीने किराया जमा कराता है और किसी महीने में चूक गया तो डिफरेन्स काट दिया जायगा। यह नया अमेन्डमेन्ट हो गया, कठिनाई हो गई; इन तमाम (ए) से (आई) तक लागू हो गया। इस तरह की मूल बिल की मन्शा नहीं थी। यह अननेसेसरी कन्डीशन बढ़ाई गई है। इसे क्लॉज़ (ए) तक ही महदूद किया जाना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बिल में एक बात थी डिफॉल्टर्स का जो सबसे खतरनाक ओरीजिनल बिल में प्रोवीज़न था, पिछली दफा इस बारे में डिस्कशन करते हुए सबने चिन्ता प्रगट की थी इस सम्बन्ध में इस बिल में, इस डिफॉल्ट के क्लॉज में सब सेक्शन (७) के बाद वैसा का वैसा रखा गया, एक प्रोटेक्शन टीनेन्ट को दी है सब सेक्शन १ सब क्लॉज (ए) के अनुसार जब तक रजिस्टर्ड नोटिस सर्व नहीं हो, सरकार प्रेस्क्राइब करे उसके लिए नोटिस देने की सुविधा रखी गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, शायद विधि मन्त्रीजी से मेरी बातचीत इस सम्बन्ध में हुई थी उसमें शायद इस तरीके की मन्शा थी जो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तीन डिफॉल्ट्स हो जायं उन डिफॉल्ट्स के हो जाने के बाद पहले रजिस्टर्ड नोटिस दे दे तो कोई बात नहीं। रजिस्टर्ड नोटिस देना जरूरी होगा। तीन डिफॉल्ट्स होने के बाद रजिस्टर्ड नोटिस दिया जाय इस तरीके से रखने की बात थी। जिस तरीके से इस बिल में अभी रखा गया है उसमें यह है कि दावा होने से पहले एक दफा रजिस्टर्ट नोटिस दे दिया जाय। यानी एक महीना किराया चढ़ गया, मकान मालिक ने रजिस्टर्ड नोटिस दे दिया, फिर छः महीना चाहे वह बैठा रहे ७ महीने के बाद जाकर दावा ठोक दिया, तो डिफॉल्ट हो चुका; ६ महीने में तीन डिफॉल्ट्स दो दो महीने के हो गये, रजिस्टर्ड नोटिस दे दिया। अब उसे बेदखली का प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता, यह लेकुना इसके अन्दर रह जाता है। मैं समझता हूं, जो मन्शा यह है उससे पहले वाली मन्शा पूरी नहीं हुई। जिस मन्शा को वे जाहिर करते हैं, उसमें भी लेकुना है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो सामान्य रिलीफ टीनेन्ट्स को अन्डर कोमन लॉ ट्रान्सर ऑफर प्रोपर्टी एक्ट के तहत मिलता है। अदालत के अन्दर पैसा जमा कराने की कुछ पैनल्टी सहित जमा कराने की जिस कानून की धारा १८४ का मैंने पहले जिक्र किया उससे सामान्य कानून से प्रीकाल्ड करके स्पेशल लॉ टीनेन्ट के प्रोटेक्शन के लिये बना है इस धारा से उससे भी वंचित कर दिया है।

अदालत के अन्दर पैसा जमा कराये पीनाल्टी के साथ फिर वह बेदखल नहीं हो सकता यह उचित नहीं है। आप जहां टीनेन्ट को प्रोटेक्शन देने के लिये कानून बनाते हैं वहां उल्टा यह स्ट्रिन्जेन्ट बनाना होगा। इसी प्रकार का प्रोविजन पंजाब के एक्ट में है दी पंजाब अरबन रेन्ट रेस्ट्रिक्शन एक्ट, १९४९ है उसमें मौजूद है।

"provided that if the tenant on the first hearing of the application for ejectment for due service pays or tenders the arrears of rent and interest at 6% per annum, the said arrears together with the cost of application assessed by the Controller, the tenant shall be deemed to have duly paid or tendered the rent within the time."

तो यह ट्रान्सफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट...

श्री मथुरादास माथुर (विधि-मन्त्री) : आप पंजाब का यह भी पढ़िये, डिफॉल्ट आफ्टर डिफॉल्ट होता रहे....

श्री रामानन्द अग्रवाल : डिफॉल्ट कितने भी हों ? उन सबके लिये लागू किया।

इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता था कि सेक्शन १३ सब सेक्शन (७) का बीच प्रोविज़ो पुराने एक्ट के मुताबिक रखा है इसको आप बिल्कुल निकाल दें, तो टीनेन्ट को भी प्रोटेक्शन मिलेगा और पैनल्टी व्याज भी देना पड़ेगा। इससे प्रोत्साहन नहीं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मिलता। मजा नहीं आवेगा टीनेन्ट को किराया देर से देने में और उधर लेंड लोर्ड को किराया भी पूरी तरह से मिल जाता है।

लेकिन मैं दूसरा आल्टर्नेटिव भी विधि मन्त्री को सजेस्ट करूं।

श्री मथुरादास माथुर : Then this is applicable for how many defaults? when he goes to the Court of law, the matter ends. Then why there should be clause of eviction at all? You say that the tenant should not be evicted because of arrears of rent.

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, सारे ही कानून में इजेक्टमेन्ट केवल डिफॉल्ट ऑफ पेमेन्ट ऑफ रेन्ट की बिना पर ही नहीं होता, इसके ११ कारण हैं।

श्री मथुरादास माथुर : I am talking of default of payment.

श्री रामानन्द अग्रवाल : पहले शुरू में ५० में आपने कानून बनाया कि उस समय इसी तरह की मंशा थी। दूसरी स्टेटों में भी ऐसा ही था कि डिफॉल्टड हो तो पेमेन्ट होना चाहिये और जब डिफॉल्ट किया है तो पेनल्टी के साथ पेमेन्ट होना चाहिये तो इससे जस्टिस लेंडलोर्ड के साथ भी हो जाता है। मैं नहीं कहता कि इसे एन्करेजमेन्ट दिया जाय कि किराया पे नहीं किया जाय। पर उसकी सजा उसको फांसी ही मिलनी, चाहिये, यह अवश्य नहीं है। उसको कम सजा, पेनल्टी रख दीजिये।

कुछ माननीय मेम्बरों ने अपने जो सुझाव दिये हैं अमेन्डमेन्ट्स के जरिये, उन्होंने ६ परसेन्ट इन्टरेस्ट सजेस्ट किया है और इस प्रोविजो के पीछे दूसरा प्रोविजो जोड़ने का कहना था। प्रोविजो के पीछे दूसरा प्रोविजो जोड़ने का कहना था। आप प्रोविजो को बिल्कुल निकालना पसन्द न करें, रखना जरूरी समझें तो फिर फर्दर रेन्डर प्रोविजो है। यह सामान्य सोशियल जस्टिस के अनुसार होगा। इससे टीनेन्ट का भी प्रोटेक्शन हो जावेगा और लेंड लोर्ड को भी हैरेस नहीं होना पड़ेगा। तो १३ के प्रोविजो पर मुझे अध्यक्ष महोदय, यही निवेदन करना था।

अध्यक्ष महोदय, सब क्लॉज (ए) जिसमें रजिस्टर्ड नोटिस का प्रोविजो रखा गया है उसके साथ यह और जोड़ दिया गया कि अगर वह नोटिस सर्व नहीं हो तो फिर सरकार जो तरीका प्रेस्क्राइब करे उस तरीके से नोटिस सर्व हो। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून में दूसरी जगह भी रजिस्टर्ड नोटिस से इत्तला देने की बात कही है। सामान्यतया रजिस्टर्ड ए. डी से हो जावे तो ठीक है, वर्ना इसको फिर डिफीट करने की कोशिश की जावेगी और जिस तरीके से खुद का सुझाव था कि ट्रान्सफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट में सर्विस का तरीका है सामान्य तरीके से कह दिया जावे. सामान्य खत भी लिख दिया जावे तो पर्पज को ही डिफीट कर देंगे। इसलिए मैं विधि मन्त्रीजी से कहूंगा कि रजिस्टर्ड नोटिस तक ही सीमित रक्खें और

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

स्टेट से प्रोवाइड करने वाली बात को हटा दें तो सही होगा।

चौथी बात, जिस पर असहमति प्रकट की है, लीगल नैसेसिटी वाला क्वेश्चन। मैंने सजेस्ट किया है कि इस धारा १३ के (एच) में मैंने दूसरा क्लाज सजेस्ट किया है और उसमें मेरा यह निवेदन करना है कि जो बोनाफाइड लोगों को अपने रहने को मकान की जरूरत है उनको मकान खाली कराने का अधिकार है। इससे मेरा विरोध नहीं है। पर उसका जो दुरुपयोग किया जाता है उसके विरोध में मेरी राय है और जो जस्टिस मोदी का रूलिंग पढ़ कर सुनाया उससे इस प्रकार का वाइड स्कोप खुल गया कि लोगों के पास अपना मकान होते हुए भी दूसरा मकान खाली करवाने का रास्ता निकल आया है, इसलिये मेरा यह संशोधन है कि इसके अन्दर बेसिस ऑफ कन्वीनियेन्स देखा जावे। वास्तव में मालिक को ज्यादा दिक्कत है तो खाली जरूर करवा लिया जावे, पर मालिक के पास तो है, कम अच्छा होगा, और किरायेदार परेशान हो जावेगा तो ऐसी स्थिति में खाली न कराया जावे, ऐसा मेरा सजेशन है। इस प्रकार का प्रावधान दिल्ली के एक्ट में है जिसको मैं आपको अभी पढ़ कर सुनाता हूं कि जिसमें लीगल नेसेसिटी के बारे में प्रोविजन रखा गया है, उसमें हैं :

That the premises let for residential purpose are required bonafide by the landlord who is the owner of such premises for occupation as a residence for himself or his family and he has no other suitable accommodation.

यानी पर्सनल नेसेसिटी के लिये सिर्फ रेजीडेन्शियल एकोमोडेशन को खाली कराने का है और वह भी तब जब कि ऑल्टरनेटिव एकोमोडेशन नहीं है। तो कहूंगा कि यह काफी रीजनेबल प्रोवीजन है और दिल्ली के अनुसार इसमें भी रखेंगे तो इससे मालिक मकान को भी दिक्कत नहीं होगी और टिनेन्ट को भी ऐतराज नहीं होगा। बेशक जिसके पास रहने को नहीं है उसको मिलना चाहिये। पर यह कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेन्ट पर लागू नहीं होना चाहिये। और मेरा सुझाव है अध्यक्ष महोदय, कि (अवरोध)

इसके अतिरिक्त इस कानून को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने का इसके अन्दर सुझाव है। लेकिन मेरा यह निवेदन है कि

(श्री मथुरादास माथुर के उठने पर)

माथुर साहब, इसको जरा सुनें गौर से।

श्री मथुरादास माथुर : I am hearing it.

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस कानून को प्रवर समिति ने मन्जूर किया है कि पूरे अमेन्डिंग बिल को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जाय पर कोरस्पोन्डिंग क्लॉज जो बनाया गया है मैं उसमें केवल धारा १३ के सबक्लॉज (४) से (६) तक जो अमेन्डेड बिल है उसको रिट्रोस्पेक्टिवइफेक्ट दिया है। उदाहरण के तौर पर उसमें जो बेयर क्लाज रखा गया है १६ डी में किसी को डिफॉल्ट होने के बाद भी अगर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

किराया मालिक मकान ने मन्जूर कर लिया तो वेवर हो जावेगा, डिफॉल्ट नहीं होगा । ऐसा १६ डी में है । उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, इसका मतलब यह होगा कि रेगुलर तीन डिफॉल्ट्स कर दिये किसी ने और पिछले साल मालिक मकान ने किराया भी ले लिया सारे का सारा,पर कानून के, इस कानून के आने से पहले दावा कर दिया कि दो वर्ष पहले इसने तीन डफाल्ट्स कर दिये तो इसलिये बेदखल हो सकता है। मैं समझता हूं कि प्रवर समिति के निर्णय के अनुसार इस शख्स से जिससे किराया मन्जूर कर लिया गया उसका डिफॉल्ट खत्म हो गया और अब उसके बिना पर बेदखली का दावा नहीं चलना चाहिये । लेकिन जिस तरीके से यह प्रोवीजन इसमें रखा गया है उसके जरिये से वह डिफॉल्ट पहले हुआ था और इस डिफॉल्ट को १६ डी का रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया इसलिये दो वर्ष पहले डिफॉल्ट हुआ आदमी अब भी बेदखल होगा । उसको इसका रिलीफ नहीं मिलेगा।

दूसरे नम्बर पर तीन डिफॉल्ट वाला भी जिनको रिट्रोस्पेक्टिव रिलीफ देने की की बात है उनको धारा १३ के (४) से (६) को ही इफेक्ट देने से उनको रिलीफ नहीं मिलेगा । क्योंकि रजिस्टर्ड नोटिस का प्रोवीजन १३ के(ए)में रखा गया है। इसका मतलब यह कि रजिस्टर्ड नोटिस देने का प्रोवीजन तो इस कानून के लागू होने के बाद होगा । पहले जिस आदमी का डिफॉल्ट हो गया उसको कोई रजिस्टर्ड नोटिस नहीं दिया गया और उसका दावा अभी चल रहा है, उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा । वह तो बेदखल होकर ही रहेगा । वह किरायेदार यह प्ली नहीं ले सकता कि अब कानून में अमेन्डमेन्ट हो गया है, मुझे रजिस्टर्ड नोटिस दिया नहीं गया था । इसलिये मैं किराया जमा नहीं करा सका ।

(२.३० म.प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसलिए मैं माननीय विधि मन्त्री जी से कहूंगा कि प्रवर समिति के फैसले को भी पूरे तरीके से उसके निर्णय के अनुसार लागू करने के लिए यह धारा ४ और ६ तक ही रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट न होकर पूरे के पूरे बिल को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जाना चाहिए, न कि सिर्फ १३, ४ और ६ धारा को ही; तभी लोगों को रिलीफ मिलेगा ।

इसके अतिरिक्त एक और बात है जिसकी तरफ मैं मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाऊंगा । मान लीजिए कि किसी आदमी ने किसी के खिलाफ दावा किया और डिक्री हो गई बेदखली की, अब उसको इस कानून के तहत रिलीफ लेने के लिए लाजमी तौर से अपील दायर करनी पड़ेगी, खर्चा करना पड़ेगा, तभी अदालत उसको रिलीफ दे सकती है, वर्ना वह अपील दायर नहीं करे तो डिक्री होगी और डिक्री पर यह लागू नहीं होता इसलिए इसमें प्रोवीजन कर दिया जाये कि दावा होने के बाद जिसका इजेक्टमेन्ट नहीं हुआ है उनको एक महीने के अन्दर अन्दर नोटिस देकर अगर यह कानून

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

लागू होता तो क्या प्रोवीजन होता उसके अनुसार उनको रिलीफ देने की सुविधा इसमें प्रोवाइड की जानी चाहिए।

आखिरी बात जिसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा माननीय मन्त्री जी का, वह है अदालत में पहले पैसा जमा कराने के लिए सुविधा थी। मैं उपाध्यक्षजी, सरकार को इस बात के लिए तो जरूर मुबारकबादी देता हूं कि उन्होंने यह एक नया रिलीफ किरायेदारों को अदालत में पैसा जमा कराने का प्रोवाइड किया है। लेकिन जो मकसद था सरकार का कि अगर मकान मालिक किराया नहीं ले तो वह अदालत के अन्दर जमा करा दे वह मकसद जिस तरीके का प्रोवीजन रखा गया है उससे पूरा नहीं हुआ क्योंकि जो प्रोवीजन रखे गये हैं उसमें यह कहा गया है कि दो कॉन्टीन्जेन्सीज में किरायेदार मकान मालिक को जमा करा सकता है; नम्बर १ कि ड्यू डेट के अन्दर मालिक मकान ने किराया नहीं लिया तो वह किराया जमा करा सकता है और या उसको सन्देह हो कि किराया किसको दूं 'एक्स' को या 'वाई' को, तब वह किराया जमा करा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि ड्यू डेट के बाद डिफॉल्ट हो जाने के बाद अगर वह किराया जमा कराना चाहता है तो इस प्रोवीजन को स्ट्रिक्टली कन्सट्रयू करते हुए अदालत इन्कार कर सकती है; हम जमा नहीं करेंगे. तुमने ड्यू डेट के अन्दर टेन्डर कहां किया? जहां प्रोटेक्शन हम यह देना चाहते है कि ३ डिफॉल्ट्स हो जायें और तीन डिफॉल्ट्स होने के बाद भी उसको रजिस्टर्ड नोटिस देना चाहिए, वह पेमेन्ट कर दे तो फिर उसको बेदखल नहीं किया जायेगा। अब अगर ३ डिफॉल्ट्स किसी ने कर दिये और उसको रजिस्टर्ड नोटिस दिया और रजिस्टर्ड नोटिस देने के बाद टीनेन्ट किराया देने जाता है मालिक को और मालिक इन्कार कर देता है तो फिर अगर वह अदालत के अन्दर जमा कराने जाये तो अदालत इन्कार कर सकती है कि यह प्रोवीजन लागू नहीं होता। यह प्रोवीजन तो उसी को लागू होता है जो कि ड्यू डेट के ऊपर टेन्डर किया हो और तब मालिक ने इन्कार किया हो। मैं मंत्रीजी से कहूंगा कि वे सीरियसली इस प्रोवीजन को देखें। जो धारा १८ (ए) है:

"Every tenant shall pay rent within the time fixed by the contract or in the absence of such contract by the fifteenth day of the month next following the month for which it is payable."

१५ तारीख तक जमा कराना चाहिए। नं० (२):

"Where the landlord does not accept any rent tendered by the tenant within the time referred to in sub-section (1); that is within 15 days of the month next following the month for which it is payable, i.e. if the landlord does not accept, only in that contingency or where there is a bonafide doubt as to the person or persons to whom rent is payable, the tenant may deposit such rent with the Court and such

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

deposit of rent shall be a full discharge of the tenant from the liability to pay rent to the landlord."

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, वह टीनेन्ट जब किराया मकान मालिक मन्जूर नहीं करे तो हर हालत में कोर्ट में जमा नहीं करा सकता वह उसी सूरत में करा सकता है जब कि महीने की १५ तारीख के अन्दर अन्दर मालिक को उसने किराया दिया हो और मालिक ने इन्कार कर दिया हो तब तो वह जमा करा सकता है। अब मान लीजिये कि मुझसे डिफॉल्ट हो गया, यह सही है कि मैंने १५ तारीख तक टेन्डर नहीं किया; एक तरफ तो आप रिलीफ देना चाहते हो...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक तरफ तो यह रिलीफ देना चाहते हैं कि ६ महीने का भी अगर किराया नहीं दे तो रजिस्टर्ड नोटिस दिया जाये और इसके बाद मुझे एक महीने का टाइम दिया जाये, उसमें मैं किराया जमा करा दूं, नहीं कराऊं तो मुझे प्रोटेक्शन नहीं मिले बेदखली से, लेकिन नोटिस देने के बाद ६ महीने के डिफॉल्ट का रजिस्टर्ड नोटिस दिया गया और तब मैं मकान मालिक के पास जमा कराने के लिए जाता हूं और मकान मालिक लेने से इन्कार कर दे और फिर मैं अदालत में जाऊं तो अदालत कहेगी कि यह प्रोवीजन तुम पर लागू नहीं होता, तुमने ड्यू डेट के अन्दर टेन्डर नहीं किया इसलिए अदालत में तो तब ही दे सकते थे जब कि ड्यू डेट के अन्दर टेन्डर करते। अब चूंकि ड्यू डेट को टेन्डर नहीं किया तो मकान मालिक ने जस्टीफाएबली इन्कार कर दिया लेने से, इसलिए किसी और प्रोवीजन के तहत जमा कराना-अदालत में डिपोजिट नहीं कर सकते, इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जो अदालत में डिपोजिट करने का प्रोवीजन लाये हैं उससे किरायेदारों को सहूलियत जरूर होती है, लेकिन यह जो प्रेजेन्ट शक्ल में है यह केवल उन्हीं किरायों से महदूद होगा जो कि हर महीने किराया जमा कराने जाते हैं और १५ तारीख के पहले इन्कार कर दिया तो वह कर सकते हैं। डिफॉल्टर किसी भी गलती से हो गया तो अगले महीने किराया जमा कराने जाये तो मकान मालिक इन्कार कर दे तो वह जमा नहीं करा सकता अदालत में। जब आप अदालत में जमा कराने का प्रोवीजन रखते हैं, जब ३ डिफॉल्ट्स तक आप मौका देते हो जमा कराने का तब तक का अदालत में जमा कराने का उसमें प्रोवीजन होना चाहिए और मैं समझता हूं कि इसके अन्दर संशोधन की जरूरत है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ मैं यह निवेदन करूंगा विधि मंत्री जी से कि इस बात पर गंभीरता से विचार करें। मैंने नई बातें नहीं कहीं हैं जो किरायेदारों को प्रोटेक्शन की जरूरत है, उनकी बात नहीं कही पार्शियल तरीके का, आपरिलीफ देना चाहते हैं उस पार्शियल तरीके के रिलीफ में भी जिस तरीके के प्रोवीजन्स हैं उनको इन्होंने इतना नैरो कर दिया है कि उनका

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तरीका बहुत ही कम पड़ता है। इसलिए जो आपकी मन्शा है, केवल डिफेक्टिव लेंग्वेज की वजह से आप उसको अधूरा नहीं रखें और जो मेरे सुझाव हैं उनके ऊपर विचार करके नया अमेंडमेंट खुद अपनी तरफ से सजेस्ट करें; ऐसी आशा करके इस सम्बन्ध में मैं अपने विचार रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री स्वरूपनारायण पुरोहित !

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, केवल एक क्लेरीफिकेशन माननीय विधि मंत्रीजी से चाहूँगा ताकि विवाद में हमें भी सहायता मिले और हम कुछ सहयोग दे सकें। कुछ एम्बीग्विटी है।...

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर देंगे उस समय पूछ लेना। वही मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा।

श्री स्वरूपनारायण पुरोहित...

आप ज्यादा समय नहीं लें। काफी समय हो गया है। १० मिनट।

श्री स्वरूपनारायण पुरोहित (सीकर): उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल हमारे समक्ष आया है वह सिलेक्ट कमेटी में भेजा गया था...

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर दूं कि मेम्बर जितने इस पर राय देना चाहें उनको देने की इजाजत दी जाय और उसके बाद में जनरल डिस्कशन इसके बारे में एक्स्टेन्सिव होने दिया जाय, उसके ऊपर मैं जवाब दे दूंगा। उसके बाद में क्लॉज़ बाई क्लॉज़ दो क्लॉजेज़ के बारे में खास तौर से चार क्लॉज़ का बिल है--ड्राफ्टिंग के अन्दर मैं खुद महसूस करता हूं कि चेन्ज की जरूरत है। मैंने इन्ट्रक्शन्स दे दिये हैं और मुमकिन है कि आज ही ले आऊं, अगर मुमकिन हो सके, नहीं तो कल अर्ली मोर्निंग में बिल को क्लॉज़ बाई क्लॉज़ लिया जायेगा। जिन मेम्बरों ने एमेंडमेंट रखे हैं उनको बुलाकर, बिठा कर और बातचीत करके जहां पर हमारा इन्टेन्शन साफ है और हम एग्रीमेंट में हैं तो उनमें वर्ड्स के बारे में और किस क्लॉज़ को ऊपर रखना और किस क्लॉज़ को नीचे रखना है, उसके बारे में चेन्जेज करने को तैयार हूं। लेकिन जिस बात को मैं करने को तैयार नहीं हूं उसके बारे में जवाब दे दूंगा कि इस वजह से नहीं हूं और मैं नहीं करता हूं और बाकी जो रहेंगे उसके लिए मैं एमेंडमेंट करने वाले माननीय सदस्य हैं उनको आधा घंटा बिठा कर वर्ड्स या फ्रेज़योलोजी में चेन्ज करने की जरूरत है उनको कर दूंगा।

एक माननीय सदस्य : क्लॉज़ बाई क्लॉज़ में क्लॉज़ेज़ ज्यादा नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : कुछ क्लॉज़ेज ऐसी हैं कि जिनके बारे में मैं साफ कर दूंगा जिसकी वजह से कल नहीं लेने दिया जाय। उसके बाद एक-दो क्लॉज़ रह

Page No.82

(श्री मथुरादास माथुर)

जाते हैं उसके बारे में सुझाव आये हैं और मैंने भी अमेंडमेंट देखे हैं तो मैं खुद महसूस करता हूं कि कुछ चेन्जेज़ की जरूरत है।

श्री उपाध्यक्ष : जनरल डिस्कशन कर दिया जाय।

श्री मथुरादास माथुर : जनरल डिस्कशन करने दिया जाय। उसके बाद क्लॉज बाई क्लॉज लेंगे। लम्बी क्लॉजिज़ नहीं है। डिस्कशन होकर तय हो जायेगा और ज्यादा बहस नहीं होगी।

श्री स्वरूपनारायण पुरोहित : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल हमारे समक्ष आया है वह राजस्थान भू-गृहादि (किराया और बेदखली नियन्त्रण) (संशोधन) विधेयक, १९६४ के नाम से है। इसकी आवश्यकता इस कारण से हुई थी कि हमारे यहां सन् ४७ के बाद रिफ्यूजीज का स्थानान्तरण हुआ और हमारे पुरुषार्थी भाइयों को कष्ट हुए, तो इसके लिए सन् ५० में यह कानून बनाया गया था, ऐसा मेरा विश्वास है। अब इस रूप में इसमें संशोधन किया जा रहा है सन् ५० के एक्ट में। उसके बारे में हमारी जो सिलेक्ट कमेटी में बात हुई थी और सिलेक्ट कमेटी की जो आखिरी मीटिंग थी उसमें मैं सीकर की जिला परिषद के चुनाव होने के कारण उपस्थित नहीं हो सका था। उसमें कुछ ऐसी बातें नई आ गईं कि जिनके बारे में एक असहमति पत्र सिलेक्ट कमेटी में मुझे देना पड़ा था। तो चूंकि आज इस बिल पर बहस जनरल डिस्कशन के रूप में हुई है और एमेंडमेंट का भी इतना नम्बर है कि शायद १९-२० अमेंडमेंट्स इसमें आये हैं और हमारे माननीय रामानन्दजी अग्रवाल जिन्हें एकोमोडेट करने के लिए हमारी सिलेक्ट कमेटी ने अत्यधिक यत्न किया था, उन्होंने अपनी असहमति-पत्र के अलावा आधा दर्जन के करीब अमेंडमेंट्स भी पेश किये हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि यह काफी कन्ट्रोवर्शियल बिल है। यह ऐसा बिल नहीं है कि जो आसानी से पास कर दिया जाय या उसमें बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया जाय। मैं यह नहीं कहूंगा कि किरायेदार पर किसी प्रकार की यदि मालिक मकान ज्यादती करे तो उसका निराकरण सरकार करने के लिए कोई उपाय न करे, किन्तु यह ऐसी बात है कि जैसा कि कहा जाता है कि वह पार्ट ए की तरफ से हो, यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। हमारे यहां माननीय सदस्य हांडा साहब ने बहुत जोरदार लफ्ज़ों में यह कहा था कि जौहरी बाजार में लक्ष्मी मिष्ठान्न भंडार की पगड़ी बिकी है। पगड़ी को वे समझे नहीं। क्या कारण था ? उन्होंने जोरदार इस बात को कहा कि नाजायज फायदा उठाया ? मैं पूछना चाहूंगा कि नाजायज फायदा किसने उठाया ? क्या पगड़ी लैण्डलॉर्ड को मिली या टीनेन्ट को ? इस पर शायद उन्होंने गौर नहीं किया। इस वक्त प्रश्न जो है वह यह नहीं है कि ज्यादती मकान मालिक कर रहे हैं या किरायेदार को उससे तकलीफ हो रही है, बल्कि दिक्कत यह है कि कुछ इस कानून के कारण, इस कानून की दिक्कतों की कानून में कमी रहने के कारण ऐसा हो गया है कि जिन्होंने एक दफा मकान का या दूकान

(श्री स्वरूपनारायण पुरोहित)

का कब्जा पा लिया वह खाली नहीं करता है और उससे नाजायज फायदा उठाता है। प्रश्न मालिक मकान के नाजायज फायदा उठाने का नहीं है, बल्कि टिनेन्ट के नाजायज फायदा उठाने का है। जो किसी समय काबिज हो गये और अब कानून की वजह से नहीं हटाये जा सकते हैं, किराया उचित रूप से बढ़ाया जा सकता है, यह प्रश्न गम्भीर है। और अभी यह पगड़ी का रिवाज जो कि बम्बई और कलकत्ता में था अब जयपुर में भी कुछ वर्षों से, मैं समझता हूं सन् ५० के बाद ही ज्यादा जोर से हुआ है जब से कि यह कानून बनाया है। जैसा कि आजकल आम तौर से यह कहा जाता है कि चीनी का कन्ट्रोल होने से चीनी बाजार में नहीं मिलती है, अनाज का कन्ट्रोल करने से बाजार में काफी मात्रा में मुहैया नहीं होता है, मैं समझता हूं कि मकानों की कमी और मकानों के किराये के मुकदमे चलने का कारण शायद यह कानून ज्यादा है बजाय इसके कि कुछ लोगों को तकलीफ है उसके कारण से।

यह मैं मानता हूं कि कुछ मालिक मकानों की ज्यादती के कारण से लोगों को तकलीफ उठानी पड़ती है। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि मकान मालिकों को दावा करना पड़ता है लेकिन जहां तक यदि सरकार कानून बनाये तो उनका कर्त्तव्य है कि दोनों ओर के पक्षों को देखे। जब यह कहा जाता है तो यह कहा जाता है कि किरायेदार हैं वे गरीब हैं और मालिक मकान हैं वे सब धनवान हैं। इस बात को मैं मानने को तैयार नहीं। मेरे पास ऐसी बहुत सी मिसालें हैं कि मालिक मकान विधवाएं या नाबालिग बच्चे हैं या ऐसे गरीब आदमी हैं जिनका गुजारा उस किराये पर होता है। यदि हम यह सोचें कि हम किरायेदार को रियायत दें और उसके साथ यह भूल जायं कि इस तरह के मालिक मकान हैं जिनका गुजारा मकान के किराये पर है और उनको नहीं देखें तो यह उचित नहीं है। मेरे ध्यान में यह बात आती है कि जिस प्रकार से इस कानून का बन्धन किया जायेगा व इस तरह से जकड़ करें, यह कानून बनायेंगे कि जो साधारण मामूली हैसियत का या बे पढ़ा-लिखा आदमी है तो उसका बिना वकीलों की सहायता से बचना नामुमकिन है। उसको अगर वकीलों की सेवा में जाना पड़ा तो किराये की आमदनी उनको भेंट कर देनी पड़ेगी। इसलिए मालिक मकान को रियायत नहीं कर रहे हैं। नोटिस में डिफॉल्ट में बाधाएं डाली जाती हैं। हम एक चीज यह चाहते हैं कि किराया टाइम पर मिले, यह जरूरी नहीं है कि मकान खाली कराया जाय। किराया जो मकान मालिक के गुजारे का जरिया है वह किराया ठीक टाइम पर मिलना चाहिए। वह जरिया तभी हो सकता है कि किरायेदार को यह ख्याल हो कि अगर वह लगातार कुछ अर्से तक किराया नहीं देगा तो उसको ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़े कि मकान खाली करना पड़े। जब तक यह डर उसके दिल में नहीं रहेगा जब तक वह यह नहीं समझे कि मुझको किराया देना ही है तब तक गारन्टी ऑफ रेन्ट नहीं होगी। वर्ना यह

(श्री स्वरूपनारायण पुरोहित)

बात रह जायगी कि जिन्होंने एक दफा मकान पर कब्जा पा लिया हमेशा के लिए उनका कब्जा हो गया।

इसलिए मेरा यह निवेदन है कि हमारा जो कानून बनेगा उसमें कुछ ऐसी बहुत आवश्यक बातें हैं जिन्हें हमें यह समझना आवश्यक है। मैंने जो असहमति-पत्र पेश किया है उसमें दो-तीन बातें हैं उन पर विशेष ध्यान आकर्षित कराया है और उसमें कानून की मूलधारा १३ की उपधारा (१) के खण्ड (क) में जैसा स्थापित करने का विचार है उसमें मकान मालिक द्वारा किरायेदार को किराये के लिए अग्रिम रजिस्ट्रीकृत नोटिस देना अनिवार्य है। नोटिस दिया जाय वह भी रजिस्ट्री। डाक से रजिस्टर्ड नोटिस भेजने में जिस प्रकार की दिक्कत होती है और जिस प्रकार का उसके लिये लोग तर्क निकालते हैं नोटिस नहीं लेने का उसको ध्यान में लाते हुए हमको यह सोचना पड़ेगा कि जिस प्रकार १८ महीने होते हैं तीन डिफॉल्ट्स के उसमें १८ महीनों के बजाय १६ महीने हो गये, लेकिन १६ महीने होने के बाद भी क्या यह संभव है कि उस पर दावा ठीक हो सकता है?

किरायेदारों को मालूम है कि उनको किराया देना है; मैं यह समझता हूं कि यह नया क्लॉज एड किया गया है नोटिस का, उसके बजाय १६ महीनों में खाली करना पड़े, यह हो जाय कि किराया एक दफा में न दे, या दुबारा न दे....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): इस तरह का भाषण तो पुरोहित जी महाराज स्वतंत्र पार्टी की बेंचेज से देते तो ज्यादा ठीक होता।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): पुरोहितजी सही कह रहे हैं, मूल नीति में कांग्रेस और स्वतन्त्र पार्टी में फर्क क्या है?

श्री स्वरूपनारायण पुरोहित: केपिटेलिस्टों और मकान मालिकों में फर्क है...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): आप बधाई के पात्र हैं आप अपनी पार्टी के सिद्धान्तों का ठीक तरह से प्रतिपादन कर रहे हैं।

श्री स्वरूपनारायण पुरोहित: मैं बिल्कुल ईमानदारी से बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मैं मालिक मकान हूं और उनको इस कानून से जो तकलीफ होगी वह बता रहा हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: आपके खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही करनी चाहिये। आप अपनी पार्टी की पोलिसी के विरुद्ध बोल रहे हैं।

श्री स्वरूपनारायण पुरोहित: मैं कहना चाहता हूं कि मालिक मकान होते हुए भी I have got clean record. आप लोगों को सोचना चाहिए, आप लोग मालिक मकान और मालिक जमीन होते हुए भी किरायेदारों के नेता बने हुए हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: हम तो लोर्ड हैं, लेंड तो पाकिस्तान में रह गई।

श्री स्वरूपनारायण पुरोहित : Excuse me । मेरा निवेदन यह है कि जो हमारे समक्ष बिल आया है वह इतना जल्दबाजी में आया है और सिलेक्ट कमेटी की मिटिंग्ज इतनी जल्दी जल्दी में की गई हैं और तारीखें कई बार बदली गई हैं जिसके कारण यह संभव नहीं हो सका कि सभी लोग सिलेक्ट कमेटी की मीटिंग्ज में उपस्थित हो सकें। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि हाउस यह मानेगा कि इस बिल पर फिर गौर होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, इसलिए कि इससे ऊपर जो अमेन्डमेन्ट्स के नम्बर हैं उनको देखते हुए और जो हमारे मुख्य सदस्य रामानन्दजी अग्रवाल हैं उनके अमेन्ड मेन्ट्स, विमत और टिप्पणी को देखते हुए सिलेक्ट कमेटी में जो अमेन्डमेन्ट्स किये गये उनके बावजूद भी सेटिस्फेक्शन नही हुआ है, उस पर ध्यान देते हुए इसको फिर दूसरी सिलेक्ट कमेटी में पुनर्विचार के लिए भेज कर पास कराना चाहिए क्योंकि यदि यह इसी हालत में पास हुआ तो न तो इससे टिनेन्ट्स को फायदा होगा और न मालिक मकानों को, वल्कि दोनों को दिक्कत होगी। मैं समझता हूं जिस प्रकार किरायेदार के रिप्रेजेन्टेटिव्ज की ओर से कहा गया है उस पर ध्यान देता हुआ मैं कह सकता हूं कि उनके हित में नहीं है और मैं समझता हूं मालिक मकानों के हित में भी कुछ हद तक न रहे। ऐसी दशा में मेरा नम्र निवेदन है कि इसे पुनः कमेटी के पास भेजा जाय और गौर करके शान्ति के साथ तैयार करके यहां लाया जाय क्योंकि कानूनी दिक्कत ऐसी होती है कि एक शब्द भी इधर उधर होने से बहुत फर्क पड़ जाता है, दिक्कत पैदा हो जाती है। हमारे हाई कोर्ट में, दूसरे कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट तक में मुकद्दमें चलते हैं उनमें देखते हैं कि कानून में एक एक शब्द इधर से उधर होने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ऐसी शक्ल में इस प्रकार का कानून जो बहुत ही महत्वपूर्ण है....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मालूम होता है किसी किरायेदार ने माननीय पुरोहित जी जैसे भव्य और अच्छे व्यक्ति को कष्ट पहुंचाया है।

श्री स्वरूपनारायण पुरोहित : मैं सच्चाई की बात कर रहा हूं। मेरे पास जो किरायेदार हैं वे बहुत अच्छे है, युनाइटेड बैंक, सेन्ट्रल बैंक आदि हैं जो मंथली पेमेन्ट करते हैं, लेकिन जो बात है वह कहनी पड़ती है जो ऐसे लैंड लोर्ड हैं जिनका गुजारा किराये पर ही चलता है, जो विधवाएं है, उनके लिए आपने क्या सोचा है? कभी आपने उनके लिए भी आंसू बहाये हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप यदि ऐसा अमेन्डमेन्ट दें जो विधवाओं और छोटे लोगों के हित में हो, १००) तक की आमदनीवालों के हित में हो तो आप लाइये हम आपको सपोर्ट करेंगे। आप उनके नाम पर प्रोटेक्शन चाहते हैं?

श्री स्वरूपनारायण पुरोहित : झूठा प्रश्न उपस्थित करने से मतलब नहीं निकलता, मैं उस वक्त ही बोलता हूं जिस वक्त I must। मैंने जो बातें कही हैं उन पर आप गौर करें और इस बात को ध्यान में रख कर करें जैसा पुराने जमाने में कहा

Page No.86

(श्री स्वरूपनारायण पुरोहित)

जाता था कि जागीरदार साहब अच्छे हैं, भले हैं सबको एक डांग से हांका जाता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप वाले हथियार का ही नाम लिया।

श्री परसराम मदेरणा : (उप-मंत्री, वित्त) : वह तो जागीरदारी प्रथा खराब थी।

श्री स्वरूपनारायण पुरोहित : जागीरदारी प्रथा खराब थी, लेकिन मालिक मकान की प्रथा तो खराब नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : किरायेदारों की प्रथा खराब है।

श्री स्वरूपनारायण पुरोहित : बिल्कुल ठीक है, किरायेदार रहे ही नहीं, वे सब मालिक मकान हो जायं, रामानंदजी की तरह सब हो जायं, किरायेदारों की मदद करें और मालिक मकान भी हों।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उनको तो १५ दिन पहले निकाल बाहर किया।

श्री स्वरूपनारायण पुरोहित : हांडा सहाब लेंड लोर्ड हैं, इनके पास लेंड है, फिर भी नेता हैं।...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हम तो लोर्ड हैं, लेंड पाकिस्तान में रह गई।

श्री स्वरूपनारायण पुरोहित : जो अमेन्डमेन्ट्स आये हैं उनके नंबर और अहमियत को देखते हुए मेरा पुरजोर निवेदन है कि इस बिल को पुनर्विचार के लिये सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाय और उसमें खूब गौर करके पास किया जाय। जल्दी में पास करने से किरायेदारों और मालिक मकान दोनों में से किसी को फायदा नहीं होगा।

अब दो-तीन बातों की ओर विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं। वे ये हैं, एक तो इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करने का रखा है वह बहुत गलत है। जो कानून हाई कोर्ट में चला गया है उसको आज हम किसी कारण से अमेन्डमेन्ट्स के जरिये बदलें तो मेरे ख्याल में जो पहले हाई कोर्ट में तय हो चुका है उसको आज री-ओपन करना ठीक नहीं होगा और इससे हाई कोर्ट और दूसरे कोर्ट्स में भी मुकद्दमों के नंबर बढ़ेंगे और किसी को इससे रिलीफ नहीं मिलेगा।....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप तीन साल तक इसी तरह से भाषण देते तो डिप्टी मिनिस्टर हो जाते।

श्री स्वरूपनारायण पुरोहित : आप तो रोज बोलने पर भी नहीं हुए !....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कांग्रेस के अंधों के आगे रोये और नैन गंवाए वाली बात है।

श्री रामानंद अग्रवाल : डिबेटिंग स्किल आपका पेटेन्ट पड़ा हुआ था, छिपा हुआ है।

श्री स्वरूपनारायण पुरोहित : पोटेन्ट रहना चाहिये, इम्पोटेन्ट नहीं होना चाहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यहां पड़े पड़े बुद्धि पोटेन्ट हो गई है।

(३ म. प.)

श्री स्वरूपनारायण पुरोहित : अब मेरा निवेदन यह है कि बिज़नेस पर्पेजेज ग्रौर रेज़िडेन्शियल पर्पजेज में डिफरेंशियेट नहीं करते हैं। बिज़नेस में नाजायज़ लाभ कोई उठाना चाहता है तो उसको जरूर रोकना चाहिये। रेज़िडेन्शियल पर्पजेज में किरायेदारों को फायदा पहुंचाना चाहिये, पर बिज़नेस में जो लोग फायदा उठाना चाहें उनको पगड़ी लेने में प्रोत्साहन दें, यह कदापि उचित नहीं है। इस कानून से पगड़ी वालों को प्रोत्साहन मिलेगा, इससे वकीलों को फायदा पहुंचेगा, नम्बर ऑफ जजेज बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इससे नम्बर ऑफ केसेज बढ़ेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप भी तो वकील हैं ?

श्री स्वरूपनारायण पुरोहित : प्रेक्टिसिंग नहीं हूं, लॉ ग्रेजुएट जरूर हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आउट ऑफ प्रेक्टिस हो गये ?

श्री स्वरूपनारायण पुरोहित : I am a law graduate, but never practised.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : रामसिंहजी कहते हैं कि आप प्रेक्टिस में हैं।

श्री स्वरूपनारायण पुरोहित : ये रामसिंहजी नहीं, हुक्मसिंहजी हैं।

Please try to know all the Members and then speak.

एक मेरा निवेदन यह था, जैसा कि व्यासजी ने कहा कि किरायेदारों को राहत पहुंचाने का कानून होना चाहिये, मैं इससे सहमत हूं, पर ऐसा नहीं हो कि मकान मालिकों के जो वाजिब अधिकार हों, वाजिब मांगें हों उनको भी आघात पहुंचे।

मेरा तो पुनः यही निवेदन है कि इस बिल को पुनः विचार के लिये सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाना चाहिये।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री पोहूमल ईसरदास !

मैं यहां यह जानना चाहता हूं कि जैसा प्रस्ताव माननीय विधि मंत्रीजी ने किया कि इस बिल को कल प्रारम्भ रखा जाय; बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार कल दो बिल लिये जाने को हैं, तो या तो हमें उनके साथ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल पर डिबेट हो रही है, इसका उत्तर विधि मंत्रीजी आज देंगे। इसमें कुछ मैटीरियल अमेंडमेंट्स के बारे में प्रभारी मंत्रीजी सोच रहे हैं, इसके लिये उन्होंने बहुत से माननीय सदस्यों को इन्वाइट किया है कि क्या अमेंडमेंट्स जरूरी हैं, कोई सोल्यूशन कल क्लॉज बाई क्लॉज लेने में ज्यादा समय जाया नहीं होगा, इसलिये कल ही इसे क्लॉज बाई क्लॉज लिया जा सकता है। प्रभारी मंत्रीजी आज ही जवाब देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं कि इसमें सदन को आपत्ति नहीं होगी। कल विधायी कार्य में प्रथम बार इसको ले लिया जायगा और बाकी बिल्स हैं, उनका समय भी साथ साथ रहेगा तो विजनैस एड्वाइजरी कमेटी के २१ वें प्रतिवेदन में इतना संशोधन रहेगा कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) विधेयक, १९६५ और राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९६५ ये दोनों आज के इस विधेयक के क्लॉज़ बाई क्लॉज़ पास होने के बाद लिये जायेंगे।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई): इसमें अमेंडमेंट पहले मेरा था, आपने उनको पहले बोलने का नम्बर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आपका नम्बर आ जायगा।

श्री पोहूमल ईसरदास (अजमेर पश्चिम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रेमिसेज (कन्ट्रोल ऑफ रेंट एण्ड एविक्शन)(अमेंडमेंट) बिल, १९६४, हमारे सामने है, जिसमें मेरे दो अमेंडमेंट्स हैं...

श्री उपाध्यक्ष : अमेंडमेंट पर नहीं, आप तो जनरल बोलिये।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : अमेंडमेंट वालों को कब मौका मिलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : अमेंडमेंट में ज्यादा समय मत लेना।

श्री पोहूमल ईसरदास : आप चाहें तो आज ही सब पर साथ बोल दूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल पहले बना था तो किरायेदारों को राहत देने के लिये बना था, मालिक मकानों ने किरायेदारों पर जो अनर्थ किये, वे जो अत्याचार कर रहे थे, उनसे किरायेदारों को जब यह बिल पहली बार १९५० में बना तो इस बिल ने राहत दी। पहले इसमें एक सेक्शन इस प्रकार की थी कि दो महीने का नोटिस मिलता था उसमें किरायेदार मकान मालिक को पैसा दे देता था तो उसे बेदखल नहीं किया जा सकता था। दूसरी सेक्शन यह थी कि फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, जब कोर्ट में दावा होता था और उस समय किरायेदार पैसा दे देता था तो किरायेदार को बेदखल नहीं किया जा सकता था। पर ५८ में यह एक नया काला कानून किरायेदारों के सिर पर लादा गया, और यह सेक्शन १३ ए. लाया गया कि जो किरायेदार १८ महीनों में दो दो महीने का तीन दफा डिफॉल्ट करेगा उसको इस सरकार के कानून की तो क्या बात, भगवान् का कानून भी उसे बेदखली से नहीं बचा सकेगा। इस काले कानून में किरायेदारों को हजारों की तादाद में बेदखल कर दिया है और मालिक मकानों ने अपने फायदे के लिये किरायेदार जब उन्हें किराया देने जाते हैं तो रसीद नहीं देते, या यों कहते हैं कि चलो अगले महीने में ले लेना रसीद। कई दफा धोखा देकर उल्टी-सीधी रसीदें देकर बाद में किराया बढ़ाने के लिये कहा और अगर किरायेदार ने किराया नहीं बढ़ाया तो उसे इस काले कानून के तहत बेदखल करा दिया। ऐसे तरीकों से और भी किसी से किराया बढ़ाना हो तो यह रास्ता अख्त्यार करते थे। इस तरह से इस काले कानून ने किरायेदारों को बहुत नुकसान पहुँचाया है

(श्री पोहूमल ईसरदास)

और लैंड लॉर्ड्स को इतना सिर चढ़ा दिया है कि किरायेदार किराया देने जाय तो लेवे नहीं, मनी ग्रॉर्डर भेजे तो मनी आॅडर भी नहीं लेते, पोस्टमैन से अंट शंट लिखवा कर भेज दिया ।

अब तो मैंने सुना है कि कम्पोज़िट पेश हो रहा है, कम्पोज़िट केस में यह हो रहा है कि ३ आरोप लगाये जाते हैं, मकान को तोड़ और दो और चीजें हैं, इन तीनों में से अगर एक भी डिफॉल्ट होता है तो उसको बेदखल किया जाता है । दो दूसरे आरोप साबित नहीं हों, एक ही आरोप साबित हो तो भी बेदखल किया जाता है । रिसेंट केमेज़ में ऐसा हुआ है । इस काले कानून को बन्द करने के लिये जो अमेंडमेंट सिलेक्ट कमेटी से आये है, मैंने भी एक अमेंडमेंट किया है । इसमें, १३ ए. में क्या लिखा है :–

"That a tenant has neither paid nor tendered the whole of the rent due within one month of the date if notice of demand for the arrears of rent has been served on him by the landlord in the manner provided......

मैंने इसमें ये शब्द मिलाये हैं । क्योंकि संशोधित आया उसमें लिखा हुआ है :

"In case of non service thereof in such other manner as may be prescribed"

उसके बदले मैंने यह रखा है

"As provided in section 106 of the Transfer of Property Act, 1882. Central Act IV of 1882."

उसके मुताबिक उनको रजिस्टर्ड नोटिस देना पड़ेगा; मालिक मकान को या तो रूबरू नोटिस देना पड़ेगा या रजिस्टर्ड नोटिस देना पड़ेगा । अगर किरायेदार नहीं लेवे तो उसमें जरूरी है कि नोटिस उसके मकान पर चिपका कर आवे । इतना रिलीफ तो मकान मालिकों को मिलना चाहिये । नोटिस लेने से यदि कोई किरायेदार इन्कार करे तो यह तो होना चाहिए ।

दूसरा इसमें यह था कि कोर्ट में जाने के बाद फैसला करना चाहे तो पैसा जमा कराये और पैसा जमा कराने के बाद यह काला कानून है, जिसके कारण बेदखली होती है, वह बेदखली नहीं होनी चाहिए ।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि इस काले कानून के द्वारा बिज़नेसमैन और इन्डस्ट्री वालों को भी बरबाद कर दिया है क्योंकि जब कोई दूकानदार दूकान खोलता है या धन्धा करता है और अपनी पूंजी लगा कर उसमें बैठता है और उसने सतरह, अठारह साल तक धन्धा किया या इन्डस्ट्री चलाई तो इतना धन्धा करने के बाद उसकी कुछ उधार हो गई कुछ उसके ऊपर भी बड़े व्यापारियों की उधार हो गई, कुछ उसने और पूंजी लगाई । उसके बाद कोई दूसरा आदमी, पांच-छः हजार, ६-१० हजार में उस दूकान को खरीद लेता है और कहता है, ये दूकानें मुझे अपने लिए चाहियें । अब वह दूकान उसे अपने लिए तो चाहियें लेकिन वह गरीब उस दूकान से अपने बच्चों का पेट

(श्री पोहूमल ईसरदास)

पाल रहा है, उस दूकान में अपना धन्धा कर रहा है और सतरह अठारह साल से उसमें बैठा है, वह वहां से उखड़ जाता है, तो उसका कैसे भी धन्धा नहीं चलेगा, क्योंकि उसका जो उधार होगा वह खत्म हो जायगा; साथ ही उस दूकान में जितना सामान होगा उसको वह कहां ले जायगा ? यह बड़ी मुश्किल समस्या उसके सामने खड़ी हो जाती है। ऐसी हालत में जो बेदखली का यह काला कानून है, यह कभी भी, जितनी कॉमर्शियल दूकानें हैं, जो कॉमर्शियल कन्सर्न्स हैं या जिनमें इन्डस्ट्रीज है, उन पर यह लागू नहीं होना चाहिए। यही मेरा निवेदन है। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री उपाध्यक्ष : श्री मथुरेशविहारी माथुर !

श्री मथुरेशविहारी माथुर (बांदी-कुई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर चल रही चर्चा के विषय में मुझे सदन के समक्ष अपने विचार रखने हैं। इस विधेयक का सीधा सम्बन्ध अर्बन प्रोपर्टी के दो बड़े वर्गों से है–एक मालिक मकान से है और दूसरे किरायेदारों से है। जहां तक किरायेदारों का सम्बन्ध है उनकी शकाओं और उनकी दिक्कतों के ऊपर यदि विचार किया जाय और साथ ही मकानों के, दूकानों के मालिकों की दिक्कतों को विचार में रखा जाय तो ऐसा लगता है कि दोनों की दलीलों में काफी वजन है। मेरी तो ऐसी मान्यता है कि रेजिडेन्शियल मकान है और कॉमर्शियल पर्पज के लिए जो दूकानें है–उनके लिए विभिन्न प्रावधान या विभिन्न कानून के जरिये अगर हम उन्हें राहत दे सकते हैं तो एक बहुत बड़ी समस्या हल हो सकती है। एक बड़ी दिक्कत इसमें आती है कि एक कानून है वह रेजिडेंशियल पर्पज के मकानों पर लगे और वही लागू हो उन दूकानों पर जहां दूकानदारों ने शहरों के अन्दर अच्छे मुकाम पर, अच्छे मार्केट और बाजार के अन्दर लाखों रुपयों का सामान इकट्ठा करके अपना कारोबार शुरू किया हो। लेकिन किसी गलती से, समय पर किराया न देने के कारण यदि उसको इजेक्ट कर दिया जाता है तो उसके ऊपर ऐसा आघात पड़ता है और ऐसी चोट पड़ती है कि वह कानून बनाने वालों के लिए एक तरह से बुरा कहने पर उतारू हो जाता है क्योंकि उसकी बरबादी हो जाती है। तो मैं, विधि मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि यदि आप इन दो बड़े वर्गों की जो दिक्कतें है उनको दूर करना चाहते हैं तो कहीं अच्छा हो कि आप अपने इस बिल के अन्दर ऐसा प्रावधान रखें ताकि जिनका कॉमर्शियल बिज़नेस है या कॉमर्शियल दूकानें हैं उनके किरायेदारों को कुछ राहत देने की दृष्टि से सोचा जाय और जो रेजिडेंशियल मकानों का प्रश्न है वहां मकान के मालिकों, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, की दिक्कतों को सामने रखते हुए विचार करते हुए सोचा जा सके।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन बिल की ओर, इस विधेयक की तरफ सदन के

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाऊंगा कि जो यह विधेयक प्रवर समिति में गया और इसकी जो आवश्यकता पड़ी वह इसलिए कि राजस्थान हाई कोर्ट को डिफॉल्ट की डेफीनिशन से बहुत अधिक अड़चन रही और फैसलों में यह डिसाइड किया गया उच्च न्यायालय से कि अगर पहली तारीख से दूसरी तारीख के अन्दर भी किराया नहीं दिया तो वह डिफॉल्ट है और उस डिफॉल्ट के कारण जिन लोगों के ऊपर डिक्रियां हुईं, उन डिक्रियों के होने से जो आम किरायेदार हैं उन्हें यह महसूस हुआ कि डिफॉल्ट की डेफीनिशन में आज उनके लिए कोई राहत, कोई संरक्षण नहीं है। मेरा ऐसा विश्वास है कि उनको संरक्षण देने के लिए, उस डेफीनिशन से बचाने के लिए, उन किरायेदारों की थोड़ी सी गलती के कारण होने वाली बरबादी से बचाने के लिए इस विधेयक को लाया गया। यहां तक तो यह सही है। लेकिन ऐसा इसके अन्दर देखने को मिलता है-उनका तो मैं दृढ़ समर्थन करता हूं-कि एक-दो क्लॉजेज इसमें ऐसे रखे गये है जिनके लिए मेरी मान्यता है कि उन क्लॉजेज़ से जो संरक्षण किरायेदारों को देना चाहते है उनको न मिल कर, मकान के मालिक को नहीं, बल्कि किरायेदारों को मिला है। उदाहरण के तौर पर मैं एक मौलिक अधिकार की तरफ सदन का ध्यान दिलाऊं कि किसी कानून के अन्दर आज तक ऐसी बात नहीं है, आम कानून का यह प्रिन्सिपल है कि जिस दिन दावा दायर करे या जिस दिन फैसला हो उस दिन-रेवेन्यू के जितने कानून हैं उनके तहत ऐसा होता है-जो १३ वां क्लॉज़ है उसको देखा जाय तो इसमें तय कर दिया गया है, यह अधिकार दे दिया गया है कि उसकी अपील हो रही हो तो भी उसको इस कानून के तहत में राहत मिल जायगी और उसके बाद रिव्यू कर दिया जायगा। मै आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह प्रावधान आखिर इंडिया में किसी जगह किसी कानून के अन्दर में नहीं है। मान लीजिये उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि जयपुर स्टेट के रेवेन्यू लॉज़ के विभिन्न कानून थे। उसके बाद १९५५ के अन्दर राजस्थान टीनेन्सी एक्ट हमने बनाया, तो जयपुर स्टेट के टाइम की अपील आज तक चल रही है, टीनेन्सी प्रोटेक्शन ऑर्डिनेन्स के आज तक रिट चल रही हैं, पांच-दस साल से अपील और रिटें चल रही हैं, लेकिन टीनेन्सी एक्ट पास हो जाने के बाद भी जो उनके अन्दर डिसीज़न होते हैं वे पुराने के मुताबिक दिए जाते है, उसी के तहत दिये जाते हैं क्योंकि उसमें यह तय नहीं किया कि वे सब कानून रिपील कर दिये गये हैं इसलिए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के तहत फैसले होंगे। तो इसके अन्दर जहां तक रिलीफ देने का ताल्लुक था आप पेंडिंग सूट्स के लिए दे देते तब कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन पेंडिंग अपील के अन्दर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का प्रोवीज़न डालें तो इसे किसी कानून से, किसी न्याय से सपोर्ट नहीं मिलता है। इसलिए मैंने यह अमेंडमेंट दिया है कि आप इसमें और पेंडिंग अपील को डिलीट कर दें। अगर आप और पेंडिंग अपील को डिलीट नहीं करेंगे तो इसके तहत जो १९५० से बहुत सी अपीलें फैसल हुई नहीं हैं, क्योंकि पांच-पांच, चार-चार साल तो

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

कोर्ट में सूट्स चलते हैं उसके बाद में अपीलें होती हैं और इस तरह हाई कोर्ट में पेश हुए मामलों को दस-पन्द्रह साल हो गये हैं। अब उसके अन्दर जो डेफीनिशन्स दी गई हैं उसको हटा दें तो दस साल के और पांच साल के पुराने मामले थे उनमें जो व्यूज़ हाई कोर्ट के हो गये थे, जो डिफॉल्ट की डेफीनिशन में आ गये थे-उनके लिए पेंडिंग अपील के लिए प्रावधान हो तो वह बेहद घातक है और कानून के विपरीत है...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : यह घातक किसके लिए हैं? विशेष परिस्थितियों में विशेष कानून लाया जाता है जिससे जिनको रिलीफ देना है उनको मिल जाय। और ऐसा प्रावधान रखना पड़ता है कि कोई हाई कोर्ट में चला जाय तो कानून की वजह से वह हाई कोर्ट में खत्म नहीं हो।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : मैं अर्ज करूं कि घातक इसलिए है कि जिस तरह का प्रावधान क्लॉजेज ३ के (४) में है उसको आप मुलाहिज़ा करें तो उसमें रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दिया है। उसमें आपने प्रावधान दिया है कि सारी ड्यूज डिफॉल्ट्स में हैं...

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त) : ३ हैं!

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : उसके लिए दावा दायर करने से पहले एक महीने का रजिस्टर्ड नोटिस देना पड़ेगा। यह नया प्रावधान है जो पिछले किसी कानून में नहीं था। अब जो अट्ठारह महीने का डिफॉल्ट है, कम से कम तीन दफा का डिफॉल्ट है उसके बिना पर दावा किया गया, उस वक्त यह कानून लागू नहीं था; आज जो फैसले के लिए पेंडिंग अपीलें हैं, इस प्रावधान में चूंकि वह नहीं आ सकतीं इसलिए यह दुबारा नोटिस दे। तो यह दावा पेश करने के लिए एक तरह से प्री-कन्डीशन हो गई। अगर यह दें कि कोर्ट में किराया जमा हो जाय, जब कोर्ट में केस चल रहा है उस समय किराया दे दें तो कुछ नहीं है। लेकिन दावा दायर करने के लिए वह पहले रजिस्टर्ड नोटिस दे; यह प्री-कन्डीशन लगा दें तो इस बिना पर दावा खारिज हो जायगा, इस प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन पर दावा खारिज हो जायगा। यह कन्डीजन आज लगाते हैं और वह अपील करता है पिछले टाइम से, तो दुबारा नोटिस देकर भी उस डिफेक्ट को दूर नहीं किया जा सकता है। इसलिए जैसा माननीय सदस्य ने पूछा कि घातक किस लिए है तो उसके जवाब में मैं कहता हूं कि यह घातक दोनों के लिए है और इसलिए घातक है कि आज नोटिस देकर भी उस कमी को दूर नहीं कर सकता और इसलिए दावा नहीं कर सकता। नोटिस नहीं देगा तो जितने पेंडिंग सूट्स हैं, आज तक राजस्थान में जहां भी पहले के कानून में हुई है वे एक ऑब्जेक्शन पर खारिज हो जाएंगे क्योंकि अब नोटिस देने के लिए कोई मौका नहीं है। इसलिए मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि आखिर इस बिल के जरिये मे आपकी जो मन्शा है उसको आप एक्स्प्लेन करें और जितने दावे आज की तारीख में है वे कन्फाउन्ड टू दी रेकॉर्ड कर

(श्री मथुरेशविहारी माथुर)

देने चाहिए नहीं तो आज जितनी अपीलें हैं, हजारों की तादाद में अपीलें हैं रेंट रेट की वे इस क्लाज की बिना पर खारिज हो जाएंगी। अगर आपको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है तो आप रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दीजिये, लेकिन इसमें यह कर दीजिये कि कानून के प्रावधान को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे रहे हैं वह यह दे रहे हैं कि रेन्ट कोर्ट मे जमा करा दें। वह आज भी जमा करा दें तो डिफॉल्ट के हजारों केसेज हैं उनमें जो डिफॉल्ट के क्लॉज का हाई कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक जो इन्टरप्रिटेशन लिया है उसके मुताबिक आज भी किराया दे दिया जाय तो वे मन्सूख हो जायेंगे। तो मेरा यह कहना है कि जो यह पेंडिग अपील पर लागू किया है वह कतई सही नहीं है। इसको डिलीट नहीं किया गया तो इस बिल की सारी मन्शा खत्म हो जावेगी।

इसके साथ साथ मैं यह बताना चाहता हूं कि जो रजिस्टर्ड नोटिस के लिए प्रावधान दिया है। ठीक है आप किरायेदार के लिए, मान लीजिये, संरक्षण देते हैं। लेकिन साथ ही जो दूसरी जगह कानूनों में प्रावधान है, पंजाब में हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं या और जगह है कि कोर्ट के अन्दर जिस दिन दावा दायर हो, उस दिन सारी चीजें आ जाती हैं, प्लेन्ट की कॉपी दे देते हैं, उसके साथ जितना एरियर होता है उसका विवरण होता है और जितना दिया हुआ होता है उसका विवरण होता है। वह नोटिस करीब करीब एक महीने का होता है, दावा करने के बाद जब पहली हियरिंग होती है उससे कम से कम एक महीने पहले का होता है। उस एक महीने के अन्दर, जब पहली हियरिंग होती है उससे पहले किरायेदार किराया मय ब्याज के दे देता है तो वह काफी है। अब उसके लिए दावा दायर करने से पहले एक नोटिस और दे और वह रजिस्टर्ड हो और प्रेस्क्राइब्ड मैनर में हो। तो मेरी मान्यता है कि प्रेस्क्राइब्ड मैनर के सम्बन्ध में तो हो सकता है कि जैसे आपके रूल्स वगैरह वर्षों तक नहीं बनते हैं, उसी तरह अगर आप रूल्स बना दें और वे जल्दी से जल्दी लागू नहीं हों और उस सम्बन्ध में आप सतर्क नहीं रहें तो उसकी वजह से बहुत मामलों में कानूनी दिक्कत आ जाती है। जैसा हम बहुत से कानूनों में देखते हैं कि आप प्रेस्क्राइब्ड मैनर कर देते हैं, लेकिन उसके बाद रूल्स बनते नहीं हैं : फिर प्रश्न पैदा होता है क्योंकि प्रेस्क्राइब्ड मैनर नहीं है इसलिए अपील नहीं हो सकती....

श्री परसराम मदेरणा : तुरन्त बना देंगे रूल्स !

श्री मथुरेशविहारी माथुर : तुरन्त आप बना दें तो बहुत अच्छा है। अब तक जो तरीका रहा है वह यह है।

अब यह रजिस्टर्ड नोटिस की पाबन्दी रखी है तो इसकी आवश्यकता क्या है ? यह मेरे विचार से रिडन्डेन्ट है। आप तीन जगह रिलीफ दे चुके हैं। तीन कॉन्सीक्यूटिव डिफॉल्ट्स करने के बाद वह पन्द्रह दिन के अन्दर रेन्ट अगर दे देता है, आपने सेक्शन १६ बी में रिलीफ दे दिया है कि ड्यू डेट से पन्द्रह दिन में दे देता है तो वेलिड पेमेन्ट माना जायगा। अगर वह नहीं दिया तो ब्याज लगा कर दे सकता है। यह आपने

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

लिमिट दी तो उस लिमिट के लिए आपने यह रिलीफ दिया। तो दूसरी रिलीफ यह दी कि अट्ठारह महीने तक वह बकाया रख सकता है, तीसरी रिलीफ यह दी कि दावा दायर के रोज वह कोर्ट में जमा करा सकता है। तो तीन रिलीफ एक टीनेन्ट के लिए काफी हो जाती हैं मेरे ख्याल से। इसलिए इसमें एक कानूनी नोटिस देने की पाबन्दी, जो एक इनीशियल स्टेज के लिए है यह देकर आप ज्यादा कॉम्प्लीकेशन्स पैदा करना चाहते हैं। इससे कोई नया रिलीफ तो उसको है नहीं।

दूसरी दलील इसके लिए यह देनी है कि एक नोटिस देना ट्रान्सफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट की दफा १०६ और १०८ के अन्दर में जरूरी है और जितने दावे आज तक होते हैं उनमें ट्रान्सफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट के तहत नोटिस लाजमी दिया जाता है और वह रजिस्टर्ड होता है। तो जब आपके पास ट्रान्सफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट का प्रावधान मौजूद है और उस नोटिस के अन्दर किराये की बकाया है, वह दर्ज की जाती है। अगर वह नोटिस उसको दे देता है तो नोटिस देने का प्रावधान तो ऑलरेडी मौजूद है ट्रान्सफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट में। उसके बाद वह दावा कर सकता है और दावा करते हैं। तो इन बातों के होते हुए फिर एक नया क्लॉज़ नोटिस देने के लिए, ट्रान्सफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट की दफा १०६ का नोटिस का प्रावधान होने के बाद भी, इसमें जोड़े जाने की आवश्यकता क्यों है ? मेरे विचार से यह रिडन्डेन्ट हो जाता है और इससे ज्यादा कॉम्प्लीकेशन्स पैदा करने की सूरत पैदा कर रहे हैं। खास तौर से इसी को सब्स्टीट्यूट करना चाहें तो मैं कहना चाहूंगा कि आप इस क्लॉज़ को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते हुए कहें तो हम उम्मीद करते हैं कि जितने आज दावे राजस्थान में चल रहे हैं वे खारिज नहीं हो सकेंगे। अगर वे दावे खारिज हो जाते हैं आपके इस क्लॉज़ के देने के ऊपर, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने के ऊपर तो फिर आपने किसको राहत दी है ? अगर यह राहत देते हैं तो फिर दोनों वर्गों में से एक वर्ग को देना चाहते हैं, तो बतलाइये कि सारे दावे आज तक के खत्म करना चाहते हैं और एक नया कानून अब देना चाहते हैं ? मैं कहूंगा कि इससे तो अच्छा था कि आप एक दूसरा क्लॉज़ जोड़ देते कि अब तक के जितने दावे थे वे खत्म किये जाते हैं और आयन्दा इस कानून के तहत दावे किये जायेंगे। आप साथ साथ यह कहें कि इसे अमेंड करना चाहते हैं, इसको रखना चाहते हैं तो उसको अमेंड करने के लिए प्रावधान रखिये। अब वह अमेंड नहीं करते हैं तो क्लॉज़ ३ के तहत दुबारा नोटिस देगा। उसने एक दफा खर्च कर दिया, उस पर कोर्ट फीस लगा दी और परवी कर ली, दावे की सारी कार्यवाही पूरी कर ली, और उसमें दोनों पार्टीज़ बरबाद हो गई–टीनेन्ट और लैण्ड लोर्ड। अब उसके बाद इस क्लॉज़ के तहत वे सब दावे खारिज हो जायं तो यह आपने रिलीफ किसको दी है ? इससे तो उनके ऊपर आघात पहुंचा है...

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): ऑन ए पोइन्ट ऑफ क्लेरीफिकेशन, सर, आप दलील दे रहे हैं; अभी जो नोटिस का प्रावधान जोड़ा गया है वह नोटिस ऑफ

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

डिमाण्ड का जोड़ा गया है। वह नोटिस ऑफ डिमाण्ड दे कि इतना रुपया बकाया हो गया है और जो ट्रान्सफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट में है वह नोटिस एविक्शन के लिए है कि एक महीने में, दो महीने में खाली कर दे। उस नोटिस के साथ इस नोटिस को मिला कर दोनों को कन्फ्यूज़ क्यों कर रहे हैं ? ये दोनों अलग अलग हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल जयपुर): कन्फ्यूज़ करने का सवाल नहीं है। ट्रान्सफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट में जो सेक्शन १०६ है उसके अनुसार नोटिस का प्रावधान है वह दे दिया है। दूसरे नोटिस का प्रोविजन लायें, इसके अन्डर में नोटिस दें, तो इसका परिणाम यह होगा कि जो सूट्स चल रही हैं उनमें डिफेक्ट हो जायगा। ट्रान्सफर ऑफ प्रोपर्टी के सेक्शन १०६ के अन्डर में जो नोटिस दिये हैं उनके बारे में इन्टरप्रिटेशन है कि वे वेलिड नोटिस होंगे। वे वेलिड हैं तब तक जब तक दूसरा प्रोवीजन ऑफ लॉ है नहीं। जब एक नोटिस का प्रोवीजन है तो दूसरे नोटिस का प्रोवीजन क्यों ला रहे हैं ? इस तरह का दूसरा प्रोवीजन रख कर आप मामले को कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। उसका जो राइट एक्रू होना था वह तो ओल्ड एक्ट से हो चुका है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो शंका उठाई है, उन्होंने मेरे पोइन्ट को फोलो नहीं किया है। मैंने अर्ज किया कि ट्रान्सफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नोटिस दिया जाता है। यह सही है कि वह एविक्शन के लिए दिया जाता है लेकिन उसमें किराया वगैरह या, एरिया वगैरह का विवरण देते हैं-वह होता है। इसमें आपने जहां तक नोटिस देने का प्रश्न है, उसके लिए कोर्ट में डेट पड़ती है उसके पहले इसके लिए एक महीने का टाइम मिलता है। एक महीने के टाइम में पार्टी कोर्ट में तो फंस गई लेकिन पहली हियरिंग में वह किराया जमा करा देता है तो वह उसके लिए काफी राहत होती है, उसको काफी मौका मिल जाता है। अब आप इसमें दावा पेश करने के लिए कन्डीशन रखें और यदि नोटिस नहीं दिया किराये का, डिमाण्ड का तो वह दावा खारिज हो जायगा, दावा पेश नहीं कर सकेगा। जो नोटिस दिया गया है वह एक महीने का नोटिस दिया गया है, एक महीने का अलग दिया गया है-यह एक नोटिस में दोनों चीजें नहीं रखते हैं और अलग अलग रखते हैं और यह दावे के लिए कन्डीशन रखते हैं-एक ट्रान्सफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट के अनुसार देना जरूरी है। और दूसरा इसको रख रहे हैं और रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे रहे हैं, दोनों नोटिस मेन्डेटरी रखें और उनकी कम्प्लायेन्स किसी तरह नहीं होती है तो दावा खारिज हो जाता है। इसके अलावा आज के पहले जो दावे चले हुए थे, जिस वक्त पाबन्दी नहीं थी, उस वक्त से इसे रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे रहे हैं, तो आज जितने दावे हैं और अपील में हैं वे खत्म हो जाते हैं। इसलिए इससे अजीब स्थिति पैदा हो जाती है। तो क्लॉज १३ है जिसको आपने पेंडिंग अपील के लिए रखा है और आप इसको रखना चाहें तो इनको रखने की जरूरत नहीं है। मेरी ऐसी मान्यता है, यदि रखना चाहें तो दावे को अमेंड करने का

Page No.96

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

प्रावधान रखें जिसके तहत दुबारा नोटिस देकर उस दावे को रिव्यू करा सकता है। अब वह है नहीं लॉ, इसलिए मेरी ऐसी मान्यता है कि जहां तक आप संरक्षण देना चाहते हैं वहां तक काफी दे दिया, वह उसके विरोध में नहीं है। जिसको आपने तीन तीन संरक्षण दे दिया—एक ड्यू डेट के बाद पन्द्रह दिन का संरक्षण दे दिया, उस डेट को जाने दें और सूट पूरा हो जाय उसके बाद देता है तो कन्फ्यूजिंग होता है।

तीसरा पोइन्ट, मैं अर्ज करूंगा कि आपने धारा १६ में कह दिया कि अगर ड्यू डेट से पन्द्रह दिन में देता है तो वह वेलिड पेमेन्ट मानेंगे वर्ना वह वेलिड पेमेन्ट नहीं माना जायगा। बी के अन्दर आपने कह दिया कि जितने उसके ड्यूज है, कभी के हैं चाहे वह अट्ठारह महीने के हों, चाहे पहले के हों—चाहे वेलिड पेमेन्ट हो या नहीं हों, लेकिन सबको एक्युमुलेट करके एक नोटिस दावा करने से पहले दे दें तो सब लीगेलाइज़ हो जायगा। यह भी कन्फ्यूज़िंग चीज है। एक तरफ तो आप यह कहते हैं कि वेलिड पेमेंट नहीं होगा और दूसरी तरफ आप यह कहते हैं कि अगर १५ तारीख तक पेमेंट करता है तो वह वेलिड पेमेंट होगा और उधर जब सरकारी दावा होता है तो सरकारी दावा होने पर अगर वहां पर पूरा पेमेन्ट एक ही समय में कर देते हैं तो उसको भी आपने वेलिड पेमेन्ट माना है और आप यह करते हैं कि वह भी वेलिड पेमेन्ट हो जावेगा। समझ में नहीं आता कि आपकी कौनसी चीज सही रही ? आपने जो प्रावधान रखा है उसमें दोनों चीजें कन्ट्राडिक्टरी हैं।

तीसरी बात यह है कि इस कानून ने एक अजीब कन्फ्यूजन पैदा कर दिया है और राजस्थान में एक नई स्थिति पैदा कर दी है। यह स्थिति हाई कोर्ट के डिसीजन से पैदा हुई है जिससे यह कानून लाने की आवश्यकता पैदा हुई है। उसमें यह था कि अगर कोई व्यक्ति जिसका किराये का पेमेन्ट दो तारीख को ड्यू होता है और वह उस दिन नहीं देकर ११ तारीख को पेमेन्ट करता है तो भी वह डिफॉल्टर समझा जावेगा। अब इस कानून के जरिये आप इस डेफिनिशन को ज्यादा वाइड करते हैं कि अगर वह फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग को अदालत में मय ब्याज के जमा करा देता है तो उसे आप डिफॉल्टर नहीं मानेंगे और उससे मकान का इजेक्टमेंट नहीं कराया जावेगा।

इसके अलावा नोटिस नहीं देने का या वेलिड पेमेन्ट के लिये जैसा अभी माननीय सदस्यों ने कहा, उसके साथ २ वेवर का पोइन्ट भी अजीब स्थिति पैदा करता है। मकान मालिक को ले लीजिये, अगर किरायेदार ड्यू डेट पर किराया नहीं देता है और उसके बाद में जाकर मकान मालिक को पेमेन्ट देता है और उस मकान मालिक ने अगर पेमेन्ट एक्सेप्ट कर लिया तो वह वेवर माना जावेगा, चाहे ड्यू डेट पर नहीं भी दिया गया हो। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि अगर उसने १५ तारीख तक जमा नहीं कराया तो वह डिफॉल्टर होगा। समझ में नहीं आता कि आखिर वेवर और वेलिड पेमेन्ट से आपका क्या मतलब है ? आप

(श्री मथुरेशविहारी माथुर)

चाहते क्या है ? ये दोनों चीजें आपने कानून में रखी है, कन्ट्राडिक्टरी है। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष, इस सदन में मैं अपने विचार रखते हुए यह अर्ज करूंगा कि जहां तक लॉ का सम्बन्ध है, लॉ को इस तरह से ग्रास्प किया गया है, इस तरह से इसको सदन के समक्ष रखा गया है, उसमें सारे प्रोस एन्ड कोन्स को नहीं देखा गया है और जो इस कानून के द्वारा किरायेदारों को राहत देने की आशा रखते हैं उस प्रकार की राहत इस कानून से उनको नहीं मिलेगी और साथ ही साथ मालिक मकान को जो राहत आप देने की चेष्टा करते हैं उनको भी राहत नहीं मिलेगी। इससे तो दोनों का इन्ट्रेस्ट खतम हो जावेगा। इसलिये मैं यह कहूंगा कि दोनों के इन्ट्रेस्ट को आप इस तरह से खतम न करें जो हमारे ड्राफ्टिग ऑफ दी बिल की गलती से किया है। इसलिये जैसा विधि मंत्रीजी ने कहा है कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, वे इस पर पुनः विचार कर रहे हैं, वे इस पर पुनः विचार करें और इसको रीड्राफ्ट करें....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस पर पुनः विचार किया जावे और ऐसा नहीं हो कि फिर दुबारा हाई कोर्ट में अगर कोई रिट पीटिशन में चला गया तो आपने जो प्रावधान रखे है उनको कहीं हाई कोर्ट अन-कॉन्सटीट्यूशनल करार नहीं दे दे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत है, यह मैं ऐसा समझता हूं कि आज के वक्त जब देश को आजाद हुए १८ वर्ष हुए, ऐसी हालत में यह बहुत ही पुराने ढंग का लेजिस्लेशन है। अंग्रेजों के वक्त का यह कानून है। जब लड़ाई छिड़ी, मकानों की कमी हुई और लोग मकानों में रहने वालों को दुखी करने लगे तो इस तरह का कानून आया जिससे किरायेदारों को मालिक मकान दुखी नहीं कर सकें। लेकिन आज इतना वक्त बदल गया है। हम खुला तहमद लगा कर चलना चाहते हैं। हम यह चाहते है कि कानून लेजिस्लेचर ने पास किया और इससे जो किरायेदारों की दिक्कत होगी और किरायेदार इतने सालों तक चलता रहा, यह कई सालों तक प्रश्न उठा, मैं यह कहूंगा कि अब भी सरकार इस कानून को लाई है, ठीक है, "देर आयद दुरुस्त आयद," आखिर सरकार इस आन्दोलन के लिये तैयार है। किरायेदार दिक्कत में फंस गये, उनको बचाने के लिये सरकार ने उनको बचाने की कोशिश की है। इसके साथ साथ में यह मौका, मैं समझता हूं, सरकार को मैं यह निवेदन करूं कि आज जिस तरह का लेजिस्लेशन आया है, हमारी सरकार को आज इस बात पर गर्व है कि सरकार सीलिंग लगा कर जागीरदारी प्रथा को खतम करके किसानों के लिये गांवों में इन्कलाब पैदा किया। जिसके लिये हिस्ट्री में नहीं हुआ वह सरकार ने करके दिखाया। मैं किरायेदार और लोगों की तरफ से अपील करता हूं कि जिस तरह से आपने उनके साथ किया है, किसानों को रिलीफ दिया उसी तरह से सरकार को चाहिये था कि इन लोगों को भी रिलीफ

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

देती। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जो शहरों में गरीब बचे हुए लोग हैं और जो किसानों से किसी तरह कम नहीं है, जब आपने उनके लिये तय कर दिया तो मजदूरों के लिये और जो लोग शहरों में रहने वाले हैं यह कहते हैं कि आज जो जमीन जोतने वालों की होगी, जैसा कि यह सरकार कहती है, वे भी यह उम्मीद करते हैं कि जो खून-पसीने को एक करके रोज की रोजी कमाते हैं और अपना पेट पालते हैं, वह इन्कलाब भी दूर नहीं है कि जिस मकान में वह रहता है वह मकान भी उसका होगा। यह जरूरत है कि सारे मकानों को जो कुछ भी कम्पेन्सेशन देना है देंगे अगर मकान मालिक ने उसका किराया उस मकान की कीमत से तीन गुना वसूल कर लिया है तो वह मकान उसको दे दिया जाना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : कोरम नहीं है।

(गणपूरक घंटी)

अगर एक मकान की कीमत...

(विराम)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप बजा दीजिये घंटी।

अपोजीशन को इसके लिये कोई दिक्कत नहीं है। वह तो कभी प्रिविलेज का प्रश्न उठा कर, कभी और ऐसी चीज उठा कर जिसका आम जनता से कोई सम्बन्ध नहीं होता है, लाते हैं। लेकिन जब जनता का प्रश्न आता है तो आप कुछ सुनते। कोरम नहीं रखते।

एक माननीय सदस्य : आप अपनी तरफ ही देख लीजिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपसे तो ज्यादा ही है।

आज जब किरायेदारों का मामला है इतनी दिक्कत नहीं होगी। मैं यह अर्ज कर रहा था कि जैसा कि आपने किसानों के लिये कानून बनाया कि जमीन उसकी जो जमीन जोतता है, उसी तरह से आपको यह कानून लाना चाहिये कि मकान उनका जो रहे मकानों में। आज कांग्रेस का यह नारा होना चाहिये था कि मकान उनके जो मकानों में रहते हैं। इस प्रकार का इन्कलाब आपको लाना चाहिये।

मैं निवेदन करूंगा कि उनकी साल भर की इन्कम पर सीलिंग लगाया जावे। आप इस तरह से यह बिल लाकर जिस प्रकार चमार जूते के चिप्पी लगाता है उस तरह से चिप्पी लगाना चाहते हैं, मैं इसमें ज्यादा इसकी कीमत नहीं मानता। पुराने चमड़े के आप चिप्पी लगाना चाहते हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं। सही बात है।

(हियर हियर)

श्री मथुरादास माथुर (विधिमंत्री): मैं चिप्पी तो लगाता हूं; नंगी फिरे उससे तो अच्छा है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं तो सरकार से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

जो प्रोग्राम है। आज सारा देश कांग्रेस की ओर देख रहा है, शहर में रहने वाले हैं उन पर सीलिंग लगे। किराये से चाहे जितनी आमदनी हो जाय उसके लिए सरकार को कोई परवाह नहीं। कांग्रेस ने यह तय कर दिया है कि कल के दिन यह देखना है, आप उम्मीद दिलायें अपने भाषण के जरिये कि जिस तरह से खेत जोतने वालों का खेत है उसी तरह से मकान में रहने वालों का मकान है।

इसके साथ साथ यह भी कहना चाहता हूं कि यह एक ही चीज नहीं है। इसके साथ तीन चीजें मिली हुई हैं। पहली यह है कि यह लेजिस्लेशन कम्प्लीट नहीं है। टुकड़ों के रूप में है। दूसरी चीज यह है कि आवास की समस्या बहुत बड़ी है। सोशलिज़्म को मानने वाली सरकार के सामने यह छोटी समस्या नहीं है, मकान मालिक और किरायेदार का झगड़ा, समस्या बढ़ी है। आज के युग में आवास की क्या व्यवस्था होगी? कैसे रहें? जिस प्रकार खाने के लिए अनाज चाहिये और पहिनने के लिए कपड़ा चाहिये, उसी प्रकार रहने के लिए भी मकान चाहिये। जिस प्रकार अनाज और कपड़ा मुहैया करना जरूरी है सरकार के लिए उसी प्रकार मकान भी मुहैया कराना जरूरी है। इस सरकार की और जिम्मेदारी आई है कि आज़ादी के १८ वर्ष के बाद आखिरकार यह सरकार किस प्रकार मकान की समस्या को, आवास की समस्या को हल करना चाहती है? यह मैं एक मौलिक प्रश्न उठाता हूं और इसके लिए पूछना चाहता हूँ कि हम बराबर निगाहें खींचते हैं लेकिन हम देखते हैं कि जिस गरीब को जरूरत है जिस गरीब के सिर पर छाया नहीं और जो गरीब है उसके लिए आप क्या करते हैं? हरिजनों के लिए बड़े आश्वासन दिये। उसके लिए, आपके पास कितना प्रोविज़न आवास के लिये है? जानवरों की तरह जहां लोग रहते हैं उस स्लम को हिन्दुस्तान से मिटा दिया जाय, यह कांग्रेस हुकूमत का प्रोग्राम है। गरीबों की झोंपड़ियां बन जायं, इसके लिए आपके पास कितना रुपया है? उसके लिये आप क्या करते हैं? मुझे दुख इस बात का होता है यह देख कर कि जो कुछ भी थोड़ा बहुत नगण्य सा आप उनके लिए प्रोविज़न करते हैं वह भी लेप्स हो जाता है। बड़े बड़े अफसरों के लिए, सेठियों के लिये, होटल बनाने वालों के लिए, सिनेमा बनाने वालों के लिए बहुत पैसा आप रखते हो और देते हो, जिनके लिए आज कोई समस्या नहीं है। जिन लोगों के आज आवास की समस्या है उनके लिए आप कितना देते हो? उनकी इस समस्या को आप हल नहीं कर सकते है, लेकिन जिनके कोई समस्या नहीं है उनको आप उल्टा पैसा देते हो। आज सिनेमा वालों को कर्जा मिलता है। बड़े बड़े होटल बन रहे हैं उनके लिये यह सरकार कर्जा देती है। कहते हैं यह कि हमारे यहां टूरिस्ट्स के लिये समस्या है, अमेरिका से आते हैं टूरिस्ट्स उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिये। लेकिन जो व्यक्ति फुटपाथ पर सोते हैं, जो सड़ी-गली और गन्दी बस्तियों में रहते हैं, स्लम एरिया में लोग रहते हैं क्या इन

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

लोगों को देखने आने वालों के लिए आपको होटलों की जरूरत है ? जो इस तरह से पड़े हैं उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं ? पांच पांच लाख रुपयों की बिल्डिंगें बन रही हैं। सरकार से कर्जा लेकर बन रही हैं।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त) सरकार ने अभी तक होटल बनाने के लिये राजस्थान भर में कहीं एक पैसा नहीं दिया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि इसको आप और देख लें। मेरी ऐसी मान्यता है कि इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट इसको इन्डस्ट्री मानता है। उसने इसको इन्डस्ट्री रिकॉग्नाइज किया है।

श्री परसराम मदेरणा : यह बात सही है कि डेफिनिशन में होटल को इन्डस्ट्री में इन्क्लूड कर दिया है। लेकिन होटल बनाने के लिए सरकार ने राजस्थान भर में एक पैसा भी नहीं दिया है।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : मैं स्वागत करता हूं। आप कांग्रेस के सिद्धान्तों को मानते हैं और आप आगे भी एक पैसा नहीं देंगे जब तक राजस्थान में गरीबों की झोंपड़ियां बन जातीं।

मैं इसका तो स्वागत करता हूं कि आपने इसको इन्क्लूड तो किया है, लेकिन मंशा साफ है। सदन को मिनिस्टर महोदय ने आश्वासन दिया है कि इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट कभी पैसा नहीं देगा, उनकी मैं इस बात को मान लेता हूं।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपको बताऊं कि आज सिनेमा हमारी छाती पर खड़े हो रहे हैं, सरकार के पैसे खड़े हो रहे हैं। उनका उद्घाटन और धोबियों की दूकानों का उद्घाटन सरकार करती फिरती है, लेकिन गरीबों के आवास की क्या समस्या है इसकी तरफ कोई ख्याल नहीं, कोई चिन्ता नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : धोबियों को आप केपिटलिस्ट्स मानते हैं ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप धोबियों को केपिटेलिस्टस नहीं मानते, लेकिन मैं मानता हूं : स्नो व्हाइट क्या है ? ये केपिटेलिस्ट्स नहीं हैं तो क्या हैं, मैं इनको केपिटेलिस्ट मानता हूं। एस्टेट जो फैल रही है उसको आप सहारा देते हैं। उसको धोबी मानता हूं, लेकिन केपिटलिस्ट धोबी मानता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : White Collar leadership !

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : I admit that.

मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आवास के सम्बन्ध में आप हमको फीगर्स बतायें, कलेक्ट करके बतायें। बड़े बड़े हाउस बनाने वालों को, बड़े बड़े अफसरों को तीन तीन साल की तनख्वाह देते हैं उधार, उसको जिस दिन देते हैं उस दिन से इन्ट्रेस्ट नहीं लगाते, उसका इन्ट्रेस्ट

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

तो हम देते हैं और वे तब देंगे इन्ट्रेस्ट जब कि उनका मकान बन जावेगा। तब तक आप उस रकम का कोई इन्ट्रेस्ट नहीं लगाते हैं। इतने बड़े बड़े मकान बनवा रहे हैं, किराये पर दे देते हैं। सरकार के मकान में रहते हैं और अपना मकान किराये पर दे देते हैं। आपने कर क्या रखा है ? जब तक हमारे आवास की समस्या हल नहीं होती, गरीब की झोंपड़ियां नहीं बन जाती, जो शहर में फुटपाथों और गन्दी बस्तियों में रहे हैं उनके आवास की समस्या हल नहीं हो जाती, तब तक आपको इस प्रकार की कर्ज देने की ओर विचार करना चाहिये। यह समस्या तब ही हल हो सकती है जब कि आज आप शहरों में इन बड़े बड़े मकानों को जिनसे केपिटलिस्ट किराया कमा कर आनन्द करते हैं, नेशनलाइज कर लेने चाहिये ! उनको नाम मात्र का कम्पेन्सेशन देकर आपको उन्हें नेशनलाइज करना होगा और नेशनलाइज करके आप आवास की समस्या को हल करिये। जिस तरह से आपने राजाओं के राज लिये, जिस तरह से जागीरदारों, जमींदारों से जमीनें लीं, उसी प्रकार मकानों को भी आपको लेना होगा। जिस प्रकार इन लोगों ने जो खून चूसी की है जो शहरों में अमरबेल की तरह से छाये हुए हैं उन लोगों के लिए आप कानून लाइये और इन मकानों को नेशनलाइज करिये। उसके लिये हमें क्या चाहिये ? हमें चाहिये आवास की समस्या हल करने का कानून उसके लिए कानून यह बनायें कि २० हजार वाले को बाद में दिया जावेगा और १२ हजार की झोंपड़ी बनाने वाले को पहले दिया जावेगा। वे झोंपड़ियां बन जावेंगी तब उनको दिया जावेगा।

आप इसके जरिये एक काम करते हैं : बड़े बड़े अफसर यह कहते हैं मैं कर्ज में हूं, कर्जे से मैंने मकान बनाया है। लिया होगा पचास हजार तो १॥ लाख का मकान बना होगा। नक्शे देखे हैं ? अन्दाज लगायें कि यह आदमी कर्ज ले रहा है, इतना कर्ज लिया है और इतने का मकान बना रहा है, बड़ा मकान बना रहा है तो उसका वह नक्शा रिजेक्ट होना चाहिये। आप उसको यह सुविधा नहीं देते कि वह उसके अन्दर पैसा जो ब्लैक मनी है उंडेल करके सम्पति बना लें।

श्री परसराम मदेरणा : ऐसे अफसरों के नाम बतायें तो आपका वक्तव्य ज्यादा सिद्ध होगा। आपकी जानकारी में और असेसमेंट से ५० हजार, ४० हजार का कर्ज लिया और आप तखमीना लगाते हैं कि वह एक लाख या डेढ़ लाख का मकान बना लिया है तो इन्क्वायरी कराने के लिये तैयार हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं माननीय मिनिस्टर के इस वक्तव्य का बहुत जोर से स्वागत करता हूं।

एक माननीय सदस्य : आप करिये पहले।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपके वक्तव्य का मैं स्वागत करता हूं और मैं समझता हूं कि इस तरह से आप जांच करवा लेंगे और उसका कोई नतीजा निकले तो मैं समझता हूं कि हमारे दामन से यह धब्बा मिट

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

जायेगा । तरकीब यह है कि जब बड़े बड़े अफसर अपने असेट्स का डिक्लेरेशन देते हैं, उस डिक्लेरेशन को ले लीजिये और उनकी लिस्ट बना लीजिये कि इतने इतने अफसरों को इतना इतना कर्जा दिया, मोटर के लिये अलग कर्जा देते हैं, मकान के लिये अलग कर्जा देते हैं, ये बेचारे गरीब कमसिन लोग हैं, ये बड़े गिलगिले हैं, रोज चारों तरफ आपके घूमते रहते हैं, उन पर जितना भी रहम किया जाय उतना थोड़ा है, जितनी भी सुविधायें मुहैया की जा सकें वे थोड़ी हैं, उन बेचारों की लिस्ट बना कर फिर देखें, मेरे पास इन्जीनियर नहीं है इनकी कीमत कराने के लिए, सरकार इस बात के लिए मदद करे । इन मकानों में रपटने और मुंह देखने लायक पोलिश हो रही है, उन सब की कीमत लगाने के लिए और जायजा लगाने के लिए, सही केल्कुलेशन बताने के लिए, मुझे गलत लगते होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि नामों की बात नहीं है, हम इधर उधर की तरफ और ऑपोजिशन के माननीय सदस्य इस बात में मदद करेंगे कि बता सकें कि इसको इतना कर्जा मिला और अपने पास से इतना रुपया लगाया और मकान बनाया वह जायज है या नाजायज है । नाजायज है तो सेक्शन ५ एन्टी करप्शन एक्ट में चालान आप करेंगे । ऐसा मैं आपका कमिटमेंट मानता हूं । मैं समझता हूं कि ऐसे आप जैसे मिनिस्टर ही इस प्रकार के आश्वासन दे सकते हैं जो स्वयं ईमानदारी में आते हों, जो हमारे और सदन के साथ रहना चाहते हों, उनकी इच्छा है कि ईमानदारी को ऊपर लाया जाय, उनकी इस भावना का मैं स्वागत करता हूं । मुंह पर मैं तारीफ करने वाला नहीं । जो इन्क्वायरी होगी इससे मुझे ऐसा विश्वास मिलता है कि जहां पर आप बैठे हुए हैं वहां पर न्याय मिलेगा । हम जो कहते हैं उसका असर पड़ता है, हमारी आकांक्षाओं को समझ कर हम जो मांग करते हैं उस पर आप पूरी तरह से इन्क्वायरी करायेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ आवास की समस्या भी इस कानून में सन्निहित है । मेरा ऐसा मानना है कि जहां तक आवास की समस्या है उसमें मकान मालिक और किरायेदार दोनों का सम्बन्ध न्यायपूर्ण होना चाहिए । आज जिस प्रकार की कानून की व्यवस्था है बार बार हम लेजिस्लेशन ला रहे हैं । आज दोनों के साथ एक सामाजिक व्यवस्था है उसको खत्म करने की हमने मांग की है, लेकिन आज जिस प्रकार की हालत है उन हालतों के अन्दर मैं कहना चाहता हूं कि न्यायपूर्ण व्यवस्था एक दूसरे के साथ होनी चाहिये । इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती; मैं कोई वकील नहीं हूं, न मुझे वकालत मालूम है, माननीय मन्त्री वकील भी हैं, अच्छी प्रेक्टिस चलती थी, आज आप ही इस कानून पर बैठे हैं । न्याय दोनों को मिले, इस प्रकार की कानून में रद्दोबदल होनी चाहिए । इस न्याय का मतलब यह नहीं कि न्याय ऐसा न हो जो एक दूसरे को न्याय न दे सके । मकान मालिक के पास बराबर किराया पहुंच जाय और किरायेदार को किसी प्रकार की परेशानी न हो । आज दोनों ही आपकी तरफ आशा लगाये बैठे हैं । किरायेदार को मकान मालिक इसलिए तंग करते हैं कि उनको

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

ज्यादा किराया मिल जाय इसलिए उनको खाली कराने के लिए तंग करते हैं ताकि खाली हो जाय तो दूसरे से वे ज्यादा किराया ले सकें। इसकी ओरीजिनल पॉलिसी ही आपकी गलत है, आवास की जो समस्या है जहां मकान मालिक यह देखा करता है कि इसमें मकान खाली करवा लिया जाय, नए किरायेदार से ज्यादा पैसा मिलेगा और इस तरह से आमदनी बढ़ जायगी, इसी लालच के कारण मकान मालिक और किरायेदार दोनों के लिए समस्या भी बनी हुई है। आज कोर्ट के अन्दर केसेज हैं, जो लोग एक्स्प्लोइटेशन पैदा करना चाहते हैं—जैसे पुरोहितजी हैं, इनके यहां आज तक कोई झगड़ा नहीं, न कोई कोर्ट में गया है कोर्ट में जाने की जरूरत ही नही पड़ी तो ऐसे जहां मकान मालिक हों और किरायेदार हों वहां किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। दिक्कत पैदा होती है सरकार की पोलिसी की वजह से। आवास की जहां समस्या है वहां किरायेदार भी बेईमान हो गये ओर मालिक भी बेईमान हो गये। इसलिए जरूरत इस बात की है कि दोनों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार हो, इसी को लक्ष्य में रख कर कानून बनाया जाना चाहिए।

मेरा सुझाव है कि बोनाफाइड नीड के लिए इजेक्टमेंट होना चाहिए, कुछ समस्यायें हाई कोर्ट के फैसले ने पैदा कर दीं उनको आप डेफीनिशन में डाल दीजिये। आपको मैं दिल्ली के कानून की बात बताऊं। डिक्री हो जाने पर कमॉशियल पर्पज के लिए या इन्डस्ट्री के लिए कोई मकान किराये लेता है तो उसकी डिक्री अदा होने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसका पैसा वसूल हो सकता है। इसका फायदा मकान मालिक को नहीं मिलने देना चाहिए, मालिक लोग एजेक्टमंट करें। साधारण कानून है। डिक्री करके मालिक वसूल कर सकता है, इसलिए इन्डस्ट्रियल और कॉमर्शियल पर्पज के लिए जिन्होंने मकान किराये पर लिए हैं उनसे इजेक्टमेंट नहीं होना चाहिए। माल जो वहां रहता है उससे पैसा वसूल हो सकता है।

कोमर्शियल लोग हैं वे भी मालदार होते हैं। अपना भुगतान स्टाम्प्स लगा कर कोर्ट्स तय करा सकते हैं, उसमें बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं। इनका इजेक्टमेंट किसी भी हालत में नहीं होता है; किराया बढ़ता हुआ चला जायगा।

टिनेन्ट्स के बहुत से केसेज हैं। मेरे पूर्व वक्ता ने जो बातें रखीं वे कानूनी हो सकती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अपील में रिलीफ मिलनी चाहिए। लोग बड़े इन्तजार से आपकी ओर देख रहे हैं। सारा राजस्थान इस कानून की ओर देख रहा है इस बात के लिए कि बेचारों के किसी प्रकार की ज्यादतियों की वजह से वे उनकी गर्दन छोड़ देंगे। किसी तरह से प्रभाव में नहीं आयें, आप अपनी बुद्धि विवेक काम में लें, गलती कराना चाहते है उनमें न आयें। आप यदि रिट्रोस्पेक्टिव और उससे पहले से रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू कर सकते हैं तो हाई कोर्ट की अपील तक रिलीफ मिलना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है।

श्री मानसिंह मह्वार (आमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल पर मैं...

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा, पहले ये बोल लें; उसके बाद आप, श्री मानसिंह महार बोल लें।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान भू-गृहादि (किराया तथा बेदखली नियन्त्रण) (संशोधन) विधेयक जो सदन के सामने प्रस्तुत है उस पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में सदन के माननीय सदस्यों ने विद्वत्तापूर्ण भाषण दिए हैं, इसके बारे में बहुत सी दलीलें दी जा चुकी हैं, उनको मैं दोहराना नहीं चाहता।

इस सदन को यह समझना है कि आखिर समस्यायें क्या हैं? जिस कारण आप यह कानून लाना चाहते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जो समस्या खड़ी हुई है वह राजस्थान हाईकोर्ट के कुछ इन्टरप्रिटेशन के आधार पर, जो हमारे रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट था उसमें उखण्ड १३ के पखण्ड (४) के नीचे प्रोविजो डाला था उसके फलस्वरूप जो समस्यायें पैदा हुई थीं उन समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। आज मकान मालिक और किरायेदार इन दोनों के बीच में बहुत बड़ी खाई है। आज राजस्थान में ही नहीं सारे हिन्दुस्तान में मकानों की कमी है, इसलिए विकासशील अर्थ व्यवस्था के अन्दर नए मकानों का किराया बढ़ रहा है; पुराने मकान मालिक भी लालच में आ गए हैं वह भी चाहता है कि अपने मकान का किराया किसी भी तरह से बढ़ा ले। इस किराये के बढ़ाने के अन्दर वे चाहते हैं, कि पुराने टिनेन्ट्स किसी तरह से बेदखल कर दें अगर उसमें कानून मदद करता है, बेदखल करने के लिए कोर्ट में जाता है। सबसे पहले इस प्रावधान के अन्तर्गत जो १८ महीने के अन्दर तीन डिफॉल्ट्स हो चुके हैं, तीन बार नियमित रूप से किराया जमा नहीं कराया तो हमारा कानून यह कहता है कि उसकी बेदखली कानून द्वारा नहीं रोकी जा सकती।

(४.०० म. प.)

१८ महीने के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, चाहे किसी ने ३ महीने में किराया समय पर नहीं दिया हो, हमने कानून में प्रावधान कर दिया कि उसकी बेदखली हो सकती है और उसमें हाईकोर्ट ने चार चांद लगा दिये अपना जजमेंट देकर कि एक तारीख को किराया नहीं दिया गया तो, २ तारीख को किराया दिया है तो भी डिफॉल्ट की तारीफ में आता है। तो मैं समझता हूं कि जो कोई भी किरायेदार, यदि कानून की स्ट्रिक्ट व्याख्या की जाये तो कोई भी किरायेदार बेदखली से बच नहीं सकता क्योंकि कानून बहुत सख्त हो गया और इस सारी व्याख्या से जो समस्या पैदा हुई है उसका समाधान करना चाहते हैं और हमारी नीयत है कि १८ महीने में ३ डिफॉल्ट्स हो गये तो उसके आधार पर किरायेदारों की बेदखली नहीं हो। अदालतों में जो पहली तारीख के दावे हैं तो पैसा ब्याज सहित दे दें तो उसके खिलाफ जो दावा है, वह खारिज हो जाने चाहिये। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी नीयत यह है, सरकार की भी नीयत यह है, लेकिन हमारे वर्तमान की जो खण्ड ३ के क्लॉज़ (१३) के सबक्लॉज़ (७)

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

के नीचे प्रोविजो किया है वही का वही प्रोवीज़ोहमने रिपीट किया है कि १८ महीने में दो महीने का ३ बार नियमित रूप से किराया नहीं देते हैं तो बेदखली होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह हमारी मन्शा के अनुकूल नहीं है क्योंकि जो आज तक हमने डेफीनिशन ली है, राजस्थान के हाईकोर्ट ने डेफीनिशन ली है डिफॉल्टर की कि २ तारीख को जमा कराया है तो भी डिफॉल्टर है तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पेन्डिग अपीलों में हाईकोर्ट में कोई अपील हो कोई डिस्ट्रिक्ट जजी में हो उन अपीलों के लिए जो हमारी पेन्डिग अपीलों में रिट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन इस कानून के द्वारा हम कर रहे हैं वह हम सिर्फ धारा १३ की उप-धारा (४) से लेकर (८) तक यह रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन कहीं भी हमने जो नई डेफीनिशन दी है धारा १६ (ए) के तहत उसको यदि देखें तो किराया जमा करा दें तब तक डिफॉल्ट नहीं होगा। इस धारा १६ (ए) का हमने रिट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन नहीं किया है और इसका परिणाम यह होगा कि जितने भी पुराने टीनेन्ट्स हैं जिनके दावे चल रहे हैं उनके जहां तक डिफॉल्ट का प्रश्न है उसकी व्याख्या तो हाईकोर्ट की उसी पुरानी परिभाषा के अनुसार होगी क्योंकि वे कहेंगे कि धारा १६ (ए) जो डाली है इसलिए उसका इफेक्ट आगे आने वाले समय के लिए होगा और विधान सभा नहीं कहती है कि पुराने केसेज़ भी १६ (ए) में लिए जायें, इसलिए कोई फायदा इसका नहीं दिया जा सकता। नतीजा यह होगा कि जो फायदा हम देना चाहते हैं वह सिर्फ नये कानून में भी जो कमजोरियां हमने रख ली हैं उसके फलस्वरूप हम उनको पूर्ण रूप से नहीं दे सकेंगे। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल में सबसे बड़ी चीज यदि कोई डाली है तो मैं समझता हूं कि १६ (डी) है और इसको डालने के लिए मैं निश्चित रूप से राज्य सरकार को बधाई देना चाहता हूं। १६ (डी) यह कहता है कि कोई मकान मालिक किसी किरायेदार पर पिछला किराया, चाहे वह डिफॉल्टर रहा हो यदि वह किराया ले लेता है तो फिर किरायेदार डिफॉल्टर नहीं गिना जायेगा। यह प्रावधान भविष्य के लिए डाला है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रावधान का रिट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन करना चाहिए। मकान मालिकों के दिमाग में हमेशा फितरत पैदा नहीं होती। लेकिन उसके दिमाग में फितरत तब होती है कि पूरा किराया ले लिया हो कोई भी टैक्नीकल ऑब्जेक्शन लेकर कि किराया तो दिया, लेकिन २ तारीख को नहीं दिया, १५ तारीख के बाद दिया, इन टैक्नीकल ऑबजेक्शन्स को लेकर जो टैक्नीकल डिफॉल्टर्स कानून के द्वारा बनाये जाते हैं मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून के अन्दर जो संशोधन हम ला रहे हैं इतना उनका साफ मन्तव्य होना चाहिये जिस से कि उसका सम्पूर्ण फायदा किरायेदार को मिल सके। मैं मकान मालिकों की तरफ से जो दलीलें रखी गई हैं उनके बारे में नहीं कहना चाहता हूं। वे मकान मालिक खुद हैं तो उनको अपनी बात कहने की मुमानियत नहीं है। लेकिन आज यह एक प्रोफेशन बन गया है। आज मकान किराये

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

पर देना भी एक बहुत बड़ा धंधा है और बहुत ही रेम्यूनरेटिव प्रोफेशन है और उन मकानों में जो किरायेदार बैठे हैं यदि कोर्ट में जाकर उनको पैसा दे देते हैं और आज भी उन अपीलों में जो हजारों की तादाद में पड़ी हैं किराया देने को तैयार हैं तो मकान मालिकों को क्या गर्ज है कि वे पुराने किरायेदारों को निकाल दें और जो कानून के लचर होने की वजह से मालिकों को छूट है कि वे किरायेदारों को निकाल सकते हैं, मकान मालिकों को यह साफ तरह से समझना चाहिए कि मकानों में जो किरायेदार बैठे है और जो किराया दे रहे हैं यदि कोई किराये के बढ़ाने का प्रावधान है तो वह उनसे बढ़वा लें और नहीं है तो सिर्फ इस नीयत से कि नये किरायेदार आ जायें और डबल किराया दें और इस प्रकार की जो मनोवृत्ति है कि एग्जिस्टिंग कैपीटल पर बिना मेहनत किये हुए ज्यादा पैसा कमा लें, इसकी इजाजत कानून नहीं दे सकता। इसलिए जहां तक पर्सनल नेसेसिटी की आवश्यकता का प्रश्न है उसके लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं है और उसके लिए कानून अलग है कि यदि कोई पर्सनल नेसेसिटी पर खाली कराना चाहता है तो करा सकता है; यदि किसी मकान मालिक को अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता है ट्रेड के लिए या रेज़ीडेन्स के लिए तो उसको अधिकार है खाली कराने का, लेकिन उसकी किराया कमाने की नीयत है तो कानून में साफ आना चाहिए कि नये किरायेदारों को वह इन्ट्रोड्यूस नहीं कर सकते। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नया खण्ड ३ की धारा १३ की उप-धारा (७) के नीचे जो हमने प्रावधान किया है, १८ महीने में ३ डिफॉल्ट्स दो-दो महीने के किराये के नहीं देने के कारण होंगे तो उसकी बेदखली होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रावधान से सारा फायदा जितना हमने दिया है इस नये बिल के द्वारा वह सारा फायदा समाप्त हो जायेगा। इसलिए सरकार को यह करना चाहिए कि ये संशोधन इस बिल में करने चाहिए कि सरकार की तरफ से कि १८ महीने में ३ डिफॉल्ट्स हो जायें तो भी फर्स्ट हियरिंग में हम उसका पैसा जमा कर लेंगे, भविष्य में सैकिण्ड डिफॉल्ट इसी तरीके का हो तो निश्चित रूप से उस किरायेदार के लिए माना जाना चाहिए कि हैबीचुअल अफेन्डर है और फिर उसका एविक्शन कराया जाये तो इस विधान सभा को सैद्धान्तिक रूप से कोई एतराज नहीं होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहली पेशी में, पहले दावे में चाहे १८ महीने में ३ डिफॉल्ट्स रहे हों उस परिस्थिति में भी उसका रुपया जमा होना चाहिए और किरायेदार यदि रुपया जमा कराने के लिए तैयार है तो उसके खिलाफ का दावा खारिज होना चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस धारा में संशोधन की आवश्यकता है। जो प्रावधान डिफॉल्ट का रखा है उसको पहले दावे में न रख कर सैकण्ड दावे में रखें तो जिस समस्या को सुलझाने का प्रयत्न कर रहे हैं वह समस्या इसके जरिये सुलझेगी, अन्यथा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समस्या पर हमारा अटैक है उसका समाधान इस बिल के द्वारा नहीं हो पायेगा। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि १६ (डी) जो

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

हमने नई धारा कायम की है कि मकान मालिक रजामन्दी से पूरा किराया ले ले तो जिस अर्से का किराया लेता है उसके लिए किरायेदार को डिफॉल्टर नहीं माना जायेगा यह व्यवहारिक है और इसका रिट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन करना चाहिए और इस बिल में यह होना चाहिए कि यह धारा ऐसी मानी जायेगी कि जैसे कि मूल एक्ट में समाविष्ट की हुई मानी जायेगी। इन शब्दों के साथ सिर्फ मैं एक ऑब्जर्वेशन जो १६ (ए) से लेकर (सी) तक के प्रावधानों में डाले हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो हम इस बात को बीच में ला रहे हैं कि मकान मालिक किराया नहीं ले, तो कोर्ट में उसको जमा करा दिया जाये और कोर्ट इस बात को तय करे कि इसका मालिक कौन है, मकान मालिक को नोटिस दें और वहां आकर अपना किराया ले और उसमें मकान मालिक कई तरह के हैं, क्लेमेन्ट्स हैं तो उसका भी फैसला सिविल कोर्ट करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इतना कॉम्पली-केटेड लॉ हमको निश्चित रूप से नहीं बनाना चाहिए।

यदि कोई किरायेदार है तो साफ तौर से बताना चाहिये कि मकान मालिक कौन है और मकान मालिक यदि यह प्रूव कर दे कि वही मकान मालिक है और यदि किराया न ले और सही मकान मालिक न हो तो निश्चित रूप से उस केस में किरायेदार का डिफॉल्ट अपने आप ही हो जावेगा। पर सिर्फ चूंकि मकान मालिक किराया नहीं लेता इस कारण स्टेट के सामने स्टेट के अन्दर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट वगैरह इस बात को तय करते रहें कि इसका रीयल ओनर कौन है और फिर सारा सिविल लिटिगेशन चले तो यह अनावश्यक रूप से इन्ट्रोड्यूस किया है। हमें सिर्फ किरायेदार को प्रोटे-क्शन देना है और इसके साथ यह लाजिमी है कि उसका मकान मालिक कौन है और अगर अपनी जिम्मेदारी पर अदालत में किराया जमा करावे और अदालत के द्वारा मकान मालिक को नोटिस हो जावे कि आपका किराया आ चुका है, ले लो और अगर झगड़ा चलता है तो किरायेदार साबित करेगा कि यह मकान मालिक है और वह साबित करेगा कि मैं मकान मालिक हूं, वह यह कहे कि मैं मकान मालिक नहीं हूं तो किरायेदार जाने कि वह किसको मिले। अगर तीन साल तक कोई लेने नहीं आवे तो वह स्टेट में फोरफीट हो जावे। इसका तो मैं समर्थन करता हूं।

पर जो लम्बी-चौड़ी बात इसमें डाली है कि मकान मालिक कौन है, इसको भी तय करेगी अदालत अपने सामने, तो यह सारा अनावश्यक इन्टरफियरेन्स होगा किरायेदार और मालिक मकान के बीच में। इस तरह के इस नये प्रावधान की कोई आव-श्यकता नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : सेक्शन १६ सी ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : ये १६ ए, बी सी, इसमें कॉम्प्लीकेटेड हैं तीनों। इनमें यह सिद्धान्त आ जावे कि जहां जहां यह स्थिति हो लेने में वहां किरायेदार

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

किराया कोर्ट में जमा करा दे और मकान मालिक के नाम से करा दे और उसका नाम देने के साथ साथ उसका रेजीडेन्स वगैरह भी लिख दे। अब अगर वह आदमी आकर क्लेम नहीं करे तो तीन साल तक पड़ा रहे तो स्टेट उसे फोरफीट कर ले। पर जो कोर्ट में रुपया जमा कराया गया है उसे जमा कराने के कारण चार मकान मालिक हमारी अदालत में जा जावें और झगड़ा करें कि हक मकान पर हमारा है और हम मालिक हैं, हमें किराया दो; तो मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि इससे हमारी कोर्ट फीस का भी नुकसान होगा। हमें तो वहां केवल यह देखना है कि किरायेदार जिस किसी के लिये कहे कि यह मकान मालिक है, आप उसको समन करके उसको किराया दे दो, अब अगर वह नहीं लेता है तो तीन साल बाद स्टेट फोरफीट कर ले। पर अगर कोर्ट स्वयं तय करने लगे कि कौन असली हकदार है, कौन नहीं तो इससे हमारी कोर्ट फीस का भी नुकसान होगा और फिजूल में मामला आगे चलेगा।

आज बहुत बड़ा एक आदमी मर गया, जिसकी तीस लाख की प्रोपर्टी है। कई मकान हैं उसके और कई मकान होने के कारण वे क्या करेंगे कि अपने किरायेदारों के जरिये अलग अलग लोगों के नाम रुपया जमा करा देंगे और अपने में ही सैटलमेंट कर लेंगे कि इसका किराया तुम उठा लो, उसका तुम उठा लो। और इस तरह से वे अपनी प्रोप्राइटरीशिप तय करा लेंगे। तो इससे हजारों रुपया की कोर्ट फीस का सरकार को नुकसान हो जावेगा, जो हो सकता है; क्योंकि इस तरह से प्रोप्राइटरी राइट्स इस किराये के झगड़े में तय करा दें कि मकान मालिक यह, तो मैं समझता हूं प्रोप्राइटरी-शिप का सूट जो उनको अन्यथा करने पड़ते तो उससे वे बच जावेंगे; तो इसकी बड़ी भारी सम्भावना है। वे ऐसी सूरत में न तो सक्सेशन सर्टिफिकेट लेंगे, न प्रोप्राइटरी राइट सैटल करने के लिये कोर्ट में इस कानून के तहत अलग से कोर्ट फीस भर कर दरख्वास्त देंगे। वे तो केवल किरायेदार के जरिये ही झगड़ा करा कर सैटलमेंट इसका भी कोर्ट में करा लेंगे जो भविष्य में सिविल अदालत में बाइन्डिंग हो जावेगा।

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन प्रावधानों के जरिये बिना कोर्ट फीस दिये अपने पार्टीशन सूट भी तय करा लेंगे और इसके जरिये सक्सेशन सर्टिफिकेट की जो आवश्यकता रहती है इम्मूवेबल प्रोपर्टी पर, तो उस कानून को भी वायोलेट करेंगे। इन नये प्रावधानों में इसकी गुंजाइश है।

इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर बहुत गम्भीरता से आप विचार करें कि क्या हम किराया जमा कराने की प्रक्रिया में मिल्कियत का अधिकार भी तय करा दें; यह अधिकार दें या नहीं। तो इन ऑब्ज़र्वेशन्स के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि धारा १३ की उपधारा (७) का प्रोवीज़न डाला है इसमें १६ डी का उसे रिट्रोस्पेक्टिवली लागू किया जावे।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष एक

(श्री मानसिंह महार)

महत्वपूर्ण कानून बहस के लिये आया है। पर जब मैंने बहस सुनी तो मैं, उपाध्यक्ष महोदय, परेशान हो गया। मैं समझता हूं कि कानून जनता के लाभ के लिये बनाना है। मगर मैं यह देखता हूं कि हमारी सरकार जिसमें कि कुछ बैठने वाले खुद वकील हैं वे कानून को इतना जटिल बना देते हैं कि जनता को उससे बहुत नुकसान और परेशानी होती है।

मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप कितने ही कानून बनाइये, कुछ भी कीजिये। आप जिस लक्ष्य को लेकर चलते हैं उसमें आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, जब कि एम (aim) यही है कि हम किरायेदार हैं या मालिक मकान हैं, दोनों को राहत पहुंचाना चाहते हैं। राहत इस तरह नहीं कि १६ धारा में (ए), (बी), (सी), (डी) जोड़ दें या विलोपित कर दिया। इससे कोई राहत नहीं मिलने वाली है।

बहुत सीधी बात है, एक मकान मालिक होता है और एक किरायेदार है। अगर किरायेदार की गलती है तो किरायेदार को हटाने का अधिकार होना चाहिये और अगर मकान मालिक बदनीयती से हटाना चाहता है तो उसे रोकना चाहिये।

इसमें बात क्या है, लड़ने झगड़ने की और बहस मुबाहिसे की। पर दुर्भाग्य ऐसा है कि हमारी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं, इधर बैठने वाले भी अधिकांश लोग ऐसे हैं जो बहस में भाग लेते हैं, अदालतों में जाते हैं और उधर बैठने वाले भी वैसे ही हैं और उन सब का लक्ष्य एक ही होता है कि जितने कानून बनें वे ऐसे उलझन में डालने वाले बनें कि बस उनकी बन आवे। मैं आपसे कहता हूं कि नसीराबाद से आने वाले मेरे मित्र ने जोरदार शब्दों में कहा, मैं सुनकर दंग रह रहा था कि गरीबों को मकान खाली कराने के लिये ऐसा करते हैं मकान मालिक। मैं सही कहता हूं, आप बहाव में मत बहिये, बाकी गरीब दो-डेढ़ रुपया महीना में कोटरी लेता है उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह १५०) रुपये का वकील करे और अदालत में लड़े। आप देखिये जितने लड़ाई-झगड़े हैं वे बड़े बड़े मकान मालिकों के और जो दो दो तीन तीन सौ रुपया माहवार किराया देने वाले हैं, उनके हैं। गरीबों को १६ (ए), (बी), (सी), (डी) से राहत मिलेगी। आप ध्यान रखिये और उप-मन्त्री जी की तारीफ कर दी कि आप तो बहुत ही हमारी सुनते हैं। तो सुनते हैं उप-मन्त्री जी तो, और कैबिनेट वाले नहीं सुनते हैं, क्या आप यह कहना चाहते हैं सब अन्धे है बाकी के या बहरे हैं। और उप-मन्त्रीजी को तो कहना चाहिये कि हम तो आपकी सब सुनते हैं। यह गलत भावना है कि अकेले मदेरणा साहब ही सुनते हैं और लोग कान में अंगुली डाल लेते हैं। तो भुलावे में डालने वाली बात नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने कही। तो हमें उस बहाव में भी नहीं बहना चाहिये।

मैं तो यह कहता हूं कि आप आज हर तरह से कानून को जटिल बनाते हैं इसलिये कि आप खुद वकील हैं। आपका भी दिमाग चक्कर खाता है और इधर उधर बैठने वाले

(श्री मानसिंह महार)

वकीलों की बात छोड़िये। आप, हम सीधे-सादे लेमैन की बात मानिये। इन चक्करों में क्या है? मेरा राज होता अगर और मैं आपकी जगह हुकूमत में होता तो वकीलों को अदालतों में ही न जाने देता। आज इनका पेशा सच को झूठ और झूठ को सच करना, यह इनका जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं ये। कत्ल करके भी जावे कोई तो वकील अगर अच्छा हुआ तो बरी करा देगा। इसलिए इन बातों में कोई तथ्य नहीं है। मैं आपसे कहूं। ये लम्बी-चौड़ी तकरीरें करके कह दिया कि राहत पहुंचाना है। एक साहब अलवर से आने वाले मित्र ने तकरीर की। उनकी तो खैर आदत है और उनका कर्त्तव्य भी है। वे मुकद्दमेबाजी को बढ़ावा दें यह उनका एम है और इससे टीनेन्ट्स में असन्तोष पैदा करें। मकान मालिकों में असन्तोष पैदा करें, उनका तो अन्दरूनी षडयन्त्र है। वे तो भारतवर्ष में शान्ति देखना चाहते ही नहीं। उनका तो एक ही एम है कि देश में अन्दरूनी अशान्ति हो, हर तबके में अशान्ति और आपसी वैमनस्य की स्थिति पैदा की जाय। देश में अशान्ति हो ताकि उनका फिर दांव लगे। अलवर के अन्दर कांग्रेस में आपसी झगड़े हुए, अशान्ति हुई, झट से एम. एल. ए. बन कर आ गये। इस प्रकार अशान्ति फैले, वातावरण बिगड़े तो फोरिन एक्सप्लोइटिंग करा लें, रूस और चीन को लाकर बिठा दें। उनकी तो ऐसी धारणाएं हैं। उन्होंने नोट ऑफ डिसेन्ट दिया है। वह तो रद्दी की टोकरी में जाने वाली चीज है। आप लोगों को उनकी ओर ध्यान ही नहीं देना चाहिए।

पर कुछ आपके कांग्रेस के मित्रों ने भी सुझाव दिया है। हमारे अन्दर बैठने वाले मित्रों ने भी दिये हैं। उन पर जरूर गौर करना चाहिए। इसके अलावा मैं आपसे निवेदन करूं कि अमेंडमेंट्स भी दिये हैं वे भी आवेंगे। पर खास चीज यह है कि तीन नोटिस तीन बार दिये जावें। तीन नोटिस पर भी न हो तो डिफॉल्टर हो जावे। और आप दुनियां को परेशान करना क्यों चाहते हैं? तीन नोटिस, १० नोटिस, एक नोटिस कितना मंहगा पड़ता है?

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त): कौन से तीन नोटिस और किस धारा के नीचे?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार: एक तो १०६ का नोटिस और एक लीगल नोटिस।

श्री मानसिंह महार: नोटिस देंगे तभी डिफॉल्ट होगा। मेरा तो वकील का दिमाग नहीं है। मैं तो लेमैन हूं, इसलिए उतना घुमा-फिराकर नहीं कह सकता हूं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार: फिर भी आप ठीक कह रहे हैं। एक तो स्टेच्यूटरी नोटिस और दूसरा...

श्री मानसिंह महार: मैं गलत तो कभी कहने का आदि नहीं हूं। मैं जो कुछ कहता हूं वह सोच-समझकर कहता हूं और आप कानून के चक्कर में उलझ जाते हैं इसलिए उन बातों को समझते नहीं हैं, यह मेरा दुर्भाग्य है। बाकी तीन नोटिस देने पड़ते हैं। नोटिस दिया जाना चाहिए तो सीधा-सादा नोटिस नहीं होता है। ईसके

(श्री मानसिंह महार)

लिए वकील साहब के दरवाजे पर जाना पड़ता है कि महाराज वकील साहब नोटिस लिख दो। वे कहते हैं कि अच्छा, नोटिस की फीस इतनी होगी और पैसे लेकर अपनी जेब में धर लेते हैं। दो महीने बाद दूसरा नोटिस देना पड़ता है तो फिर वकील साहब के पास उनकी सेवा में पधारो और तीसरा नोटिस देना पड़ता है तो उस वक्त भी उनकी सेवा में पधारो। उस गरीब किरायेदार का भी एक्स्प्लोइटेशन होता है। नोटिस पहुंचते ही बापड़े के खलबली मच जाती है कि नोटिस आ गया। वह भी वकील साहब के पास जाता है। वह भी उससे नोटिस के जवाब की फीस लेकर जेब में धरेंगे और कहेंगे कि नोटिस का जवाब टाइप करा कर हफ्ते बाद देंगे। अगर वह माली है तो कहते हैं कि तेरे यहां कोई सब्जी बब्जी है तो कल गोभी का फूल लेते आना, तो बापड़ा गोभी का फूल लेकर जायेगा। मैं आपको सही कहता हूं। आप लोग विचार करें। दूसरे दिन जाता है तो कि तेरे यहां गाजर है तो लाना, हलवे की जरूरत है। गांव के काश्तकार होते हैं और उससे कहते हैं कि अच्छी गाजर हो तो हलवे के लिए लाना। वह बापड़ा एक भारी माथे पर धर कर वकील साहब के दरवाजे पर गाजर ले जायेगा। कहने वाले सब वकील हैं, इसलिए सब जानते हैं। कभी दूध मंगाते हैं....

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आप बस्ता-बरदार बन जाइये, तो आपको हिस्सा मिल जायेगा।

श्री मानसिंह महार : मैं अगर यह धन्धा शुरू कर दूं तो आप लोग भाग छूटोगे। लेकिन मैं सही बात बता रहा हूं।

तो नोटिस वगैरह का कानूनी चक्कर छोड़िये उप-मंत्रीजी! बड़ा खराब धन्धा है। आप जानते हैं कि गांव वालों का क्या होता है। यह कहते हैं कि २-४ नोटिस देगा। मैं नहीं कहता हमारे मित्र एस० एस० पी० के सुराणाजी हैं उन्होंने कहा कि यह करो तो मैं सुनकर दंग रह गया। मुझे मालूम नहीं था कि माननीय मित्र वकील हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : मानसिंहजी, वकालत भी बन्द हो रही है।

श्री मानसिंह महार : वह तो सेक्रेटेरियेट प्रेक्टिस शुरू हो जाती है, विधान सभा में आते हैं। वह बन्द नहीं होती है, यह मैं दावे से कहता हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपकी पार्टी वालों की होती हो तो पता नहीं। अभी चार ही आये हैं कांग्रेस में।

श्री मानसिंह महार : वकील एक भी नहीं गया है। वे दो-दो रुपये लेकर काम निकालते हैं, वे गये हैं। वे नहीं गये हैं वकील लोग।

एक माननीय सदस्य : वे तो भेजे गये हैं।

श्री मानसिंह महार : तो ऐसे आदमी जा रहे हैं जिन्हें हम हजम नहीं कर सकते हैं; किन्हीं पर फरारी के मुकदमे चल रहे हैं।

(श्री मानसिंह महार)

मैं तो आपको धन्यवाद दूं कि आप एलान कर दें कि वे चार महानुभाव कौन हैं जो कि उधर पधार रहे हैं; तो हम भी तो देखें।

वकीलों पर मैं सट्राइक करना चाहता हूं। वकीलों की बात है तो दुःख होता है नेचुरली। हमारे तो कान पक्के हो गये; 'जागीरदार, जागीरदार'. सुनते हुए तो क्यों बुरा मानें कि जागीरदार डाकू होते थे, जागीरदार लुटेरे होते थे। लेकिन जो कुछ कहता हूं वह सही बात कहता हूं। तो वकील लोग बहुत परेशान करते हैं। मुझ जैसे लेमैन के लिए तो वकील एक बीमारी है। ये परेशान कर लेते हैं। हमारे विधि मंत्रीजी भी पधार आये हैं जो साथ साथ हिन्दी मंत्री भी हैं....

श्री मथुरादास माथुर (विधि-मंत्री) : आज हिन्दी मंत्री नहीं हूं, भाषा मंत्री हूं। अब चेन्ज हो गया है।

श्री मानसिंह महार : रोज ही बदलते हैं। मैंने आपको अव्वल दिन हिन्दी मंत्री सुना तो हिन्दी मंत्री ही कहूंगा, भाषा-वाषा के बजाय। वह पधार आये हैं। उनसे प्रार्थना करूंगा कि आप कानून में वकीलों की राय न लें....

श्री मथुरादास माथुर : बिल्कुल नहीं।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : वे भी वकील हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने कहा कि वकीलों की राय नहीं लूंगा, माननीय सदस्यों की लूंगा।

श्री मानसिंह महार : हियर, हियर। बहुत माकूल बात कहते हैं आप कभी कभी। इस तरह की जो बात कही है वह ठीक है। लेकिन इस कानून को सरल बनायें। यह बात मत कीजिये, कानून ऐसा नहीं बनाया जाना चाहिए कि दोनों पार्टियां भिड़ जायें।

श्री मथुरादास माथुर : नहीं, नहीं।

श्री मानसिंह महार : आपको तो एक ही बात रखनी चाहिए कि दोनों पार्टियां खुश रहें। उनको खुश करने की कोशिश करें। मेरा किरायेदार मेरे मकान में रहता है तो मैं समझता हूं कि मेरा भाई है...

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आपके जैसे सब मकान मालिक कहां हैं ?

श्री मानसिंह महार : मैं सही कहता हूं। आप पधार कर देख लें। यहां एक-दो किरायेदार ही हैं। उनको मैं अपना भाई, फेमिली का अंग मानता हूं और यही होना चाहिए।

श्री गिरधारीलाल व्यास : महापुरुष हैं आप !

श्री मोहनराज (बाली) : तो भाई को उतना शेयर दे दें, फिर समानता आयेगी।

श्री मानसिंह महार : मेरे घर में कोई यह कह दे कि लड़ाई मालूम होती है

(श्री मानसिंह महार)

तो मैं आपको यह कह दूं कि मेरे और मेरे भाई के जो सम्बन्ध हैं वे शायद इस सदन के सभी माननीय सदस्यों के भाइयों के साथ नहीं होंगे ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप गलत समझे । उन्होंने कहा कि किरायेदार को हिस्सा दे दें ।

श्री मानसिंह महार : वह मेरा भाई है । वह लेना चाहे तो मैं क्या नटता हूं ? इसमें क्या बात है ? उसका शेयर है । वह रहता है तब तक वह मालिक है । मेरा और किरायेदार का कोई झगड़ा नहीं है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं खत्म कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, ५ मिनिट और लूंगा ।

तो इसके अन्दर नोट ऑफ डिसेन्ट पढ़े तो मैं ऐसा समझता हूं कि आप यह न कहें कि मैं इधर बैठने वाले मेरे मित्रों के नोट ऑफ डिसेन्ट की सिफारिश करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि सरकार आदी है कि वह हमारी बात को नहीं मानती है, लेकिन उन सीटों पर बैठने वाले हमारे सीकर से आये हुए माननीय सदस्य का जो नोट ऑफ डिसेन्ट है वह भी उन्होंने ऐसी ही किस्म का रखा है । वह उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ दिया है । और अगर आप अपने साथी के नोट ऑफ डिसेन्ट को न मानें तो इसको मैं हठधर्मी मानता हूं । तो आप देख लें कि सीकर से आने वाले मित्र ने जो नोट ऑफ डिसेन्ट दिया है उसको जरूर मद्दे नजर रखें और उसको मद्दे नजर रखते हुए इस कानून को बनायें । अगर आप उनके नोट ऑफ डिसेन्ट की वकत नहीं करेंगे तो मैं कहूंगा कि बदला-बदली शुरू हो गई है । हमारे इधर वालों को लालच देकर उधर बिठा लिया जाता है और वह कर लिया जाता है तो आप (श्री स्वरूपनारायण पुरोहित से) हिम्मत करें, हम लोगों के इधर आ जाने की आपकी इतनी तौहीन करें तो। हम तो आपकी इज्जत रखते हैं क्योंकि आप हमारे पुराने साथी हैं ।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : अपने घर को सम्हालें ।

श्री मानसिंह महार : हमारा घर तो जितने जायेंगे छंटनी होकर साफ होगा । कूड़ा-कचरा जितना समा सके उतना लो । वह आप में ही खटेगा ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अब और कितना कूड़ा-करकट है ?

श्री मानसिंह महार : वह तो आप ही देख लें, उसके तो आप ही है हरिरामी घारू जैसों को बैठाये हुए हैं, उसमें तो आप समझते हैं, हम नहीं । मैं कहूंगा कि इस कानून को कुछ भी करिये, लेकिन जटिल मत बनाइये । जितना सरल हो उतना बनाइये । चाहे आप मकान मालिकों की तरफ झुकें, चाहे किरायेदारों की तरफ झुकें, मैं किसी की पैरवी नहीं करूंगा लेकिन कानून जितना सिम्पल हो सके उतना सिंपल बनाइये ।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त) : क्या सिम्लीसिटी चाहते हैं ?

श्री मानसिंह महार : मैं इसी पर आता हूँ। आप कह रहे हैं १८ महीनों तक किराया जिसने नहीं दिया, बीच में एक और बात लगा दी। मालिक है भी या नहीं?

श्री परसराम मदेरणा : १८ महीनों का प्रोविजन नहीं है।

श्री मानसिंह महार : तीन नोटिस देंगे या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : तीन नोटिस का प्रोविजन नहीं है।

श्री मानसिंह महार : तीन डिफॉल्ट्स कितने महीनों में होंगे। मैं वकीलों की तरह पेच नहीं जानता। मैं तो सीधी सी बात जानता हूं। आपने डेढ़ वर्ष तक तो पहले ही लड़ा दिया....

श्री गिरधारी लाल व्यास : ६ महीने।

श्री मानसिंह महार : ६ महीनों में तो बेटा-बेटी हो जाते हैं।

अदालत में जाने के बारे में आप एक पाबन्दी लगा दीजिये। मकान मालिक मालदार होते हैं, वे ऊंचे से ऊंचा वकील करते हैं। आप यह पाबन्दी लगा दीजिये कि कोई वकील किराये के मामले में अदालत के सामने नहीं जायगा। मुझ जैसे गरीब टिनेन्ट वकीलों को देने के लिये कहां से पैसा लायेंगे, इसलिये यह पाबन्दी लगा दीजिये कि वकील नहीं जायेंगे, टिनेन्ट और मकान मालिक दोनों को सामने बैठा कर अदालत फैसला कर दे। वकीलों को मत जाने दीजिये किराये के मामले में क्योंकि गरीब लोग इसमें ज्यादा इनवोल्व्ड होते हैं। वकील बड़े आदमियों के होते हैं।

मैं आपके सामने एक उदाहरण देकर खत्म करता हूं। एक साहनी साहब थे सांगानेर के, उनके खिलाफ केस चल रहा था। मैं कलेक्टोरेट गया तो एडीशनल कलेक्टर का कोर्ट वकीलों से खचाखच भरा था। मैंने पूछा कि क्या बात है, तो मुझे बताया गया कि सहानीसाहब का मुकदमा है, उनकी तरफ से २० वकील खड़े हैं और सरकार की तरफ से ऐसा वकील खड़ा है जिसने कभी रेवेन्यू की प्रेक्टिस ही नहीं की। साहनी साहब मालदार आदमी थे...

श्री दुर्गालाल चाड़दार : सरकार को गरीब समझते हैं क्या ?

श्री मानसिंह महार : सरकार तो गरीब ही है, उसमें क्या है; दिवालिया है। आप उसको ऊंचा समझें तो समझें, तो उसको बहुत बापड़ी समझता हूं। और कलेक्टरी से ३०० फाइलें गायब कर लीं, उन्होंने गायब कर दीं, ६ महीनों पहले ३०० फाइलें, जिनका आज तक पता नहीं, कोई सुनवाई नहीं। उनके मुकदमे की पैरवी होने लगी तो २० वकील साहनी साहब की तरफ से पहुंच गये। आप सोचिये, ऐसी हालत हो तो एक किरायेदार, उधर बैठने वाले साम्यवादी मित्र बहुत जोर से बोलते हैं, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वकीलों का इन मुक-

(श्री मानसिंह महार)

द्रमों की पैरवी करना बंद करिये, क्योंकि २) रु० माहवार किराया देने वाला गरीब आदमी १००) रु० देकर वकील नहीं कर सकता । मकान मालिक पूंजीपति मेरे जैसे मालदार होते हैं, यदि आप चाहते हैं कि इस कानून से गरीबों को फायदा पहुंचे तो यह करिये, अदालत में जरूर जायं, सैशन जज वगैरह जो भी जज हों उनके सामने मकान मालिक और किरायेदार दोनों बैठ जायं और दोनों को सुनकर फैसला दे दें । सीधी सी बात है । एक कहता है कि किराया नहीं दिया और दूसरा कहता है कि दे दिया, उसका फैसला मजिस्ट्रेट कर दे, वाजिब हो वह कर दे, मैं यही चाहता हूं। इन पचड़ों में पड़ गये तो जनता को बर्बाद कर देंगे ।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्षजी, राजस्थान भूगृहादि (किराया और बेदखली नियन्त्रण) संशोधन विधेयक, १९६४ प्रवर समिति के प्रतिवेदन को लेकर सदन के अंदर जो बहस हुई उस बहस से राज्य सरकार को और खास तौर से मुझे बहुत लाभ हुआ है । मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस बहस में भाग लिया है, अपना आभार प्रकट करता हूं । माननीय उपाध्यक्षजी, दो तरह के दृष्टिकोण सदन के सामने रखे गये। एक दृष्टिकोण, जिस दृष्टिकोण के बारे में । मैं यह तो नहीं कहूंगा कि वह लैंड लोर्ड्स के हक में रखा गया है, लेकिन दलीलों से इस बात का एहसास होने लगा कि लैंड लोर्ड्स का प्रोटेक्शन होना चाहिये । दूसरा दृष्टिकोण रखा गया वह टिनेन्ट्स के प्रोटेक्शन के बारे में रखा गया । ये दोनों दृष्टिकोण सदन के सामने प्रस्तुत किये । नसीराबाद के माननीय सदस्य ने एक तीसरा दृष्टिकोण रखा जो बिल से ज्यादा संबंध नहीं रखते हुए एक सामाजिक क्रान्ति, सामाजिक विचारधारा और इनकलाब को सामने रख कर रखा...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कांग्रेस पार्टी के बारे में ।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा दायरा इस बारे में सीमित है; यह यदि हाउसिंग प्रोग्राम के बारे में सदन में बहस हुई या जिस समय हाउसिंग डिमान्ड प्रस्तुत की उस वक्त कहा होता तो आंकड़े लाकर हाजिर होता और सिद्ध करने की कोशिश करता कि १५ वर्षों में जब से आजादी हासिल हुई है और जब से पंचसाला योजना शुरू हुई तब से कितने मकान बने हैं और किस तरह से समस्या हल हो पाई है, लेकिन में इतना निवेदन करता हूं कि यदि मकानों की समस्या पूरी तौर से हल हो पाती तो इस कानून के जरिये मैं सदन के सामने खड़ा हुआ हूं, इसको लाने की आवश्यकता नहीं होती । भारत के संविधान के अंदर हरेक नागरिक को अधिकार है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड का इसलिये मकान बना कर किराये पर दे सकते हैं और जितनी कीमत लेना चाहें ले सकता है । मगर हिन्दुस्तान की सामाजिक हालत को देखते हुए हमारे राष्ट्रपति महोदय ने सन् ७५ तक यह कानून जिसकी आज्ञा दी है, यह कानून हमारा टेम्पोरेरी लेजिस्लेशन है, परमानेन्ट नहीं है और इसको हर १०

(श्री मथुरादास माथुर)

साल बाद जैसी सामाजिक जरूरत होगी उस हिसाब से लायेंगे। इसलिये यह मेरा कानून टेम्पोरेरी है। आज की हालत में देखते हैं तो इतने मकानात, इतने टिनेमेन्ट, इतनी अकोमोडेशन नहीं बनी है कि हरेक नागरिक के लिये रहने के लिये मकान हों इसलिये दूसरों के द्वारा बनाये हुए मकान में जाकर उनको रहना पड़ता है। मकान मालिक उन लोगों का जिनके पास मकान नहीं है, किसी प्रकार का शोषण नहीं करें, उसने जितने रुपये लगाये हैं उसकी रकम पर ब्याज और उचित लाभ उसको मिलना चाहिये, उतना मिल सके। यह नहीं हो कि किसी के पास मकान नहीं है, इसलिये उनके शोषण की प्रणाली चालू कर दी जाय तो दूसरे जागीरदार पैदा हो जायेंगे इसलिये इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। साथ ही साथ यदि टिनेन्ट्स के हक में कानून बनाते हैं तो इतना हक मिल जाय कि जो मकान बनाने वाले हैं वे अपनी केपिटल को मकानों में न लगा कर और कामों में लगा दें, डेड केपिटल कर दें और मकान नहीं बनेंगे तो मकान कम पड़ जायेंगे और मकानों की समस्या हल नहीं कर पायेंगे। मकानों की समस्या हल करना चाहते हैं तो उसके लिये दो ही तरीके हैं; एक तो यह कि सरकार के पास इतने मकान हों कि सबको रहने के लिये दे सके दूसरा यह कि सरकार के पास इतनी धन-राशि हो जिसको उधर दे सके और लोग मकान बना सकें इनके लिये मुख्तलिफ योजनाएं हैं मिडिल ग्रूप, लो इनकम ग्रूप, शिड्यूल कास्ट शिड्यूल ट्राइब्स, रूरल हाउसिंग स्कीम, अर्बन हाउसिंग स्कीम आदि इन सभी योजनाओं में काफी धन राशि रखी है लेकिन इतना होते हुए भी यह समस्या इतनी बड़ी है कि दुनिया के बड़े-बड़े मुल्क भी इस समस्या को हल नहीं कर सके। रूस में क्रान्ति हुए कितने वर्ष हो गये, लेकिन वहां पर आज भी यह समस्या सब से बड़ी समस्या है, रूस में आज भी मकानों की समस्या है। भारत की बढ़ती आबादी में मकानों का कितना बड़ा प्रश्न है, जब तक यह हल नहीं हो जाता तब तक प्राइवेट पूंजी और प्राइवेट एन्टरप्राइज मकान बनाने में लगे, ज्यादा से ज्यादा मकान बनें और लोगों को रहने का मौका मिले, अधिक इन्वेस्टमेन्ट हो, इन सब बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा।

राज्य सरकार के सामने दोनों ही पहलू हैं। राज्य सरकार न मकान मालिकों की हामी है न मकान मालिकों के खिलाफ है। राज्य सरकार टीनेन्टों को भी प्रोटेक्शन देना चाहती है ताकि वे लोग आसानी से मकानों में रह कर मकान मालिकों को किराया चुका सकें। साथ में लैन्ड लोर्ड्स को भी इतना ही मुआवजा मिल जावे कि वे पूंजी को दूसरी और डाइवर्ट न करें और मकानों को बनाने की व्यवस्था बन्द न हो जावे। इस आधार पर चलना पड़ेगा, तभी जाकर हम इस समस्या का समाधान कर सकेंगे। इसलिए मैं राज्य सरकार की तरफ से साफ कहना चाहता हूं कि इस तरह से लैंड लोर्ड हैं; जैसे पुराने जागीरदार, इसको मैं नहीं कहता हूं, मैं न मकान मालिकों के खिलाफ हूं और न टीनेन्टों के, इसलिये दोनों बातों को देख कर कानून बनाया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो यह संशोधन लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, यह बहुत बड़ा कानून

(श्री मथुरादास माथुर)

नहीं है और खास तौर से आज की हालत में अगर टीनेन्ट को, किरायेदारों को इजेक्टमेंट से बचना है, वैसे मकानों के किराये के बारे में कानून इतना साफ है कि इसकी कोई जरूरत नहीं और यह लाया नहीं जा सकता। मगर मकान मालिक किराया बढ़ाने की वजह से डिफॉल्टर बनाए और उस बेसिस पर इजेक्टमेंट करे, और हाईकार्ट का कन्फ्लिक्टिंग फैसला हो गया इसलिये यह कानून बनाया है। इसलिये सेक्शन १३ उसमें (३) है उसमें हमने यह कहा है कि....

श्री दुर्गालाल बादड़ार (हवामहल, जयपुर) : Conflict has been put to rest out of full Bench judgment, so that conflict does not arise. That has come to an end now.

श्री मथुरादास माथुर : वह जजमेंट मैंने पढ़ लिया है। फिर भी दूसरी तरह के सूट्स के बारे में नहीं हुआ है। जहां एरियर ऑफ रेन्ट का प्रश्न है वहां पर कन्फर्रिग सूट को तय नहीं किया है। इसलिये हम यह कानून लाये हैं। मैं माननीय उपाध्यक्ष, निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून के जरिये हम जो मेन ओरिजिनल कमेटी का बिल था, ६ महीनों तक तीन डिफॉल्ट हों या १८ महीनों में तीन डिफॉल्ट हों, उसके बाद में इजेक्टमेंट और एविक्शन के लिये एक महीने का नोटिस देकर खाली करवा सकता है और अगर वह रुपया जमा करा देता है तो वह वेवर हो जाता है और अगर नहीं कराता है तो यह प्ली वह नहीं ले सकता कि मैं रुपया देने के लिये तैयार हूं, मुझ से इजेक्टमेंट नहीं कराया जावे; इसलिये कि उसको पेमेन्ट के लिये मौका दिया गया। यह हमारे सिलेक्ट कमेटी में है। कल मैं सेक्शन १३ के बारे में और रोशनी डालूंगा। इससे कई कॉम्पलीकेशन्स हुए हैं। कल इसका ड्राफ्ट बना कर जो होगा उसको पूरा कर दूंगा और मैं अपना अमेन्डमेंट इस सम्बन्ध में पेश कर दूंगा। तीन डिफॉल्ट और दो दो महीनों के और १८ महीनों के, यह भी बहुत है जैसा हमारे विरोधी दल के एक माननीय सदस्य ने अभी अभी कहा था श्री महार साहब ने कि अगर ६ महीनों तक डिफॉल्ट हो जावे, ६ महीने तक किराया नहीं दे और उस पर अगर किराये का दावा हो और वह किरायेदार उस रकम को पहली पेशी पर ही उसको अदा कर देता है तो पहली दफे उसको डिफॉल्टर नहीं समझा जावेगा और उसको माफ कर दिया जावेगा। अगर वह ६ महीने का किराया मय ब्याज और खर्चे के जमा करा दे तो उसको डिफॉल्टर नहीं समझा जावेगा, मगर दूसरी दफे वह ६ महीने तक रुपया जमा नहीं करता है और डिफॉल्टर बनता है और फिर कहता है कि कि मैं तो अदालत में ही रुपया दूंगा, तो उसको माफी नहीं दी जावेगी। मैं उन लोगों को प्रोटेक्शन नहीं देना चाहता जो यह कहें कि हम तो अदालत में ही जाकर रुपया देंगे। क्योंकि आखिर लैन्ड लोर्ड और टीनेन्ट्स के संबन्ध हैं, कोई गरीब लैन्ड लोर्ड भी होते हैं और अमीर टीनेन्ट्स भी हो सकते हैं। कई माननीय सदस्य किरायेदार; जैसे कॉलटैक्स, नीरो हैं, इनके मकान मालिक गरीब आदमी हैं और किरायेदार मालदार हैं, इसलिये

(श्री मथुरादास माथुर)

हमने इस बारे में चिन्तन करके यह बात सोची है कि अगर ६ महीने तक कोई किराया नहीं दे, किराया ड्यू होने की तारीख के बाद से, तो फिर उस हालत में मकान मालिक बेदखली का दावा कर सकता है और पहली दफा तो अदालत में उसको प्रोटेक्शन दिया जावेगा, परन्तु सैकन्ड समय अगर वह प्रोटेक्शन चाहे तो उसको इस प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं होगा । इससे टीनेन्ट्स और लैन्ड लोर्ड दोनों की समस्या हल हो जावेगी । मैं समझता हूं कि मेरे इधर बैठने वाले माननीय सदस्य श्री पुरोहित जी को श्रौर उधर बैठने वाले माननीय सदस्य श्री बाढ़दारजी और श्री रामानन्दजी को संतोष होगा, जिससे मकान भी बनते रहें और किरायेदारों को भी दिक्कत नहीं हो । मैं यह नहीं चाहता कि लोग मकान बनाना बन्द कर दें और ब्लैक मनी बाहर नहीं आए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो यहां पर कहा गया कि amenites provided by the land lord, उसके बारे में अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत जोर दिया । मैं यह कहूंगा कि अगर टीनेन्ट एमिनिटीज़ चाहते हैं और लैंड लोर्ड एमिनिटीज़ के लिये इजाजत नहीं दें, तब तक बिजली और पानी नहीं लग सकता; इस बारे में हमने इलेक्ट्रिक बोर्ड को पूछ लिया और इलेक्ट्रिक बोर्ड के कानून को भी देख लिया है । पानी देने वाले डिपोर्टमेंट से भी हमने बातचीत की । उससे यदि मालूम हुआ कि मकान में पानी और बिजली किरायेदार और मकान मालिक ले सकते हैं । सिलेक्ट कमेटी में इसकी जांच करने के बाद में इस क्लॉज़ को हमने रिडन्डडेन्ट समझा कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि जो लोग एमिनिटीज लगाना चाहें लगा सकते हैं । उसके नाम से मीटर लग सकता है और उसके बाद में अगर वह टीनेन्ट उसको उठा कर ले जाना चाहे तो मय मीटर के उठा कर ले जा सकता है अगर वह पाइप निकालना चाहे तो पाइप निकाल कर ले जा सकता है । अगर आपके ताल्लुक मकान मालिक से अच्छे हैं तो वह पड़ा रह सकता है । मैं यह कहूंगा कि कानून लगाना आसान है, मगर उसके बाद में बहुत दिक्कतें पैदा हो जाती हैं । अगर लैंड लोर्ड कहता है कि मैं पानी का नल नहीं लगाता, आप अपने खर्चे से लगा लो और वह लगाता है तो उसमें बड़ा झगड़ा पड़ जाता है । मकान मालिक कहता है कि इतना पैसा खर्च हुआ और वह कहता है कि इतना पसा खर्च हुआ । अदालत में फिर जाना पड़ता है । इसके अलावा उसके बाद हमें इसके लिये रूल्स बनाने पड़ते हैं और कई पेराफैनेलिया और कई बातें पैदा हो जाती है । इसलिये हमने कह दिया है कि अगर मकान मालिक बिजली लेना चाहते हैं तो ले सकता है । अगर वह पानी लेना चाहता है तो अपने खर्चे से पानी लेने का प्रबन्ध कर सकता है । आपने यह रख रखा था कि लोगों को पानी और बिजली नहीं मिलेगी और हमने सिलेक्ट कमेटी में रामानन्दजी के सामने ही इंजीनियर से बात की थी । इसलिये टीनेन्ट को पानी और बिजली मिल सकती है, यह हमने देख लिया है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : टीनेन्ट को लैंड लोर्ड से इसके लिए इजाजत लेनी पड़ती है और वे नहीं देते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : अब कोई लैंड लोर्ड से इसके लिये कन्सेन्ट लेने की जरूरत नहीं है। आपको अर्जी देने पर फिटिंग कर देंगे। नल और बिजली लगाने को मैटीरियल आल्ट्रेशन नहीं माना गया है। आप मैटीरियल आल्ट्रेशन नहीं कर सकते। इसलिये इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। इसलिये हमें अगर कानून में रखते हैं तो इसके नीचे रूल्स बनाकर कानून बनाना पड़ता है। वह कहता है, मेरे पांच हजार रुपये खर्च हुए, वह कहता है कि तीन हजार खर्चा हुआ। इसमें बड़ा झगड़ा पड़ता है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अब तक तो यही प्रेक्टिस थी कि मकान मालिक से इजाजत पानी के नल और बिजली आदि की सहूलियतों के लिये लेनी पड़ती थी। मैं कहता हूं कि आप यहां पर कहते हैं, मगर आपकी बात को कोई भी बिजली और नल वाले नहीं मानेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या आप इस प्रकार का आश्वासन देते हैं कि अब पर्मिशन की जरूरत नहीं रहेगी। क्या सरकार इसके बारे में सर्कुलर निकाल देगी।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने डिपार्टमेंट के अधिकारियों को, बिजलीघर के इंजीनियर को आपके सामने पूछा था। उन्होंने कहा कोई कानून नहीं है। सरकार सर्कुलर निकाल देगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने खुद ने कनेक्शन लिया तो इजाजत लेनी पड़ी...

श्री मथुरादास माथुर : आपको कनेक्शन देते वक्त तो लोग १० बार सोचेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्यों कोई डिस्टिंक्शन है क्या ?

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : मकान मालिक पानी बिजली के कनेक्शन लेने नहीं दे तब ?

श्री मथुरादास माथुर : मकान मालिक रोक नहीं सकता। यों तो कल आप गैस का लैम्प लगायेंगे तो कह देगा कि आप नहीं लगा सकते। तार खींच कर बिजली का कनेक्शन ले लेना मैटिरियल चेंज नहीं माना गया है, अगर उस इलाके में हो तो ले सकता है। पर इस तरह का अलग से प्रावधान रख कर लैंड लॉर्ड्स को परेशान करना और रोज के झगड़े पैदा करना, इससे तो आज दिन जो झगड़े हैं उनसे बहुत ज्यादा झगड़े हो जायेंगे। इसलिए यह जरूरी है कि हमारा कानून सीधा हो।

मैं समझता हूं इस उत्तर के बाद मैं माननीय रामानन्दजी को भी संतोष हो जायगा।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : १३ ए. पर भी थोड़ा प्रकाश डालें।

श्री मथुरादास माथुर : इसके ऊपर मामला विचाराधीन है, कल जब इसे क्लॉज बाई क्लाज लिया जायगा तब मैं कह दूंगा।

एक बात ग्रलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही, बोनाफाइड नेसेसिटी पर बहुत जोर दिया है। मकान मालिक को बहुत जरूरत है, वह कोई मकान हो या दूकान हो, उनकी इच्छा थी कि मैं कानून के तौर पर कोई बात लाऊं; मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पहले ही कानून बना हुआ है, जिसमें यह है....

"Reasonable and bonafide necessity"

आप जो वर्ड यूज़ करना चाहते हैं, "Balance of Convenience and inconvenience" आप यह लाना चाहते हैं। Balance of Convenlence and inconvience और बोगीज़नेबल एण्ड नाफाइडी नेसेसिटी का इन्टरप्रेटेशन भी अल्टीमेटली कोर्ट ही करेगा। लेंड लोर्ड्स और टिनेन्ट्स के बीच में प्रीपोंड्रस किस्म का बेलेंस ऑफ कन्वीनयेंस एण्ड इनकन्वीनियेंस या बोनाफाइडी नेसेसिटी का सवाल है, इसका इन्टरप्रिटेशन हमें कोर्ट पर ही छोड़ना पड़ेगा। लेंड लोर्ड अपने खुद के लिये खाली करवा सकता है। उन्होंने १९६२ का जस्टिस मोदी का फैसला पढ़ा। मैं १९६३ का जस्टिस मोदी का जजमेंट पढ़कर सुनाता हूं। ६२ का जो था वह तो ओबिटर डिक्टा था, जजमेंट नहीं था, एक जजमेंट के बीच में कहा था, अभी ६३ में जस्टिस मोदीजी ने एक जजमेंट में कहा है, वह पढ़ कर सुनाता हूं :

" while on the one hand, the requirement 'reasonable and bonafide personal necessity' does not merely mean a mere wish or desire on the part of the landlord to go into occupation of his own property whenever it suits his sweet will or pleasure to do so; on the other hane, it does not also mean that the plaintiff must establish absolute or dire necessity for the occupation of the property in dispute for his own or his family purposes. What he has to provide is that he has a present reasonable need for occupying the property in connection with which the suit has been brought and that his need is not motivated by any extraneous considerations of greed or any other similar factor. "

१९६२ का जस्टिस मोदी का ओबिटर डिक्टा था और यह जजमेंट है। ऐसे आठ-दस राजस्थान हाई कोर्ट के और मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के फैसले हैं, जिनमें मोटिवेटेड बाई पर्सनल ग्रीड्स नहीं माना है, बल्कि रीज़नेबल एण्ड बोनाफाइड नेसेसिटी माना है, फेसिलिटीज़ नहीं मिल पायेंगी तब माना है। तो यह ग्रॉलरेडी लॉ में है, वह विस्तार से है, उसके ग्राधार पर टिनेन्ट्स के हक में हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया है तो ग्रापने कहा कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियेंस एण्ड इनकन्विनियेंस का है उसको मैं मानने को तैयार हूं। हमारे यहां जो ऑलरेडी हैं, वह बैटर पर्पज सर्व करता है।

चौथी चीज मौजूदा पेंडिंग सूट्स पर है, उस पर मैं अपने विचार कल रखूंगा,

(श्री मथुरादास माथुर)

क्योंकि यह मामला मेरे विचाराधीन है कि इसके लीगल आस्पेक्ट्स कॉन्सीक्वेन्सेज क्या होंगे, यह देखना है।

प्रोसीजर के लिए इसमें साफ लिखा है, किराया जमा कराने जाय, मकान मालिक ले ले तो अच्छा है, नहीं तो मनी-ऑर्डर कर दे। मनीआर्डर भी लौटा दे तो अदालत में जमा करा दे:

"It is deemed as if it has been paid to the landlord"

यह भी लिख दिया है। तो मकान मालिक जितनी टेक्टिक्स काम में लेता है, किराया लेने से इन्कार करता है, मनी ऑर्डर करने पर मनीऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करता, मनीऑर्डर लौटा देता है तो उसके लिये कोर्ट में जमा कराने का रख दिया है।

अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने टाइम लिमिट के लिये कहा–१ तारीख को किराया ड्यू होता है, १५ तारीख तक मकान मालिक को दे सकता है, मनि ऑर्डर करके जमा करा सकता है, या कोर्ट में जाकर जमा करा सकता है। तो मेरा यह निवेदन है कि कोई न कोई टाइम लिमिट तो रखना ही पड़ेगा। टाइम नहीं रखेंगे और यह रख देंगे कि जब चाहे जमा करायें, इस तरह तो बड़ी गड़बड़ी होगी, कुछ तो टिनेन्ट के ऊपर भी रेस्पोन्सिबिलिटी आती है। तो १ तारीख को न करा कर १५ तारीख को किराया जमा करा दें, तो इससे इजेक्शन में तो वह आता नहीं है। तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसे रखना जरूरी है। बाकी छोटे मोटे मुद्दे उठाये गये उनके सम्बन्ध में जब क्लाज बाई क्लाज डिस्कशन होगा तब निवेदन करूंगा। यह कानून विस-ए-विस लैंड लॉर्ड है, विस-ए-विस टिनेन्ट्स है; यह मैंने आपके सामने रख दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने जो यह कानून रखा है वह बहुत बेलेंस्ड कानून रखा है, इसे हमें स्वीकार करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(विराम)

एक सूचना है।

(४.५८ म. प.)

राजस्थान विधान सभा के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कांग्रेस दल में सम्मिलित होने विषयक घोषणा

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि राजस्थान विधान सभा के निम्नांकित माननीय सदस्य कांग्रेस दल में शामिल हो गये हैं :

(१) श्री सागरमल

(२) श्री ललित मोहन

(३) श्री गोपीलाल गोठवाल

(श्री उपाध्यक्ष)

(४) श्री प्रभुलाल सेटर

(५) श्री मांगीलाल

(६) श्री शिवनारायण छाछिया

(७) श्री चन्द्रसिंह बर्फा

(८) श्री मोहरसिंह

(व्यवधान)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह डेमोक्रेसी की हत्या है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक कल प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ५ बजे दिनांक १ अप्रेल, १९६५ के म. पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट

सूची अ

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६४४ का उत्तर देखिये)

बीकानेर जिले की तहसीलों के निम्नलिखित गांवों में विद्युतीकरण, नीचे लिखी योजनाओं के तन्तर्गत किया गया है ।

प्रथम	द्वितीय	तृतीय
	१. सींथल	१. रासीसर
		२. सूरपुरा
		३. रोड़ा
		४. मुकामे
		५. करमीसर
		६. उदासर
		७. जामसर
		८. काकड़ा
		९. श्रीरामसर
		१०. वींचवाल
		११. खारा
		१२. बेलासर
		१३. चांदी
		१४. बस्सी
		१५. बरसीगसर

परिशिष्ट [७०१३

सूची ब

प्रथम, द्वितीय व तृतीय पंचवर्षीय योजना में बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में निम्न-लिखित गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है :

बाड़मेर जिला	जैसलमेर जिला
१. बालोतरा	१. जैसलमेर
२. गोकलसर	२. पोकरण
३. सिवाना	३. जवला (वाटर वर्क्स स्कीम)
४. देवन्द्री	
५. महलियावास	
६. बोथिमा (वाटर वर्क्स स्कीम)	

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण–बुधवार, दिनांक ३१ मार्च, १९६५)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
६७७२	८	पम्पिग	पम्पिंग
६७७४	४	श्री भैरोंसिह ।	श्री भैरोंसिह ।
६७७६–७७	शीर्षक	२६ मार्च	३१ मार्च
६७७८–७९	,,	३५ मार्च	३१ मार्च
६७७९	१६	स्डेटमेन्ट	स्टेटमेंट
६७८०	७	स्टेटमैंन्ट	स्टेटमेंट
६७८२	४	इन्क्लुड	इन्क्लूड
६७८३	अन्तिम से ३	मालिाकों	मालिकों
६७८५	५	लड्ढा	लड्ढा :
६७८६	अन्तिम	मंगलवाड़ा	मंगलवाड़ा
६७९१	७	अब्दुलजब्बार	श्री अब्दुलजब्बार
६७९५	१८	विद्ड़ों	विद्ड़ों
	२४	विद्ड़ ों	विद्ड़ों
६८०१	२	जव	जब
,,	४	रिकॉग्नाइज	रिकॉग्नाइज़
६८०४	१७	faild	failed
६८०५	अन्तिम से १	श्री मानसिह	श्री मानसिंह
६८०८	२	हुइ	हुई
६८१२	१६	मुप्रीम	सुप्रीम
६८१४	६	सख्या ६५६	संख्या ६५६
६८१५	शीर्षक	ताराकित	तारांकित
,,	८	मार्गो	मार्गों।
६८१६–१७	७	मुमताज हुसेद	मुमताज हुसेन
६८१९	२	श्री अब्दुल	श्री अब्दुल
६८२०	१	किश्ते	किश्तें
,,	६	श्री अदुब्लजब्बार	श्री अब्दुलजब्बार
,,	२३	विक्रय संघ	विक्रय संघ
६८२४	३	वात	बात

१	२	३	४
६८२५	३	श्रा भैरोंसिंह्	श्री भैरोंसिंह्
,,	अन्तिम से ५	कर रहा कि	कर रहा है कि
,,	अन्तिम	कार्यवॉही	कार्यवाही
६८२६	शीर्षक	श्री मथुरादास माथुर)	(श्री मथुरादास माथुर)
,,	अन्तिम से ६	विक्रय	विक्रय
६८२७	६	बात बात है ।	बात है ।
६८२८	शीर्षक	प्रश्नीत्तर	प्रश्नोत्तर
६८३१	१५ व २१	सैकडरी	सैकन्डरी
,,	अन्तिम से ३	सैकेंडरी	सैकन्डरी
६८३३	१०	(निम्बाहुडा)	(निम्बाहेडा)
६८३६	१६	बसूली नहीं की	बसूल नहीं की
६८४०	१६	के कॉलम में	के कॉलम तीन में
६८४४–४५	शीर्षक	मार्च,–६५	मार्च, ६५–
६८४४	१	ग्राम, पंचायत	ग्राम पंचायत
६८४५	२	मामले की	मामले को
,,	१७	जोघपुर	जोधपुर
६८४६–४७	शीर्षक	अ० स० के अतारांकित प्रश्नोत्तर –३१ मार्च ६५-अतारांकित प्रश्नोत्तर	अनुपस्थित सदस्यों के- ३१ मार्च ६५-तारांकित प्रश्नोत्तर
६८४६	२१	एस्टीमेंट	एस्टीमेट
६८४८	१६	न्यक्तियों	व्यक्तियों
,,	२३	सलग्न	संलग्न
६८५०–५१	शीर्षक	२६ मार्च	३१ मार्च
६८५०	१	रानीवाड़	रानीवाड़ा
,,	४	निर्माण	निर्माण
,,	१७	रानीवाड़	रानीवाड़ा
,,	अन्तिम से ४	सुविधाए	सुविधाए
६८५३	१७	रघुवीरदयाल	रघुवरदयाल
६८६० से ६८६३	शीर्षक	राजस्थान भू-गृहादि नियन्त्रण– ३१ मार्च. ६५–(संशोधन) विधेयक १९६४	भू-गृहादि (किराया तथा बेदखली ३१ मार्च, ६५, नियन्त्रण) (संशोधन) विधेयक

१	२	३	४
६८६०	५	(आसीन्ध)	(आसीन्द)
,,	अन्तिम से २	श्री कृष्णकुमार गोयल	श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल ।
६८६७	शीर्षक	(संशोधन)	(संशोधन)
,,	७	महीनों	महीनों
६८६९	१८	आबेगी	आवेगी
६८७२ व	१५ व २१,		
६८७३	३३	लेण्ड	लैन्ड
६८७३	३०–३१	कहा तक	कहां तक
६८७४	शीर्ष	श्री दुर्गालाल बाढदार)	(श्री दुर्गालाल बाढ़दार
६८७५	३	ब्रान्स	ब्रान्च
६८७६	अन्तिम से ७	फेलिटीज	फेसिलिटीज़
६८७७	१७	नहीं	नहीं
,,	अन्तिम	सम्स्टर्कान्सेज़	सर्कमस्टान्सेज़
६८७८	१८	विल्कुल	बिल्कुल
६८८०	२	ओर	और
,,	१३	डिमार्टमेंट	डिपार्टमेंट
६८८२	६	वर्षो	वर्षों
,,	२३	पमिनेन्ट	पर्मनिन्ट
,,	२८	बिचार	विचार
६८८३	१०	से	को
,,	१४	कौशिश	कोशिश
,,	२०	को	को
,,	अन्तिम	मै	मैं
६८८४	१३	लैंड लौर्ड"	"लैंड लोर्ड"
६८८५	८–९	मालदार; का	मालदार का
,,	१८–१९	एडमिनिस्ट्रैशन	एडमिनिस्ट्रेशन
६८८७	१०	चाहत	चाहता
,,	१६	मे	मैं
६८८८	३	सामने मैं है ।	सामने है ।
,,	१४	बना रखी है । आपने कि	बना रखी है आपने कि

१	२	३	४
६८६०	१३	आबे	आवे
,,	१४	समझते नहीं हैं। विधि मंत्रीजी,	समझते नहीं हैं विधि मंत्रीजी,
६८६२	शीर्ष	(श्री दुर्गालाल बाडदार)	(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
,,	अन्तिम से ८	टीनेक्ट	टीनेन्ट
,,	,, ,, ६	प्रोवधान	प्रावर्धान
६८६३	१४	बाकई	वाकई
,,	२६	टीनेन्सी	टीनेन्ट्स
६८६५	६	घंधे	धंधे
६८६८	शीर्षक	बेयखली	बेदखली
,,	२१	इन्जीनियरिग विभाग	इन्जीनियरिंग विभाग
,,	अन्तिम से २	रूरस	रूरल
,,	अन्तिम	कप्लीट	कम्प्लीट
६८६६	११	वेंक	बेंक
६६००	शीर्षक	बेदखल	बेदखली
६६०१	२२	गबा	गया
६६०५	शीर्षक	(विधेदक (संशोधन)	(संशोधन) विधेयक
६६०८	२३	लागू है। जोकि	लागू है जो कि
६६१०	शीर्षक	बेदखली	बेदखली
,,	६	मोदी ने; पमनदास	मोदी ने पमनदास
६६१३	अन्तिम से ७	तग	तंग
,,	,, ,, ५	मजवूर	मजबूर
६६१४	शीर्षक	बेदखला	बेदखली
,,	३	ड्राफट	ड्राफ्ट
,,	५	प्रोबिज़न	प्रोवीज़न
,,	६	क्लोज	क्लॉज
,,	१२	clouse	clause
६६१५	५	कवड	कवर्ड
६६१६	अन्तिम से ६ व ८	ट्रान्सर ऑफर	ट्रान्सफ़र ऑफ
६६१७	७	रेस्ट्रिक्शन	रेंस्ट्रिक्शन

(५)

१	२	३	४
६६१६	१	मिलनी, चाहिये,	मिलनी चाहिये
,,	४	सुभव	सुभाव
६६२२	१०	वेदखल	बेदखल
,,	२४ – २५	देने की की बात	देने की बात
६६२५	शीर्षक	नियन (संशोधनत्रण)	नियन्त्रण) (संशोधन)
,,	५	रजिस्टर्ड	रजिस्टर्ड
६६२७	शीर्षक	६५नियन्त्रण)	६५·नियन्त्रण)
,,	अन्तिम से ५	प्रोटक्शन	प्रोटेक्शन
६६२६	शीर्षक	(सशोधन)	(संशोधन)
६६३३	३	वहुत	बहुत
,,	७	श्रोर	ओर
६६३५	६	आप; वधाई	आप बधाई
६६३६	स्कम्भ	[६८३६	[६६३६
,,	७	और.	ओर
,	अन्तिम से ५	पेटेन्ट	पोटेन्ट
६६४१	६	मागें हों	मांगें हों
६६४३	६	पसा	पैसा
६६५०	१४	हे	है
६६५१	१४	करन	करने
,,	१८	कन्डीजन	कन्डीशन
६६५२	शीर्षक	वेदखली	बेदखली
,,	५	रिट्रोस्पेक्टिय	रिट्रोस्पेक्टिव
६६५५	२४	परवी	पैरवी
६६४६	२	स्पया	रुपया
६६६१	२०	दिकवत	दिक्कत
६६६२	२३ से २५	अगर एक मकान की कीमत... (विराम श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा :	श्री ज्वाज्वाप्रसाद शर्मा : अगर एक मकान की कीमत.... (विराम)
६६६५	४	नहो	नहीं
६६६६	४	बिल्डिगें	बिल्डिगें

१	२	३	४
६६६६	७	(उपमंत्री, वित्त)	(उप-मंत्री, वित्त) :
,,	१४	डिपामेर्टन्ट	डिपार्टमेंट
६६६७	शीर्षक	संशोघन)	(संशोधन)
६६६६	शीर्षक	(संशोधन)	(संशोधन)
६६७३	अन्तिम से ६	रिस्ट्रोस्पेक्टिप	रिट्रोस्पेक्टिव
६६७४	७	(संशोघन)	(संशोधन)
,,	१०	विद्धवत्तापूर्ण	विद्वत्तापूर्ण
६६७७	२४	ऑबजेक्शन्स	ऑब्जेक्शन्स
६६८५	११	कौंटेरी	कोठरी
६६८६	शीर्षक	वेदखली	वेदखली
६६८७	अन्तिम	ईसके	इसके
६६८६	२३	काभ	काम
६६६० व	स्कम्भ	६८६०]	६६६०]
६६६१		[६८६१	[६६६१
६६६०	१३	बिधि	विधि
,,	अन्तिम से १	श्री अब्दूलजब्बार	श्री अब्दुलजब्बार
६६६३	१०	तौ हीन	तोहीन
,,	अन्तिम से ८ व ४	में	मैं
,,	अन्तिम से २	सिपल	सिम्पल
६६६४	४	आता है।	आता हूं।
,,	५	नहीं	नहीं
६६६५	२३	बहत	बहुत
,,	अन्तिम से ३	उधर	उधर
६६६६	शीर्ष	श्री मानसिह	(श्री मानसिह
६६६७	६	कांग्रेस	कांग्रेस
६६६८	२३	मक नों	मकानों
,,	२७	रहन	रहने
,,	२६	उधर	उधार
६६६६	२२	और	ओर
७०००	८	हाईकार्ट	हाई कोर्ट

१	२	३	४
७००६	शीर्षक	वेदखली	वेदखली
,,	१८	convenlence	convenience
,,	१९	बोरीजनेथल एण्ड नाफाइडी	रीजनेबल एण्ड बोनाफाइडी
७००७	८-९	hane	hand
,,	१४	provide	prove
७००८	१२	मे	में
७०१०-११	शीर्षक	भू-गृहादि (किराया तथा वेदखली नियन्त्रण) (संशोधन) विधेयक	विधान सभा के कुछ सदस्यों द्वारा कांग्रेस दल में सम्मिलित होने विषयक घोषणा
७०१२	३	तर्न्तगत	अन्तर्गत
७०१३	६	वक्र्स स्कीम)	वर्क्स स्कीम)